

पेप्सी कोला—कोका कोला का सच सपनों के सौदागर

लेखक की ओर से

पेप्सी-कोला और कोका-कोला के ठंडे उत्पादों के खिलाफ आजादी बचाओ आंदोलन काफी लम्बे समय से पूरे देश में जन-जागृति का अभियान चला रहा है। आंदोलन के कार्यकर्ता गाँव-गाँव और शहर-शहर में जाकर इन ठंडे पेयों से होने वाले शारीरिक नुकसानों के बारे में लोगों को बताते रहते हैं। इसके साथ-साथ स्कूल-कालेजों में जाकर विद्यार्थियों से भी इस सम्बन्ध में बातें करते रहते हैं। इन सबका प्रतिसाद काफी अच्छा निकलता है। कभी-कभी तो विद्यार्थी आसानी से समझ लेते हैं कि इन ठंडे पेयों से कितना खतरा होता है। लेकिन कभी-कभी सब कुछ समझने के बाद भी विद्यार्थी इन बातों को स्वीकार नहीं करते।

जब आंदोलन इन सवालियों को लोगों के बीच में उठाता था तब लोग इसको गम्भीरता से नहीं लेते थे लेकिन पिछले दिनों दिल्ली की संस्था 'सेंटर फॉर साइन्स एन्ड एन्वॉयरमेन्ट' ने जब शीतल पेयों में खतरनाक रासायनिक पदार्थों की मिलावट की पुष्टि की तो पूरे देश के सामने इन ठंडे पेयों की असलियत खुलकर सामने आई। संसद में भी इस सवाल पर काफी हंगामा हुआ और संसद की कॅन्टीन में ठंडे पेय मिलना बंद हो गये। ठंडे पेयों में खतरनाक रासायनिक पदार्थों की मिलावट को लेकर शरद पवार की अध्यक्षता में एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया जिसकी रिपोर्ट अभी हाल में सरकार के सामने रखी गयी है। इस रिपोर्ट में समिति ने सरकार से माँग की है कि वह इन ठंडे पेयों के बारे में गम्भीरता से सोचे और लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलावड ना करे।

लेकिन हमारी सरकारें अंधी और बिकाऊ हैं। इतना सब होने के बाद भी ना तो सरकार ने पेप्सी-कोला और कोका-कोला के विज्ञापनों पर रोक लगाई है और ना ही उनके खिलाफ कोई कदम उठाया है। इससे यह साफ पता चलता है कि हमारी सरकारें इन कम्पनियों के सामने कितनी बौनी हैं। जब से समिति की यह रिपोर्ट सामने आई है तब से मेरे मन में इसके खिलाफ कुछ ना कुछ लिखने का विचार आता रहा है। आंदोलन की भी यह इच्छा रही है कि इन कम्पनियों की असलियत लोगों के सामने आए। आंदोलन के वरिष्ठ साथी श्री राजीव भाई और अन्य कार्यकर्ताओं के सहयोग से यह पुस्तिका निकलना संभव हुई। इस पुस्तिका को बनाने में राजेन्द्र दारा की किताब 'द रियल पेप्सी द रियल स्टोरी' ने काफी मदद की है। अन्य रिपोर्टों से भी काफी मदद ली गई है।

आशा है पाठकों को यह किताब जरूर पंसद आएगी और जिस उद्देश्य के लिए यह किताब लिखी गई है वह उद्देश्य जरूर पूरा होगा।

विनीत अग्रवाल, जया अग्रवाल (अहमदाबाद)

प्रस्तावना

5 अगस्त 2003 को भारत के सभी टी. वी. चैनलों एवं समाचार पत्रों में पेप्सी-कोला एवं कोका-कोला के बारे में एक भयंकर सत्य उद्घाटित हुआ। दिल्ली की एक वैज्ञानिक संस्था "सेन्टर फार सायनस एण्ड एनवायरमेंट" की एक खोजी रपट में बताया गया कि पेप्सी एवं कोका-कोला के सभी ठंडे पेयों में अत्यन्त जहरीले एवं खतरनाक कीटनाशक रसायन मिले हुये हैं। उर्पयुक्त संस्था की प्रयोगशाला में पेप्सी एवं कोका-कोला के 12 नमूनों की जांच की गयी। इसमें पाया गया कि इन सभी नमूनों में बहुत अधिक मात्रा में रासायनिक कीटनाशक जैसे क्लोरोपायरीफास, मैलाथियान, डी. डी. टी., लिन्डेन आदि मिले हुये हैं। ये सभी कीटनाशक शरीर के लिये अत्यन्त ही हानिकारक होते हैं। इन कीटनाशकों का शरीर के स्वास्थ्य पर बहुत ही खराब असर होता है। इन कीटनाशकों का लीवर, किडनी, शरीर के प्रतिरोधक तंत्र, प्रजनन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, श्वसन तंत्र आदि पर बहुत बुरा असर होता है। उदाहरण के लिये लिन्डेन नामक कीटनाशक से शरीर में कैंसर होता है तथा शरीर की सभी ग्रंथियों को भारी नुकसान पहुँचता है। लिन्डेन कीटनाशक की 40 मिलीग्राम मात्रा किसी भी महिला या पुरुष की प्रजनन क्षमता को समाप्त कर देती है। इस लिन्डेन से लीवर का कैंसर तथा किडनी का कैंसर भी होता है। शरीर के हृदय को रक्त देने वाली नलियों को भी लिन्डेन क्षतिग्रस्त कर देता है। इसी तरह डी. डी. टी. नाम का रासायनिक कीटनाशक पुरुषों के वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या को बहुत कम कर देता है तथा स्त्रीयों में वक्ष कैंसर को पैदा करता है। क्लोरोपायरीफॉस नामका जहरीला कीटनाशक मनुष्य के तंत्रिका तंत्र को नष्ट कर सकता है तथा दिमागी विकास को रोक देता है। इस जहरीले कीटनाशक से मनुष्य शरीर में मांसपेशियाँ अत्यन्त कमजोर हो जाती है। मैलाथियान नाम के रासायनिक जहर से जन्मजात शारीरिक विकलांगता आती है तथा शरीर के किसी भी हिस्से में पक्षाघात हो सकता है। 6 अगस्त 2003 को इस विषय पर लोकसभा में काफी हंगामा हुआ। लोकसभा के अनेक सदस्यों ने सरकार से मांग की कि इस विषय पर स्पष्टीकरण दे और पूरे देश को बताये कि सच क्या है?

सरकार की ओर से जवाब देते हुये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री सुषमा स्वराज्य ने लोकसभा में कहा कि जल्दी ही सरकार इस विषय पर जांच करायेगी। इसी तरह 21 अगस्त 2003 को राज्यसभा में भी बहस हुयी। वहां भी मन्त्री महोदया ने इसी तरह का आश्वासन दिया। अन्त में लोकसभा अध्यक्ष के निर्देश पर संयुक्त संसदीय समिति गठन करने का फैसला किया गया। यह संयुक्त संसदीय समिति पेप्सी-कोका में मिले हुये कीटनाशक रसायनों की जांच करने के लिये बनाने का तय किया गया। इस तरह 22 अगस्त 2003 को सरकार द्वारा पेप्सी-कोका कोला की जांच के लिये संयुक्त संसदीय समिति के गठन की अधिसूचना जारी की गयी। इस संसदीय समिति में 10 सांसद लोकसभा से एवं 5 सांसद राज्यसभा से लिये गये। समिति का अध्यक्ष शरद पवार को बनाया गया। समिति में लोकसभा से अनंत कुमार, डा. सुधा यादव, रमेश चेन्नीथला, अवतार सिंह भड़ाना, के. येरन्ननायडु, ई. अहमद, रंजीत कुमार पांजा, अखिलेश यादव और आनिल बसु को लिया गया। इसी तरह समिति में राज्यसभा से एस. एस. अहलूवालिया, पृथ्वीराज चव्हाण, संजय निरुपम, प्रेमचन्द गुप्ता, प्रशांत चर्टजी को लिया गया। समिति को यह जांच करने की जिम्मेदारी दी गयी कि पेप्सी कोका-कोला के जो भी ब्रांड भारत में बिक रहे हैं उनमें रासायनिक कीटनाशक हैं या नहीं?

साथ ही साथ समिति को यह भी जिम्मेदारी दी गयी कि वह सरकार को ठंडे पेयों की गुणवत्ता बनाये रखने के लिये भी सुझाव दे। इस समिति के लिये डा. एस. के. खन्ना, डा. एन. पी. अग्निहोत्री, डा. जी. त्यागराजन को विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया। इस समिति ने 4 फरवरी 2004 को अपनी रिपोर्ट संसद के सामने पेश की। इस रिपोर्ट को बनाने में संयुक्त संसदीय समिति के सामने कई मंत्रालय पेश हुये। देश के कई विशेषज्ञ एवं संस्थाओं की ओर से भी समिति को काफी जानकारियां दी गयीं।

सेन्टर फार सायन्स एण्ड एनवायरमेन्ट द्वारा मई 2003 में पेप्सी एवं कोका कोला के सभी ब्रांडों की जांच की गयी। जिसमें पाया गया कि यूरोपीय मानकों की तुलना में भारतीय पेप्सी एवं कोक में 21 गुना अधिक लिन्डेन (खतरनाक रासायनिक कीटनाशक), 42 गुना अधिक डी. डी. टी., 72 गुना अधिक क्लोरोपायरीफॉस, 196 गुना अधिक मैलाथियान उपस्थित है। सी. एस. ई. संस्था की प्रयोगशाला में अमेरिका से लाये हुये पेप्सी एवं कोकाकोला के सभी ब्रांडों की भी जांच की गयी। लेकिन इन अमरीकी नमूनों में कुछ भी रासायनिक कीटनाशक नहीं पाये गये।

सी. एस. ई. की रिपोर्ट के बाद भारत सरकार ने अन्य सरकारी प्रयोगशालाओं को भी पेप्सी एवं कोका कोला की जांच के लिये कहा। मैसूर की प्रसिद्ध प्रयोगशाला सेन्ट्रल फूड टेक्नोलोजी रिसर्च इन्स्टीट्यूट और कलकत्ता की प्रयोगशाला सेन्ट्रल फूड लेबोरेटरी ने भी पेप्सी कोला एवं कोका कोला के नमूनों की जांच की। सी. एफ. टी. आर. आई. (मैसूर) की रिपोर्ट में भी बताया गया कि पेप्सी एवं कोकाकोला के नमूनों में क्लोरोपायरीफॉस, मैलाथियान, डी. डी. टी. एवं लिन्डेन जैसे खतरनाक कीटनाशक रसायन मौजूद हैं। इसी तरह कलकत्ता की प्रयोगशाला सेन्ट्रल फूड लेबोरेटरी द्वारा की गयी जांच में भी यह पाया गया कि पेप्सी एवं कोका कोला में रासायनिक कीटनाशक उपस्थित हैं। दिल्ली के केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की प्रयोगशाला में भी पेप्सी एवं कोका कोला के नमूनों की जांच की गयी। इसमें भी पाया गया कि पेप्सी एवं कोका कोला में रासायनिक कीटनाशक मैलाथियान, डी. डी. टी., लिन्डेन तथा क्लोरोपायरी फॉस मौजूद हैं। इसी तरह केरल सरकार ने भी बंगलौर के श्रीराम औद्योगिक शोध केन्द्र में पेप्सी-कोक की जांच करायी, उसमें भी पाया गया कि पेप्सी-कोक में रासायनिक कीटनाशक हैं। उड़ीसा सरकार ने जांच करायी और उसमें भी कीटनाशक पेप्सी-कोक में मिले पाये गये। जितनी भी प्रयोगशालाओं में पेप्सी-कोक के बारे में जांच की गयी, वे सभी प्रयोगशालायें अत्यन्त ही प्रतिष्ठित हैं और अन्तरराष्ट्रीय स्तर की मानी जाती हैं।

लगभग 6 माह की जांच-परख और दस्तावेजी सबूतों का अध्ययन, विश्लेषण करने के बाद संयुक्त संसदीय समिति ने अपनी जांच रपट संसद के सामने एवं देश के सामने प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट के अनुसार "पेप्सी एवं कोका कोला के सभी ब्रांडों में खतरनाक रासायनिक कीटनाशक मैलाथियान, डी. डी. टी., लिन्डेन एवं क्लोरोपायरीफॉस, यूरोपीय मानदण्डों की तुलना में बहुत अधिक मात्रा में हैं।" संयुक्त संसदीय समिति का यह निष्कर्ष उन सभी प्रयोगशालाओं की रिपोर्ट पर आधारित है, जिनमें पेप्सी-कोक के नमूनों की जांच की गयी थी।

संसदीय समिति के आँकड़ों के अनुसार ठंडे पेयों का पूरी दुनिया में प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष उपभोग 67.5 लीटर है। सन् 2001 में पूरी दुनिया में 412 अरब लीटर ठंडे पेयों (साफ्ट ड्रिंक्स) की बिक्री हुयी। उत्तरी अमरीका में सबसे अधिक साफ्ट ड्रिंक्स (ठंडे पेय) की बिक्री होती है। दुनिया में जो कुल ठंडा पेय बिकता है, उसका 27 % अकेले उत्तरी अमरीका (संयुक्त राज्य अमरीका) में बिकता है। अमरीका में प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति साफ्ट ड्रिंक्स की खपत 192 लीटर है। फिर उसके बाद यूरोप का स्थान आता है जहां दुनिया की 21%

साफ्ट ड्रिंक्स (ठंडे पेय) बिकते हैं। यूरोप में प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष ठंडे पेयों का उपभोग 50.8 लीटर है। अब उदारीकरण की हवा में ठंडे पेयों का बाजार एशिया एवं पूर्वी यूरोप में भी बढ़ता जा रहा है। अमरीकी कम्पनियों पेप्सी एवं कोका-कोला ने उदारीकरण का भरपूर फायदा उठाते हुये एशिया के कई देशों में तथा अरब के कई देशों में भी बाजार बनाया है। आज के समय में माना जाता है कि एशिया के देशों तथा अरब देशों में ठंडे पेयों का बाजार सबसे अधिक तेजी से बढ़ रहा है। एशिया में जिन देशों में पेप्सी-कोका का बाजार तेजी से बढ़ा है वे हैं— पाकिस्तान, वियतनाम, भारत एवं इन्डोनेशिया। भारत सरकार के आँकड़ों के अनुसार सन् 2001 में 654 करोड़ बोतलें ठंडे पेयों की बिकीं। भारत में प्रति व्यक्ति खपत के अनुसार ठंडे पेय का उपभोग दुनिया में सबसे कम है। भारत में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष औसतन 6 बोतलों की खपत होती है। थाइलैण्ड देश में प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष 80 बोतलों की खपत होती है। अमरीका में ठंडे पेयों की 800 बोतलों की खपत प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष होती है। भारत में दिल्ली शहर में सबसे अधिक ठंडे पेयों की बिक्री होती है। दिल्ली रहने वाले लोगों के हिसाब से प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष दिल्ली में 50 बोतलों की खपत ठंडे पेयों की होती है।

संयुक्त संसदीय समिति के सामने प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों के आधार पर साफ्ट ड्रिंक्स में मिलाये जाने वाले रासायनिक पदार्थों का विवरण इस प्रकार है – साफ्ट ड्रिंक्स बनाने में पानी का प्रयोग सबसे अधिक होता है। लगभग 86% से 92% तक पानी साफ्ट ड्रिंक्स में होता है। इस पानी में मीठापन लाने के लिये एस्परेटेम नाम का रसायन मिलाया जाता है। यह सैक्रीन से भी अधिक मीठा होता है। एस्परेटेम, सैक्रीन से 200 गुना अधिक मीठा होता है। साफ्ट ड्रिंक्स बनाने में कैफीन नाम का रासायनिक पदार्थ भी मिलाया जाता है। इसी कैफीन के कारण किसी भी व्यक्ति को बार-बार ठंडा पेय पीने की लत लग जाती है। साफ्ट ड्रिंक्स में कार्बन डाई आक्साइड गैस भी मिलाई जाती है। इस गैस को मिलाने का मुख्य कारण उन सूक्ष्म जीवाणुओं को साफ्ट ड्रिंक्स में पनपने से रोकना जो साफ्ट ड्रिंक्स में पैदा हो सकते हैं, क्योंकि साफ्ट ड्रिंक्स में मीठापन होता है। साफ्ट ड्रिंक्स में कुछ एसिड (अम्ल) भी मिलाये जाते हैं जैसे— फास्फोरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, मैलिक एसिड आदि। इन एसिडों का कार्य साफ्ट ड्रिंक्स के मीठेपन का संतुलन बनाने का ज्यादा होता है। इन साफ्ट ड्रिंक्स में रंग पैदा करने वाले कुछ रसायन भी मिलाये जाते हैं, उदाहरण के लिये कैरामेल को मिलाने पर ठंडे पेयों का रंग गहरा लाल-भूरा हो जाता है। इन ठंडे पेयों में पोटेशियम सॉरबेट तथा सोडियम बेन्जोएट जैसे रसायन भी मिलाये जाते हैं। इन रसायनों को परिरक्षक (Preservatives) के रूप में प्रयोग किया जाता है। साफ्ट ड्रिंक्स में पेक्टिन नाम का रसायन भी मिलाया जाता है। इस रसायन का काम ठंडे पेयों की सान्द्रता बढ़ाने में होता है।

भारत देश में ठंडे पेयों को बनाने एवं बेचने के लिये एक कानून है, जिसे आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के रूप में जाना जाता है। इस अधिनियम के आधार पर एफ. पी. ओ. (Fruit Product Order) 1955 में जारी किया गया था। इसी आधार पर कम्पनियों को ठंडे पेय बनाने एवं बेचने का लाइसेन्स दिया जाता है। लेकिन इस कानून में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके आधार पर ठंडे पेयों में प्रयोग होने वाले पानी की गुणवत्ता का कोई मानक तय किया जा सके। भारत की आजादी के 58 साल बीत जाने के बाद भी सरकार ने पीने के पानी की उच्च गुणवत्ता का कोई मानक तय ही नहीं किया। इसी का फायदा उठाते हुये पेप्सी एवं कोका-कोला जैसी विदेशी कम्पनियाँ बहुत ही घटिया एवं रासायनिक कीटनाशकों से मिला हुआ पानी ठंडे पेय बनाने में गत 14 वर्षों से इस्तेमाल करती रहीं हैं।

संसदीय समिति के अनुसार भारत में कोका-कोला के 52 कारखाने हैं, जिनमें से 27 कारखाने कोका-कोला कम्पनी के हैं तथा बाकी 25 कारखाने अन्य दूसरी भारतीय कम्पनियों के हैं, लेकिन इनमें उत्पादन पूरा कोका-कोला कम्पनी के लिये ही होता है। इसी तरह पेप्सी-कोला कम्पनी के पूरे भारत में 38 कारखाने हैं जिनमें से 17 कारखाने कम्पनी के स्वयं के हैं एवं 21 कारखाने अन्य दूसरी भारतीय कम्पनियों के हैं, जिनमें पेप्सी-कोला के लिये उत्पादन होता है। पेप्सी एवं कोका-कोला कम्पनियों द्वारा संसदीय समिति को दी गयी जानकारी के अनुसार पेप्सी एवं कोका-कोला के ठंडे पेयों की एक साल की कुल बिक्री 4000 करोड़ रुपये की है।

भारत देश में पानी की उच्च गुणवत्ता के कोई मानक निर्धारित नहीं होने के कारण संयुक्त संसदीय समिति ने माना कि इस दिशा में जल्दी ही कानून बनाने की जरूरत है। जिसके आधार पर पानी की गुणवत्ता को तय किया जा सके। समिति के अनुसार पानी की गुणवत्ता का इस तरह निर्धारण करना चाहिए कि पानी में किसी भी किस्म के रासायनिक कीटनाशक नहीं हों। कोई भी ठंडा पेय बनने के बाद ही जांच किया जाना चाहिए कि वह शरीर के लिये सुरक्षित है या नहीं? अर्थात् पानी के प्रयोग से बनने वाले अन्तिम उत्पाद की ही गुणवत्ता को जांच का आधार बनाया जाना चाहिए।

जब संयुक्त संसदीय समिति के सामने पेप्सी-कोला एवं कोका-कोला कम्पनियों के अधिकारी प्रस्तुत हुये तो उनसे कई प्रश्न किये गये। समिति की ओर से एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह किया गया कि "क्या ठंडे पेयों में इस्तेमाल किये जाने वाली शुगर की गुणवत्ता की जांच की जाती है"? तो इस प्रश्न के उत्तर में पेप्सी-कोला एवं कोका-कोला दोनों ही कम्पनियों के अधिकारियों ने जवाब दिया "हम ठंडे पेयों में मिलायी जाने वाली शुगर की जांच नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी ऐसी परम्परा नहीं है"। संसदीय समिति के सामने प्रस्तुत हुये, बोटल बंद पानी बनाने और बेचने वाले संघ के अध्यक्ष के अनुसार "ठंडे पेयों में इस्तेमाल होने वाले पानी को बहुत आसानी से शुद्ध बनाया जा सकता है। इसके लिये भारत में कई तकनीकें उपलब्ध हैं। इस पानी को शुद्ध बनाने के लिये प्रति लीटर मात्र 2 से 4 पैसे का ही खर्चा आता है।" इस कथन से स्पष्ट है कि पानी को ठंडे पेयों में इस्तेमाल होने से पूर्व पूर्ण शुद्ध बनाने के लिये मात्र 2 से 4 पैसे प्रति लीटर का खर्चा आता है और इसके लिये तकनीक भी आसानी से उपलब्ध है। लेकिन फिर भी पेप्सी एवं कोका-कोला जैसी विदेशी कम्पनियाँ पानी को बिना शुद्ध बनाये ही घटिया एवं रासायनिक कीटनाशक मिले हुये पानी को ही इस्तेमाल करती हैं। संयुक्त संसदीय समिति के सामने पेप्सी-कोका के अधिकारियों ने रासायनिक कीटनाशक मिले हुये पानी के इस्तेमाल के बारे में बोलते हुये कहा कि "दुनिया के अधिकांश देशों में पीने वाले पानी का ही प्रयोग ठंडे पेय बनाने में ये कम्पनियाँ करती हैं। लेकिन अमरीका और यूरोप में पानी की शुद्धता का अधिक ध्यान रखा जाता है। इसलिये अमरीका और यूरोप में ठंडे पेय बनाने के पहले पानी को रासायनिक कीटनाशकों से मुक्त बनाकर ही इस्तेमाल किया जाता है। अमरीका और यूरोप में पानी की गुणवत्ता के मानक बहुत ही ऊँचे एवं कड़े होते हैं।" इससे स्पष्ट है कि यूरोप एवं अमरीका को छोड़कर दुनिया के तमाम दूसरे देशों में पेप्सी एवं कोका-कोला कम्पनियाँ जो पानी का इस्तेमाल करती हैं वह पानी उच्च गुणवत्ता का नहीं होता है। अर्थात् अमरीका-यूरोप को छोड़कर दुनिया के सभी देशों में पेप्सी-कोका के ठंडे पेयों में रासायनिक कीटनाशक मिले हुये पानी का ही इस्तेमाल होता है। इस मिलावटी और जहरीले पानी के इस्तेमाल करने के मामले पर पेप्सी-कोका कम्पनी के अधिकारियों का कहना है कि "हम ठंडे पेयों में इस्तेमाल होने वाले पानी की उच्च गुणवत्ता की कोई गारंटी नहीं ले सकते हैं।"

सामान्य रूप से ठंडे पेय की एक बोटल बनाकर बेचने में 10 लीटर पानी का खर्चा आता है। हालांकि बोटल में मात्र 300 मिली ही ठंडा पेय होता है। बाकी पानी बोटल को धोने में तथा अन्य मशीनरी प्रयोग में

खर्च होता है। भारत देश में साल में लगभग 600 करोड़ से 700 करोड़ बोतल प्रतिवर्ष ठंडे पेयों की बिकती हैं। जिन पर पूरी तरह से अमरीकी कम्पनियों पेप्सी कोला एवं कोका कोला का एकाधिकार है। अर्थात् भारत में प्रतिवर्ष 6000 करोड़ लीटर से 7000 करोड़ लीटर पानी प्रतिवर्ष इन कोला कम्पनियों के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। जब संयुक्त संसदीय समिति ने इस पानी के प्रयोग पर भारत सरकार की संस्था केन्द्रीय भूगर्भ जल नियामक (सेन्ट्रल ग्राउन्ड वाटर एथॉरिटी) को तलब किया तो एक आश्चर्यजनक जानकारी मिली। इस संस्था के अधिकारियों को जब पूछा गया कि "क्या सरकार, इन कोला कम्पनियों से भूगर्भजल के इस्तेमाल का कोई शुल्क लेती है? तो अधिकारियों ने कहा कि "हमारी जानकारी में सरकार ऐसा कोई शुल्क पानी के लिये इन कोला कम्पनियों से नहीं लेती है"। कितनी हैरानी की बात है कि पेप्सी कोला एवं कोका कोला जैसी विदेशी कम्पनियाँ भारत के बेशकीमती भूगर्भजल का इस्तेमाल करके हजारों करोड़ रुपये कमा रही हैं और हमारी सरकार इस पानी पर कम्पनियों से कोई शुल्क भी नहीं ले रही है। एक ओर भारत देश के 2 लाख से अधिक गाँव पीने के पानी से वंचित हैं, दूसरी ओर पेप्सी कोला और कोका कोला जैसी कम्पनियाँ हर साल हजारों करोड़ लीटर पानी की बरबादी में लगी हुयी हैं। जिस पानी से भारत के लाखों लोगों एवं पशुओं को अपनी प्यास बुझाने का इंतजाम हो सकता है, वही बेशकीमती पानी जमीन से दोहन करके ठंडे पेयों में बरबाद किया जा रहा है। वर्षा जल की बूंद-बंदू जब धरती में उतरती है तो हजारों लाखों वर्षों में भूगर्भ जल संचित होता है। इस भूगर्भजल पर पहला अधिकार उन करोड़ों भारतवासियों एवं पशुओं का है जिन्हें अपनी प्यास बुझाने के लिये इस जल की जरूरत है। फिर दूसरा अधिकार उन करोड़ों किसानों का है जो देश के लोगों का पेट भरने के लिये इस जल का प्रयोग करते हैं। तीसरा अधिकार यदि हो सकता है तो उन उद्योगों का है जो हमारे जीवन के लिये अत्यन्त जरूरी एवं उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। ठंडे पेय बनाना तो कोई जरूरी उद्योग नहीं है। इन ठंडे पेयों के बिना भी हमारा जीवन अच्छे से चलता रहा है, आगे भी चलता रहेगा। इसलिये ठंडे पेयों के नाम पर पेप्सी एवं कोका कोला जैसी कम्पनियों द्वारा बरबाद किये जा रहे भारत के बेशकीमती भूगर्भ जल को बचाने की अत्यन्त जरूरत है। जिस देश के अधिकांश भागों में औसतन हर साल सूखा पड़ता हो, जिस देश के लाखों गाँव एवं करोड़ों मनुष्य, पशु, पक्षी पीने के पानी को तरसते हों वहां हर साल ठंडे पेयों के नाम पर हजारों करोड़ लीटर पानी को बरबाद करना एक राष्ट्रीय अपराध है।

संयुक्त संसदीय समिति ने अपनी जांच में पाया कि जिन-जिन स्थानों पर पेप्सी-कोला और कोका-कोला के प्लान्ट (कारखाने) लगे हुये हैं, वहां की स्थानीय वैधानिक संस्थाओं (जैसे ग्राम पंचायत, नगरपरिषद आदि) से, भूगर्भजल निकालने की अनुमति भी इन कम्पनियों ने नहीं ली है। मुम्बई शहर में ही पेप्सी कोला एवं कोका कोला कम्पनी ने महानगर पालिका से भूगर्भजल निकालने की अनुमति ली है। इस मामले में कोका-कोला कम्पनी ने केरल राज्य के प्लाचीमडा में स्थानीय ग्राम पंचायत से अनुमति लिये बिना ही प्रतिदिन करोड़ों लीटर पानी निकालना शुरू किया। इसके चलते गाँव का भूगर्भजल बहुत ही कम हो गया। अब उस गाँव में पीने के लिये एवं कृषि के लिये भी भूगर्भजल उपलब्ध नहीं है। इसीकारण कोकाकोला कम्पनी और प्लाचीमडा गाँव के नागरिकों का कोका-कोला के संयंत्र को बन्द कराने के लिये आन्दोलन चल रहा है। ग्रामपंचायत प्लाचीमडा ने कोका-कोला कम्पनी को इस सम्बन्ध में नोटिस दे दिया कि कम्पनी अपनी पानी की व्यवस्था कहीं और से करे।

भूगर्भ जल के अंधाधुंध दुरुपयोग को रोकने के लिये अभी तक भारत सरकार ने या राज्यों की सरकारों ने कोई भी कानून या नियम नहीं बनाये हैं। इसी का फायदा पेप्सी कोला एवं कोका कोला जैसी

कम्पनियां उठा रहीं हैं। भारत देश में पीने के पानी की 80% जरूरत भूगर्भ जल से ही पूरी होती है। मात्र 20% जरूरत भूमि की सतह पर उपलब्ध जल से पूरी होती है।

संसदीय समिति के सामने भारत देश के कई विशेषज्ञों द्वारा रासायनिक कीटनाशकों के शरीर पर होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में काफी जानकारी दी गयी। जो रासायनिक कीटनाशक पेप्सी एवं कोका कोला में पाये जाते हैं, उनमें डी.डी.टी, क्लोरो पायरीफास एवं मैलाथियान प्रमुख हैं। इन कीटनाशक रसायनों का मानव शरीर पर क्या-क्या दुष्प्रभाव होता है, इस पर संसदीय समिति ने जो जानकारी दी, वह इस प्रकार है

लिन्डेन की मानव शरीर पर दुष्प्रभाव :

लिन्डेन हमारे शरीर में जाने के बाद वसीय ऊतकों में जमा हो जाता है। यह शरीर के लीवर, किडनी तथा प्रतिरोधक तन्त्र को नष्ट करता है और कैंसर पैदा करता है। मानव शरीर की सभी ग्रन्थियों पर भयंकर दुष्प्रभाव लिन्डेन का होता है।

डी.डी.टी का मानव शरीर पर दुष्प्रभाव :

डी.डी.टी. महिलाओं के वक्षस्थल के कैंसर के लिये मुख्य जिम्मेदार रसायन है। मानव शरीर की सैक्स क्षमता को बहुत कम करने का काम करता है। पुरुषों के वीर्य में शुक्राणुओं की क्षमता कम करने का कार्य भी यह डी.डी.टी. रसायन करता है।

क्लोरो पायरी फॉस का दुष्प्रभाव :

मानव शरीर के तन्त्रिका तन्त्र, थायराइड ग्रन्थि, तथा मांसपेशियों पर भयंकर दुष्प्रभाव इस रसायन का होता है।

मैलाथियान का शरीर पर दुष्प्रभाव :

मैलाथियान का सबसे अधिक दुष्प्रभाव शरीर के सभी अंगों पर पड़ता है। इस रसायन के कारण पक्षाघात का सबसे अधिक खतरा होता है।

कैफीन का शरीर पर दुष्प्रभाव :

इस रसायन का शरीर पर काफी बुरा असर होता है। अनिद्रा, घबराहट, चिन्ता, चिड़चिड़ापन आदि बीमारियां कैफीन के कारण होती हैं। इस कैफीन के कारण हड्डियों में ऑस्टियो पारोसिस नामकी भी बीमारी होती है। यदि गर्भवती स्त्रियों के शरीर में कैफीन की मात्रा कुछ अधिक हो जाये तो फिर पैदा होने वाला बच्चे के शरीर में काफी विकृतियां हो जाती हैं।

ठंडे पेयों में मीठापन लाने वाले रसायनों का दुष्प्रभाव :

ठंडे पेयों में मीठापन लाने के लिये सैक्रीन, एस्परेटेम तथा चीनी का उपयोग किया जाता है। सबसे अधिक उपयोग एस्परेटेम तथा सैक्रीन का होता है। ये दोनों ही रसायन मूत्रपिण्ड के कैंसर को पैदा करते हैं। साथ ही साथ ये दोनों रसायन शरीर की सभी ग्रन्थियों पर बहुत बुरा असर डालते हैं। एस्परेटेम रसायन से गर्भवस्थ शिशु पर बहुत बुरा असर पड़ता है।

Contents

सपनों के सौदागर	11
प्रतिश्रुत भूमि दर्शन.....	15
पेप्सीकोला के प्रोजेक्ट को कैसे मंजूरी मिली?.....	20
पेप्सी कोला कम्पनी द्वारा भारत सरकार को दिये गये धोखे	27
पेप्सी-कोला की भ्रामक विज्ञापन बाजी	32
कोका-कोला का भारत में प्रवेश	34
पेप्सी-कोला एवं कोका-कोला कम्पनियों द्वारा राजनैतिक हस्तक्षेप.....	36
भारतीय समाचार-पत्रों एवं पत्रिकाओं में पेप्सी-कोला के बारे में उद्घाटित सत्य	38
भारतीय संसद में पेप्सी-कोला के बारे में पूछे गये प्रश्न एवं सरकार के मंत्रियों द्वारा दिये गये उत्तर.....	42
पेप्सी-कोला एवं कोका-कोला के शीतल पेयों में कीटनाशक	46
पेप्सी-कोला एवं कोका-कोला क्या हैं?	49
पाबंदी क्यों नहीं ?.....	54

सपनों के सौदागर

यह रचना पेप्सी नामक एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी की भारत में घुसपैठ की वास्तविक कथा से सम्बन्धित है। इस कम्पनी की कार्यप्रणाली को गहरे से समझने के लिए कम्पनी के इतिहास को जानना आवश्यक है। और यहीं पाठक को कोला की दूसरी दानवाकार कम्पनी के इतिहास में डुबकी लगाने की आवश्यकता भी पड़ेगी ताकि भारतीय परिप्रेक्ष्य में यह समझा जा सके कि कैसे एक की कहानी दूसरे को प्रभावित करती है। क्योंकि यह कहावत है कि 'यदि कोक आता है तो क्या पेप्सी ज्यादा पीछे होगा?' और इसका उल्टा भी कहना ही सही है।

शुरुआत

1860 व 1870 के दशक में गृह युद्ध के पश्चात अमेरिका में विशेषतः, उजड़े दक्षिणी हिस्सों में एक भयंकर मन्दी के दौर के रूप में रहे। युद्ध के पश्चातविभिषिका के प्रभावों को दर्शाते हुए अटलाण्टा के एक अखबार ने लिखा "विषाद, ग्लानि, उन्माद, सर दर्द, शराबखोरी, धुक-धुकी और यहाँ तक कि नपुंसकता की भरमार है।" निश्चित रूप से ऐसी अवस्था नीम-हकीमों और छद्म चिकित्सकों के लिए बड़ी उर्वर थी जो तत्काल निदान व रोग शमन का दावा करते थे। इस तरह ई.सं. 1885 में जॉन पेम्बर्टन नामक अटलाण्टा के एक फार्मासिस्ट ने 'फ्रेन्च वाइन कोला - एक आदर्श नाड़ियों व शारीरिक क्षमताओं का उद्दीपक' नाम से पंजियन कराया जो कि तीन टांग वाले एक पात्र में पतवार द्वारा हिलाकर बनाया गया एक पेय था। यह पेय कोकीन, थोड़ी शराब एवं अन्य कुछ और वस्तुओं को मिलाकर बनाया गया। 1886 ई में पेम्बर्टन ने शराब के बदले कैफीन का प्रयोग किया तथा सुगन्ध के लिये कोला फल का सत्व मिलाया। पेय का नाम भी बदल कर तब कोका-कोला रखा गया जिसमें दोनो अक्षर को स्पेन्सर लीपि में लिखा गया जो कि देखने में और आकर्षक लगने लगे। लेकिन पेम्बर्टन कोई व्यापारी नहीं थे और उन्होंने 'कोक' फार्मुले को (जो कि अब मर्चेन्डाइस 7 कहलाता है, एक तिजोरी में सुरक्षित रखा हुआ है) मात्र 2300 डालर के बदले जार्जिया के व्यापारी ऐस कैन्डलर को 1889 ई. में बेच दिया। यह कैन्डलर ही था जिसने इस पेय के वृहतर बाजारों को बनाया। उसने इस पेय के घोल को थोक व्यापारियों को बेचा जो कि छोटे दुकानों को बेचते थे जो अपने दुकानों में गैस वाला पानी (सोडा वाटर) मिलाकर सोडा फाउन्टेनों (सोडावाटर की दुकानों) में आपूर्ति करते थे। इसी वर्ष बेन्जामिन एफ थामस एवं जोसफ पी. व्हाइटहेड ने कैन्डलर से मिलकर कोकाकोला को बोतलों में भरकर बेचने का व्यापारिक प्रस्ताव दिया। कैन्डलर को इस प्रस्ताव में विशेष दम नहीं दिखा अतः उसने एक डालर प्रति बोतल के दर से बोतल बन्द करने का अधिकार बेच दिया, थामस एवं व्हाइटहेड ने बाटलिंग अधिकार का उप-ठेका क्षेत्रीय बाटलरों को दिया और इस तरह विक्रय अधिकार के साथ बाटलिंग पद्धति का चलन हुआ जो कि आजतक शीतल पेय उद्योग की विश्वव्यापी मुख्य धारा है। अब तक कैन्डलर की कोकाकोला कंपनी पूर्णरूपेण सामने आ चुकी थी और वह इसे 1919 ई. में 25 मिलियन डालर में बेचने के

काबिल बन चुका था। नये खरीददार अटलान्टा के उद्यमी अर्नेस्ट वुडरफ थे जिनके पुत्र राबर्ट ने कोक को आज की दन्तकथा बनाया। जब 1923 में राबर्ट वुडरफ ने कार्य सम्भाला, तब कोका कोला ने कॅनाडा, क्यूबा और प्युरिटोरिको में प्रवेश किया, लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में यह अनजान ही रहा। यह वुडरफ की कल्पना के अनुरूप नहीं रहा। अपने बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स की अवहेलना करते हुए उसने यूरोप में पेय को चलाने की कोशिश की और उसमें सफलता पाने पर उसने विदेश विक्रय विभाग खोल लिया किन्तु पूरे विश्व में कोकाकोला की उपस्थिति का एकमात्र सबसे महत्वपूर्ण कारण था द्वितीय विश्व युद्ध। अमरीकन सैनिकों को, (GI) वह जहाँ भी हों उनके हाथ में एक कोक की बोतल थमाने के वुडरफ के निर्णय ने अच्छा लाभ दिया। अमरीकन सरकार ने जगह-जगह बाटलिंग संयंत्र की स्थापना करवायी क्योंकि हरें रंग की ये बोतलें घर की यादों से पीड़ित सैन्यों का मनोबल बढ़ाने में सहायक होती थीं।

इस दौरान वह दूसरा व्यक्ति कहाँ था? पेप्सी की कहानी काफी उतार-चढ़ाव से भरी है, और उसकी हरेक उपलब्धि कठिन लड़ाई के बाद हासिल की हुई है। पेप्सी का प्रारम्भ भी कोक की तरह ही हुआ। उत्तरी कैरोलिना के एक दवा बनाने वाले, कैलेब ब्रैडहैम ने 1898 में पेप्सी-कोला नाम से एक और रामबाण पेय का निर्माण किया। इस बार यह पेय सिर्फ बदहजमी दूर करने के लिये लाया गया। सन् 1902 में ब्रैडहैम ने एक व्यापार चिन्ह (ट्रेडमार्क) का पंजीकरण कराया तथा गंभीरता से व्यापार शुरू किया। सन् 1905 में इनका पहला बाटलिंग संयंत्र लगा। सन् 1902 के मात्र 8000 गैलन से ब्रैडहैम 1907 में 100,000 गैलन की बिक्री करने लगा था। प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होते ही चीनी की कीमतें आकाश छुने लगीं और पेप्सी की मुश्किलों चीनी बाजार पर पकड़ बनाते-बनाते देखा कि 1920 में कीमतें औंधे मुंह जमीन पर गिरने लगीं थी। सन् 1923 में कंपनी का दिवाला निकल गया। रॉय मेगरजेल नामक वाल स्ट्रीट शेयर बाजार के एक दलाल ने ब्रैडहैम से कंपनी को ले लिया, लेकिन इस तथ्य के बावजूद उसने अपना काफी पैसा इसमें लगाया, शेयर बाजार के बैठ जाने के कारण एक बार फिर कंपनी दिवालिया हो गई। इस बार पेप्सी के उद्धार के लिये चार्ल्स गुथ मसीहा बना। लाफ्ट कैन्डी कंपनी के अध्यक्ष गुथ ने पेप्सी के फार्मुले को बदला और अपने शीतल पेय के दुकानों में ही रखा। सन् 1933 तक फिर से डूबने की पुरानी अनुभूति वापस आने लगी। गुथ के पास कंपनी को, कोक कंपनी को शर्मनाक तरीके से बेचने के अलावा कोई उपाय नहीं बचा था। लेकिन कोक ने इस तरह की अंधकारमय भविष्यवाली कंपनी को खरदीने में कोई रुचि नहीं ली, जो कि एक बड़ी भूल थी। उबरने की अंतिम चेष्टा में गुथ ने एक सौदा पेश किया—12 औंस की बोतल सिर्फ 5 सेन्ट में, जो कि उस मूल्य पर दुगना माल था। अंततः बिक्री एवं मुनाफा दोनों ही बढ़ने लगा। लेकिन गुथ के भाग्य में पेप्सी को ज्यादा दिनों तक चलाना नहीं लिखा था और कर्मचारियों की हड़ताल के चलते उसे पदत्याग करना पड़ा। सन् 1938 में वाल्टर मैक ने कंपनी की कमान संभाली और उसने आकर्षक विज्ञापनों का सिलसिला शुरू किया, जो आज भी पेप्सी के विपणन की मुख्य शैली है। अत्यधिक लोकप्रिय कामिक स्ट्रीप, रेडियो विज्ञापन अन्ततः कंपनी को सामने ले आई, तबतक द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था, जिसमें पेप्सी, कोक की भांति भाग्यशाली नहीं बन पाई। चीनी का नियंत्रण पेप्सी के लिये एक धक्का था जो कि वुडरफ की देशभक्त छवि के चलते कोक को नहीं झेलना पड़ा और युद्धोत्तर तेजी ने पेप्सी के “फायदे का सौदा” को स्वीकार नहीं किया। कंपनी के लाभ का ग्राफ लगातार गिरता गया और पतन का यह दौर सन् 1949 में अल स्टील के अध्यक्ष बनने तक जारी रहा। स्टील ने विशेष ढंग की बोतलों के प्रयोग के साथ नये तरीकों की विपणन नीति की शुरुआत कीया एवं पेप्सी को ‘कम कैलोरी का ताजगी वाला पेय’ के रूप में

प्रचार किया, भाग्य फिर पलटा और सन् 1959 तक कंपनी 700 % मुनाफा कमाने तक पहुंच गई। अब पेप्सी, कोक की एक कट्टर प्रतिद्वन्दी बनने की स्थिति में पहुँच गई। सन् 1963 में डोनल्ड एम. कैन्डल का आगमन हुआ, और उसके बाद फिर पेप्सी ने 'पेप्सी चैलेन्ज' प्रतियोगिता का प्रवर्तन किया जो कि एक अंधा स्वाद परीक्षण का सिलसिला था जो जगह-जगह पर जन-साधारण के सामने आयोजित किया जाता था जिसमें जनता ने पेप्सी के मीठे स्वाद को कोक के स्वाद से ज्यादा पसन्द किया। कैन्डल की सबसे बड़ी जीत का सनद तत्कालीन रूस के प्रधान खुश्चेव का मास्को में अमरीकन राष्ट्रीय प्रदर्शनी में पेप्सी पीते हुए फोटो था जिसे प्रमुखता के साथ कंपनी ने भुना लिया। पेप्सी की एकसूत्रीय विज्ञापन योजना, (जिसकी चर्चा बाद में की गई है) ने वस्तुतः कोक को इतना झकझोर दिया कि उसे व्यापार जगत की सबसे बड़ी भूल कहे जाने वाले कार्य को करने के लिये मजबूर कर दिया। यह कोक द्वारा पेप्सी के मीठे स्वाद से टक्कर लेने के लिये 'न्यू कोका' का बाजार में उतारना था। पेप्सी को इस धूर्तता पूर्ण प्रयोग का फायदा 'न्यू कोका' के आने का नहीं बल्कि पुराने कोक के हट जाने का हुआ। इससे ग्राहकों में असंतोष पैदा होने से फिर से पुराने कोक को 'कोक क्लासिक' के नये नाम से बाजार में आना पड़ा। आखिर एक पेय के फार्मुले में बदलाव होने से जनता में क्यों हलचल और भड़ास पैदा हुई? जो कि सिर्फ— ऐपल कम्प्यूटर कंपनी के सर्वसर्वा स्टीव जोन्स के शब्दों में — "सुगन्धित चीनी घुला पानी है।" इस तथ्य को समझने के लिये कोक या थोड़ा हटकर पेप्सी का अर्थ समझना जरूरी है। जैसा कि पेप्सी के वर्तमान अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी रोजर एनरिको कहते हैं कि, "यह सिर्फ चीनी और सुगंधों का मिश्रण नहीं है, बल्कि रससिद्ध काढ़ा है। अथवा कान्सास के अखबार के सम्पादक विलियम व्हाईट के प्रशस्ति के अनुसार अमरीका के सब कुछ का सार कोकाकोला है।" द्वितीय विश्व युद्ध में सैनिकों के लिये प्रतीक रूप में जो शुरुआत हुई थी वह अब एक 'राष्ट्र प्रतीक' में रूपांतरित हो चुका है। कोक का निशान सभ्यता का निशान है। जैसा कि कहते हैं — "जब आप कहीं एक कोकाकोला का निशान नहीं देखते हैं तो समझें कि आप सभ्यता की सीमा पार कर चुके हैं।" कोक का सान्टा क्लॉज विज्ञापन, उसकी देशप्रेमिकता, यही अमरीका है। मात्र 400 साल के इतिहास वाले एक देश की, कोक एक परम्परा है। पेप्सी भी अमरीकीपन को ही भुनाता है लेकिन थोड़े दूसरे तरह से। यह जवान अमरीका है, निडर और थोड़ा उदण्ड भी लेकिन सबकुछ एक ईमानदार व्यापारी जैसा, दोनों पेयों में समानता यह है कि दोनों, बोटलों में अमरीकी सपनों को बेचते हैं। इस तरह अमरीकी मिथक का निर्माण होता है।

पिछले तीन दशकों ने इन कंपनी या निगमों (कार्पोरेशन) को विश्व के 50 बड़े भाग्यशालियों की सूची (फार्चुन लिस्ट) में चढ़ते देखा। यह कई कारणों से हुआ। पहला—शीतल पेय उद्योग की तेजी—उत्तेजक विज्ञापन तथा विपणन, अमरीका में इसका बेतहाशा विपणन इन्हें वहाँ कानं एक का पेय बनाना जो कि पीने के लिये पानी को भी पीछे छोड़ दिया। दूसरा—कोक एवं पेप्सी दोनों का सम्बंधित एवं असम्बंधित क्षेत्रों में व्यापार का विस्तार, उदाहरण के लिये कोक कंपनी कोलम्बिया पिक्चर्स नामक फिल्म कंपनी का मालिक बना तथा 'घोस्टबस्टर्स' जैसी फिल्म निर्माण किया, जबकि पेप्सी ने सेवन-अप, टैको बेल, फ्राइटो-ले, पिज्जा हट के अधिग्रहण के साथ ही 16,000 केन्टकी फ्रायड चिकन बेचने वाली इकाईयों को खरीद लिया। वस्तुतः पेप्सी कम्पनी के कुल व्यापार का मात्र 38% शीतल पेय का हिस्सा है। तीसरा — इन पेयों की अन्तरराष्ट्रीय उपस्थिति है— आज विश्व के 155 देशों में कोक एवं 151 देशों में पेप्सी बिकती है। शायद विश्व इतिहास का कोई विश्वविजेता भी इतनी जमीन नहीं जीता होगा जितनी इन दो बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने हासिल की।

अन्तरराष्ट्रीय शीतल पेय बाजार का 90% इन दो कम्पनियों के कब्जे में है। विशिष्ट बहुराष्ट्रीय कंपनी के अनुरूप दोनों कम्पनियों का मकसद विकासशील देशों को सिर्फ शीतल पेय बेचने का नहीं है, जो कि अभी तक विलासिता की वस्तु है, बल्कि एक जीवनशैली थोपना है जो कि वहाँ के निवासी वहन न कर सकें। दोनो ही विश्व में अमरीका के प्रधान्य विस्तार तथा घुसपैठ के पर्यायवाची बन चुके हैं। पेप्सी की उपस्थिति हर जगह सिर्फ व्यापारिक कारणों से ही नहीं है जिसका साक्ष्य चिली जैसे देश के कटु अनुभवों से स्पष्ट है, लेकिन ये घटनायें बाद में विस्तारित की जायेंगी।

दोनो बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का भारत में पदार्पण लगभग एक ही समय में हुआ। लेकिन पेप्सी अपने पुराने सस्ते पेशकश (कोक के 4 आने में 6 औंस के मुकाबले 5 आने में 10 औंस) के बावजूद पचास के दशक के मध्य में अपनी दुकान समेटने को बाध्य हुआ। कोक नाममात्र की प्रतिद्वंदिता के बीच एकछत्र राज करता रहा। कोक एवं पेप्सी के आगमन के पूर्व यह क्षेत्र पूर्ण रूप से असंगठित रहा जिसमें कुछ अर्धस्वचालित तथा हाथ से चलने वाले यंत्रों के जरिये प्रति मिनट ज्यादा से ज्यादा 10 से 20 बोतल उत्पादन था। आज के 600 बोतल प्रति मिनट की तुलना में ये पुरानी फैक्ट्रियाँ अपने स्थानीय बाजारों को ही ज्यादातर गोलीवाली बोतलों में आपूर्ति करती थीं। जल-शोधन, विक्रय अधिकार यहाँ तक कि विज्ञापन तक का कहीं नाम नहीं था। इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के आगमन ने पूरे व्यापार प्रक्रिया में क्रांति जरूर पैदा कर दी, लेकिन इसमें किसी स्थानीय उद्योग को न तो शामिल किया गया, और न ही यह सम्भव था। यह स्थिति सन् 1977 तक सरकार के बदलने एवं साथ ही नियमों के परिवर्तन तक चलती रही। नये नियमों के तहत विदेशी मुद्रा नियंत्रण कानून (FERA) के अनुसार बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को 40% हिस्से तक सीमित रखना था। यह कोक के लिये अकल्पनीय था, क्योंकि विश्व में कहीं भी कोक 100% स्वामित्व वाली इकाई में ही मूल घोल का उत्पादन करती रही। सबसे बुरी बात यह थी कि परमगोपनीय, ट्रस्ट कंपनी, जार्जियो के तिजोरी में सुरक्षित मर्चेन्डाइस 7 X (जहाँ तक पहुँच सिर्फ कंपनी के तीन उच्चपदस्थ अधिकारी, जो कि एक साथ वहाँ तक सफर नहीं करते थे एवं अपनी मृत्यु होने की सूरत में किसी दूसरे अधिकारी को नामित करके चलते थे) को उजागर करना पड़ता। इस कारण कोका कोला भारत से प्रस्थान कर गया।

इन घटनाक्रमों के बाद ही भारतीय शीतल पेय उद्योग अपने स्वरूप में विकसित हुआ। कोक के बॉटलर चरणजीत सिंह ने कैम्पा कोला बाजार में उतारा, पार्ले के रमेश चौहान ने थम्सअप तथा ड्यूक एवं स्पेन्सर जैसे दूसरे निर्माता बाजार में आये। आज बाजार की हिस्सेदारी लगभग निम्न रूप से है:

पार्ले-65%

प्योर ड्रिंक्स- 19%

अन्य- 16%

शीतल पेय उद्योग ने अत्युत्तम विकल्प पेश करने का शानदार मोर्चा लिया है। पार्ले आज अफ्रीका, मध्य-पूर्व, सोवियत संघ एवं अमरीका को निर्यात करता है। जब कि, दो राष्ट्रीय महाबली पार्ले एवं प्योर ड्रिंक्स के साथ क्षेत्रिय उद्योग जैसे ड्यूक, स्पेन्सर एवं अब मैकडावल भी हैं।

लेकिन न तो कोक और न ही पेप्सी अभी समाप्त हो गये थे। वे एक किनारे हटकर रुख देख रहे थे और इन्तजार कर रहे थे। उनके लिये यह एक मोर्चे की हार थी न कि युद्ध में हार विशेषकर पेप्सी अकेले राज करने की धुन में कोक द्वारा हारी हुई जमीन हथियाने के लिये तैयार हो रही थी। इन्तजार का यह खेल चलता रहा और ओरवेल के 1984 के दो साल बाद पेप्सी ने अपना मौका आते देखा।

प्रतिश्रुत भूमि दर्शन

भारत हमेशा ही इन दो शीतल पेय महाबलियों के लिये स्वर्णिमभूमि, एवं खोया हुआ स्वर्ग का मिश्रण रहा। 'पेप्सीको वर्ल्ड वाइड बेवरेजे' के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी रोजर एनरिको भारत को 85 करोड़ प्यासी आत्माओं का गरम देश कहते हैं। भारत की संभावनायें अपार हैं। भारत में शीतल पेय की खपत प्रति व्यक्ति मात्र 2.8 बोतल प्रति वर्ष है जबकि बंगलादेश में यह खपत 26 बोतल है। पाकिस्तान में प्रति व्यक्ति खपत 13, थाईलैण्ड में 86, और यूरोप तथा अमरीका में यह संख्या क्रमशः 180 और 386 है। पेप्सी इन आँकड़ों को भ्रमित करने के लिये उपयोग कर रहा है और प्रतिवर्ष सम्भावित बढ़ोत्तरी 900% का लक्ष्य पेश कर रहा है। विश्व में शीतल पेय की बढ़ोत्तरी की दर औसतन 6 से 8% तक स्थिर है। (भारत में 1990-91 में बढ़ोत्तरी दर स्थिर थी) जबकि पेप्सी के आँकड़े काफी बढ़े-चढ़े हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत पेप्सी जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिये एक उपयुक्त शिकारगाह है और पेप्सी ने अपने सभी संवेदकों को उचित अवसर की ताक में तैयार रखा।

यह पेप्सी को अच्छी तरह से पता था कि मात्र शीतल पेय को अपनी झोली में रखकर वह भारत में किसी भी तरह प्रवेश नहीं पा सकता। हालांकि भारत की नीतियाँ सन् 1977 के बाद काफी नरम होती गईं, लेकिन यह असम्भव ही था कि कोई भी कट्टर समाजवादी देश शीतल पेय जैसी एक गैर प्राथमिकता एवं गैर-जरूरी वस्तु के व्यापार को छूट दे दे। यह एक सार्थक अवस्था होती अगर 'उन्हें केक खाने दो' की छवि बनाने देते तो हमारे नेताओं की लोकप्रियता में भयंकर कमी आ सकती थी और उनके लिए यह राजनैतिक आत्महत्या होती। यह पेप्सी को स्पष्ट आभास था। अतः उस वक्त आवश्यकता थी कथानक में थोड़े परिवर्तन की। शीतल पेय को पीछे रखकर जनता को स्वीकार्य मुखौटा सामने रखने की आवश्यकता थी, इसलिये खाद्य वस्तु संसाधन का ढोंग शुरू हुआ। यह अनुभव किया गया कि यदि कोई प्राथमिक रूप से खाद्य संसाधन कार्य पर केन्द्रित, जो कि सीधे तौर पर कृषि अर्थशास्त्र से संबन्धित हो ऐसी-परियोजना लाई जाये तो उसे सही मायने में छूट मिल सकती है। शीतल पेय तब एक किनारे रहे और पूरी परियोजना के सहायक रूप में उपलब्ध रहे। इतना स्थापित करने के बाद पेप्सी ने डन्कन इंडिया की सहयोगी संस्था (एग्रो प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट इंडिया प्रा. लि.) से एक संयुक्त उद्यम का गठजोड़ किया। अप्रैल 25, 1985 को उद्योग विकास मंत्रालय के सचिव को एक आशय पत्र जमा किया गया। (यह याद रखना चाहिये कि उस वक्त खाद्य संसाधन मंत्रालय का गठन नहीं हुआ था) संयुक्त उद्यम के उद्देश्य में यह कहा गया कि "भारत में तैयार कृषि आधारित उत्पादों के निर्यात की उन्नति एवं विकास तथा पेप्सीको के उत्पादों का भारत में प्रवर्तन व विकास को प्रोत्साहित करना," इन लक्ष्यों के अनुरूप संयुक्त उद्यम की स्थापना 1) भारत में उत्पादन एवं निर्यात प्रयासों में पूँजी की व्यवस्था 2) चुनिंदा उत्पादों एवं सेवाओं का विस्तृत अन्तरराष्ट्रीय बाजार में निर्यात, 3) पेप्सी कोला इन्टरनेशनल से संबंधित तकनीकों को, विदेशी मुद्रा को बाहर भेजे बिना, प्राप्त करना, 4) 'पेप्सी को इन्क' से सान्द्र घोल के आयात की व्यवस्था कर उसकी स्वतंत्र बॉटलरों को बिक्री एवं आपूर्ति, 5) पेप्सीको शीतल पेय के घोल के आयात में लगने वाले डालर राशि के तीनगुना लागत के निर्यात की व्यवस्थापना।

इस विषय में यह प्रशस्ति जोड़ा गया कि कैसे पेप्सी कंपनी अपने अरबों डालर की उपस्थिति एवं विश्व, विशेषकर मध्य-पूर्व के अनुभव तथा अपने संपूर्ण तकनीकी एवं प्रबन्ध के अनुभवों के साथ एक सही पार्टनर बन रहा है। 1) देश के कृषि क्षेत्र के प्राथमिक शक्ति का उत्थान, 2) नये निर्यात अवसरों का निर्माण एवं विदेशी मुद्रा का 3:1 के निर्यात-आयात अनुपात से, आहरण 3) उत्पाद गुणवत्ता एवं भारत में निर्यात छवि की बढ़ाई 4) खाद्य संसाधन, पैकेजिंग एवं शीतल पेय निर्माता के सर्वोत्कृष्ट तकनीकों का बिना विदेशी मुद्रा खर्च किये आयात 5) दुसरे संबंधित व्यापारों के लिये इस परियोजना का उद्दीपक का काम करना 6) शीतल पेय उद्योग के बढ़ाने में 7) औद्योगिक विस्तार से उपकरणों के निर्माण को मजबूती से बढ़ाने के अवसरों का प्रजनन 8) उद्योगों एवं कृषि क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों के बनने के साथ कृषि, खुदराबिक्री तथा वितरण में क्षेत्रीय उद्यम के अवसर एवं 9) उपभोक्ता बाजार के विस्तार से सरकारी आय में मजबूत बढ़ोत्तरी।

प्रस्ताव के अंत में यह निष्कर्ष कहा गया कि यह अपने विस्तृत लक्ष्यों के कारण अर्थव्यवस्था के कितने अनुरूप है तथा, "राष्ट्रीय प्राथमिकताओं जैसे निर्यात, कृषि, रोजगार एवं तकनीकी ज्ञान में विशेष रूप से सहायक है।" विस्तार से यही 20 मिलियन रूपये के सयुक्त उद्यम का प्रस्ताव था। यह प्रस्ताव प्रथानुसार छानबीन से गुजरने के बाद उच्चाधिकारियों, जिनके अधिकार क्षेत्र में यह परियोजना पड़ती है, अग्रसारित किया गया। ऐसे ही एक अधिकारी संस्था 'पंजाब एग्रो इन्डस्ट्रीज कार्पोरेशन' से जिसके निदेशक अमिताभ पाण्डे थे, पेप्सी एवं डन्कन ने सलाह एवं सहयोग के लिये संपर्क किया। डन्कन एन्टरप्राइज के कारपोरेट रिसोर्सज उपाध्यक्ष एन.के.प्रसाद को संबोधित एक पत्र में पाण्डे ने लिखा।

भारत सरकार को दिये गये आपके प्रार्थना पत्र को मैंने देखा और पाया कि प्रस्तावित खाद्य वस्तु उद्योग के लाभ के पक्ष में जो दावे किये गये हैं वे पूरी तरह से असंगत है। खाद्य संसाधन व्यवसाय में पड़ने वाले नाममात्र के प्रभाव तथा वस्तुतः कोई नयी पूँजी का न लगना और किसी नये तकनिक का प्रयोग इस प्रस्ताव में न होने के कारण इस प्रस्ताव के पंजाब सरकार के समर्थन प्राप्ति के लिये मुझसे कोई समर्थन या वकालत की अपेक्षा न करें," उस वक्त देश में पेप्सी के आने की पहली कोशिश की यह प्रतिक्रिया रही। (पाण्डे के दृष्टिकोण पेप्सी की दूसरी कोशिश के सन्दर्भ में काफी महत्वपूर्ण हैं।) कहने की आवश्यकता नहीं है कि पेप्सी के प्रस्ताव किसी को भरमा नहीं पाए और सांद्र घोल का आयात नहीं किया जा सका तथा घरेलु शुल्क क्षेत्र (DTA) में विदेशी आवर्ड का प्रयोग न हो सकने के आधार पर खरिज कर दिया गया।

लेकिन पेप्सी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। यहीं पर रमेश वांगल (वर्तमान प्रबन्ध निदेशक, पेप्सी फूड्स इन्डिया) का आगमन होता है। लन्दन संस्था में काम करने के बाद 'हर मुश्किल आसान' के रूप में यह ख्यात हुए। पेप्सी के शिकारियों ने वांगल से सम्पर्क किया, और उसके बाद उनसे मिश्र (ईजीप्ट) में प्रवेश कराने के कार्य को साधा। डन्कन की पूर्ण असफलता के पश्चात वांगल को 1) कठीन परिस्थितियों को हल करने की क्षमता एवं 2) एक अनिवासी भारतीय होने के कारण मैदान में लाया गया।

पेप्सी अब इस तथ्य को हृदयंगम कर चुका था कि उसके परियोजना की स्वीकृति के लिये राजनैतिक प्रचार एवं सहारे की आवश्यकता ही प्रमुख है। उसने यह भी जान लिया था कि खाद्य संसाधन के नाम पर वाक्जाल फैलाना काफी नहीं है। उनको बात करने के लिये सार्थक, विस्तृत एवं विशिष्ट लाभवाले तर्कों की आवश्यकता है। इन बातों को दिमाग में रखकर उन्होंने अपनी आखिरी कोशिश शुरू की। और यह कहना पड़ेगा कि ये उनकी ओर से एक बहुत ही संगठित व सुनियोजित प्रयास था, जबकि यह एक महानतम धोखा था जो कि देश को भोगना था। इस बार उनके साथी थे सरकारी संस्था पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन

(PAIC) तथा टाटा की संस्था वोल्टास जो कि (PAIC) के साथ वोल्फार्म नाम से शीतल पेय उद्योग में अपनी कोशिश देख चुके थे जो बहुत सफल नहीं हो पाई।

उपरोक्त अमिताभ पाण्डे, जो कि डन्कन के प्रस्ताव को सिरे से नकार चुके थे, अब इसी परियोजना की स्वीकृति के कट्टर समर्थक के रूप में खड़े हुए। 10 अगस्त, 1985 को उन्होंने एक गुप्त टेलेक्स (PAIC) से पेप्सीको के क्राईस्ट अलब्राइट एवं नेस्टर काबेनिल-वरिष्ठ उपाध्यक्ष, पेप्सीको, को संबोधित कर भेजा। पूरी तरह से पलटी खाकर अब वह एक मध्यस्थ एवं चाटुकारिता की हदतक सहायक बने। उन्होंने पेप्सी को राजनैतिक एवं नौकरशाही सहारों को एकत्रित करने का सुझाव दिया। पाण्डे का टेलेक्स (उपबन्ध में मुद्रित) स्वयं इसकी व्याख्या करती है।

मि. जे.सी.चोपड़ा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष वोल्टास एवं पंजाब सरकार में मेरे साथियों से विचार विमर्ष हुआ। मैंने सरदार प्रकाश सिंह बादल से भी बातें की। इन चर्चाओं के आधार पर मेरा यह सुनिश्चित मत है कि यह प्रस्ताव एवं प्रार्थना पत्र, जैसा कि यह है, सरकारी स्वीकृति या पंजाब सरकार का पूर्ण समर्थन नहीं पा सकता है। वर्तमान प्रस्ताव का सिर्फ सुधार ही नहीं बल्कि पूरी तरह से त्याग कर एक नया प्रस्ताव देना होगा। नये प्रस्ताव के पंजाब सरकार से पूरा समर्थन पाने की आशा की जा सकती है, यदि इसे निम्नलिखित तरीके से बनाया जाये मैं आशा करता हूँ कि यह टेलेक्स गुप्त रखा जाएगा तथा वर्तमान में इसकी कोई चर्चा डन्कन के साथ नहीं की जाए। मैं फिर से कहता हूँ कि नहीं की जाये। यदि उपरोक्त सुझाव स्वीकार्य हों तो मैं चाहता हूँ कि आप तुरंत राज्यपाल श्री अर्जुन सिंह या मुख्य सचिव श्री पी.एच.वैष्णव को पहले की मुलाकातों का हवाला देते हुए एवं उपरोक्त तरीकों के तहत गठबन्धन की संभावनाओं को बताते हुए लिखें। यह पत्र पेप्सी के तरफ से जाना चाहिये न कि डन्कन, वोल्टास या किसी भारतीय संस्था की ओर से। एकबार इस आशय का पत्र भेजने के पश्चात मेरा सुझाव है कि आपकी टोली चन्डीगढ़ एवं पंजाब में तीन या चार दिन रहकर प्रस्ताव के मुद्दों पर विस्तार से कार्य करे तथा सभी उच्चाधिकारियों से एवं राजनैतिक व्यक्तियों से मिले। इत्यादी.....”

पंजाब सरकार से सम्बद्ध एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी का एक संस्था जिसका कि वह शुरू में विरोध कर चुका हो, इस तरह के पत्राचार के प्रभाव को गंभीर कहना भी कम ही है। इस बुद्धि पलट का कारण क्या है? पाण्डे के नीयत की विभागीय जाँच जरूरी लगती है।

अगस्त 6,1986 को अंततः (PAIC) ने पेप्सीको इन्क के साथ “संयुक्त कृषि उद्योग उद्यम विशेषकर खाद्य संसाधन के क्षेत्र के लिये” एक विदेशी सहयोग हेतु औपचारिक प्रार्थनापत्र पेश किया।

यह संयुक्त उद्यम इस बार (PAIC) पेप्सीको एवं डन्कन की जगह टाटा की सहयोगी वोल्टास लिमिटेड का सम्मिलन था। इस बार खाद्य संसाधन के ऊपर जोर डाला गया तथा शीतल पेय को कम महत्व दिया गया। पेप्सी को सबक मिल चुका था। कुछ भी हो प्रस्ताव में कोई विशेष भिन्नता नहीं थी। इस पर बाद में विस्तृत चर्चा की जायेगी। जो भी हो प्रस्ताव का संक्षिप्त पर्यावलोकन निम्नांकित है। पेप्सीको, एवं वोल्टास लि. द्वारा एक संयुक्त उद्यम का प्रवर्तन।

मालिकाना – विदेशी : पेप्सीको – 39.89%

भारतीय : 60.11% (PAIC) वोल्टास

कुल इक्विटी – रु. 9 करोड़

कुल पूँजी – रु. 22.55 करोड़

उद्यम के मुख्य घटक

- कृषि अनुसंधान केन्द्र (पूँजी निवेश – 1.55 करोड़)
 - आलू/शष्प संसाधन इकाईयाँ (निवेश – 8 करोड़)
 - फल/सब्जी संसाधन इकाईयाँ (निवेश – 7.5 करोड़.)
 - शीतल पेय सांद्र घोल इकाई (निवेश – 5.5 करोड़)
 - कच्चे माल का उपयोग (पंजाब में) – 80,000 मिट्रिक टन
नाशपाती, टमाटर, सेव, आम (फल/सब्जी उत्पादन का 25:)
20,000 मिट्रिक टन आलू एवं शष्प (कुल उत्पादन का 7:)
 - निर्यात प्रतिबद्धता :
 - कुल कारखाने में उत्पादन मूल्य का 50%
 - विदेशी मुद्रा का आयत-निर्यात का अनुपात 3:1 (निर्गम में पूँजीगत यन्त्रादि, कच्चा माल, डिविडेण्ड इत्यादि सम्मिलित)
 - निर्यात प्रतिबद्धता अवधि 10 वर्ष
 - न्यूनतम सम्मिलित निर्यात आय प्रतिबद्धता रू-200 करोड़।
- यह पेप्सी के अपने ही शब्दों में प्रस्ताव का विस्तृत सारांश है। धोखाधड़ी की और गहरी जाँच बाद में दी जायेगी।

नौकरशाही छानबीन

किसी भी परियोजना की स्वीकृति के लिये यह साधारण प्रक्रिया है कि संबंधित मन्त्रालय प्रस्ताव को परियोजना स्वीकृति परिषद PABको देता है। इस प्रस्ताव के सन्दर्भ में भी यही किया गया। PAB ने अपनी छानबीन पेप्सी को उपलब्ध आंतरिक खाद्य संसाधन तकनीकों को मद्देनजर रख कर शुरू किया, होनेवाले तकनीकों के स्थानान्तरण की प्रकृति एवं तरीके, इससे उत्पन्न होने वाले रोजगार के अवसर इत्यादि। इसके लिये PAB में चुने गये सचिवों की 16 सितम्बर, 1986 को बैठक हुई। बाद में PAIC के अफसर लोग कृषि एवं सहकारिता सचिव श्रीनिवास शास्त्री से मिले एवं परियोजना के निस्तारणों के लिये प्रार्थना कि। 22 नवम्बर 1986 को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मन्त्रालय के सचिव वी. विजयशेखरन ने उद्योग मन्त्रालय के उद्योग विकास विभाग के सचिव को लिखा:

“सभी प्रमुख लक्षणों के साथ देश के लाभार्थ, इत्यादि प्रस्ताव के पक्ष में नहीं है। पेप्सीको की 30: व्यापार कृत्रिम वस्तुओं को भारत में बेचने की परियोजना खाद्य संसाधन उद्योग को क्षति पहुँचायेगी।”

22 जनवरी, 1987 को आर्थिक व्यापार विभाग (डिपार्टमेन्ट आफ इकोनॉमिक अफेयर्स) एफ.एन.टी.एन्ड टी सेक्शन ने निम्नलिखित बातें कही : शीतल पेय न्यूनतम प्राथमिकता का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में पेप्सीको के आगमन से घरेलु उत्पादकों को सम्यक क्षति होगी। प्रश्न है कि किस प्रकार विदेशी मुद्रा का निर्गमन एवं निर्यात आय के समन्वय पर प्रभावी रूप से नजर रखी जाय। प्रश्न जो कि ध्यान में रखना है, “यह है कि एक बार इकाई के स्थापना के पश्चात सरकार के पास प्रस्तावित निर्यात के न होने पर क्या विकल्प रहेगा?”

27 मई, 1987 को एक विशेष PAB ने निश्चय किया कि कृषि विभाग के अतिरिक्त सचिव के नेतृत्व में एक दल खाद्य, फल एवं सब्जी संसाधन उद्योग में तकनीकी योग्यता एवं विशेषज्ञता के साथ ऐसी तकनीक को जाँचने एवं परियोजना में स्थानान्तरित करने की क्षमता की जाँच करेगी। आगे कहा गया कि यह दल

पेप्सी की 60% निर्यात की उत्तरदायित्व के निर्वाह के इच्छा का आकलन करेगी कृषि अनुसंधान तथा कृषि संसाधन में पेप्सीको की योग्यता एवं अनुभव के बारे में विशेष चर्चा में 27 मई की बैठक में खाद्य विभाग ने यह कहा कि "उनके पास पेप्सीको की योग्यता एवं अनुभव के विषय में कोई निश्चित सूचना नहीं है। साथ ही PAIC द्वारा कोई निश्चित आश्वासन भी नहीं दिया गया है।"

यह तय किया गया कि कृषि संसाधन, खाद्य एवं सब्जी संसाधन तकनीक के स्थानांतरण के तकनीकी योग्यता के विषय में PAB को जाँच एवं आकलन के लिये और विस्तृत सूचनाओं की आवश्यकता है।

अगस्त 10,1987 को PAB की एक और बैठक बुलाई गई, लेकिन अतिरिक्त सचिव, कृषि विभाग द्वारा तकनीकी पक्ष में उनके सूचनाओं को जमा न करने के कारण कोई निर्णय नहीं लिया जा सका, जो भी हो कृषि विभाग को इस विषय में पत्राचार जारी रखने को कहा गया। जैसा कि यहाँ पता चलता है, खाद्य संसाधन पेप्सीको की तकनीकी क्षमता के बारे में जिज्ञासाओं के तहत अतिरिक्त सचिव, कृषि विभाग PAB को जानकारी दें,"CFTRI, मैसूर को भी तकनीकी संबंधित विषयों को जाँचने को कहा गया है।"

दस दिनों के बाद बुलाये गये दूसरे बैठक में अतिरिक्त सचिव, कृषि द्वारा माँगे गये विनिर्देशनों के जवाब में CSIR ने दर्ज कराया कि, "पेप्सीको का प्रस्ताव तकनीकी विस्तार का खुलासा नहीं करती। आगे, पेप्सीको एवं उसकी सहयोगी कंपनियाँ सिर्फ आलू एवं मक्के के उत्पादों के संशोधन की अनुभवी हैं।"

उपरोक्त नौकरशाही छानबीन की मेरी प्रकृति से यह स्पष्ट है कि यह प्रस्ताव मूलभूत मुद्दों को छुपाने में सफल नहीं हो पाई। यह स्पष्ट था कि नाम के अनुसार कोई भी तकनीकी स्थानान्तरण नहीं होने वाला था। फिर PAB ने सिर से इस प्रस्ताव को अस्वीकृत क्यों नहीं किया? इसके बाद 22.55 करोड़ की यह परियोजना मंत्रिमंडल को अग्रसारित किया गया। 6 सितम्बर, 1988 को पूरे प्रस्ताव को तात्कालिन प्रधान मंत्री राजीव गांधी द्वारा स्वयं चुने हुए मंत्रियों के एक दल को भेजा गया। शुरू में तात्कालीन वित्तमंत्री एन.डी. तिवारी इस दल के नेता थे, लेकिन उनकी जगह सरदार बूटा सिंह को यह पद दिया गया जो कि पेप्सी के अनुरागी के रूप में जाहिर थे। यह पूरी प्रक्रिया सरकार की अपनी ही बनाई हुई नीतियों के प्रति वचनबद्धता एवं नौकरशाही की संदेहात्मक कार्यशैली के लिये कई सवालों को जन्म देती है। यह इस परियोजना प्रस्ताव की खुली प्रगति थी जब तक कि इसे सर्वोच्च स्तर से निस्तारित किया गया। आखिर इतने विरोध और विरोधाभास वाली एक परियोजना को क्यों स्वीकृत किया गया?

पेप्सीकोला के प्रोजेक्ट को कैसे मंजूरी मिली?

भारत में जितना विरोध पेप्सी कोला के आने पर हुआ, उतना किसी अन्य विदेशी कम्पनी के बारे में नहीं हुआ है। समाचारपत्रों एवं मीडिया में भी पेप्सी कोला के बारे में बहुत कुछ लिखा गया। संसद में भी पेप्सी कोला के बारे में काफी बहस हुई। देश के कई भागों में भी पेप्सी कोला का विरोध हुआ। अखबारों में जिस तरह की रिपोर्ट पेप्सी कोला के बारे में छपी उनके कुछ उदाहरण—

- 1) “भारत को इस तकनीक की (साफ्ट ड्रिंक) कोई जरूरत नहीं है, जिस तरह की तकनीक को लेकर यह अमरीकी पेप्सी कोला आयी है। साफ्ट ड्रिंक (शीतल पेय) भारत का प्राथमिक क्षेत्र नहीं है। शीतल पेय ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें विदेशी पूंजी निवेश की जरूरत हो। पेप्सी कोला कम्पनी के पास जो भी तकनीक है, उसे भारत में ही विकसित किया गया है और उसे बेहतर भी बनाया जा सकता है।”
- 2) “भारतीय शीतल पेय उद्योग अपनी ताकत और क्षमता से ही आगे बढ़ा है आगे भी बढ़ता रहेगा। भारतीय शीतलपेय उद्योग को किसी विदेशी कम्पनी की कोई जरूरत नहीं है। अभी भारतीय बाजार में शीतल पेयों के लिये जो स्वयंपूर्णता है, वह विदेशी कम्पनी के आने से टूटेगी।”
- 3) “पेप्सी कोला जैसी कम्पनियों के अमरीकी गुप्तचर संस्था सी.आई.ए. के साथ घोषित सम्बन्ध है, और पेप्सी कोला का भारत आना खतरे का सूचक है।”
- 4) “पेप्सी कोला कम्पनी के वायदे बिल्कुल भी ध्यान देने लायक नहीं हैं। पेप्सी कम्पनी ने निर्यात के जो वायदे किये हैं, वे सभी खोखले साबित होंगे पेप्सी कोला की पूरी नजर भारत के घरेलू बाजार पर लगी हुयी है और यह कम्पनी भारत के घरेलू बाजार पर कब्जा करना चाहती है।”
- 5) “यदि पेप्सी कम्पनी भारत के किसानों और कृषि का कुछ भला करना चाहती है, तो उसे भारत से वापस चला जाना चाहिए।”

ऊपर लिखी गयी सभी बातें भारत के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई तथा संसद के दोनों सदनों में भी चर्चा में आयीं। संसद में सरकार की ओर से कई बार कहा गया कि पेप्सी कम्पनी को भारत में विशेष शोध और विकास के कार्य के लिये कहा जायेगा, जिससे किसानों को एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को लाभ होगा। लेकिन हर बार पेप्सी की ओर से कहा गया कि सिर्फ शोध एवं विकास के कार्य में पेप्सी कोला कम्पनी नहीं आयेगी। पेप्सी कम्पनी का भारत सरकार के साथ एक “पैकेज डील” हुआ था इसमें भारत के बाजार में शीतल पेय बेचने की बात पर ही पेप्सी कम्पनी ने अधिक जोर दिया। भारत के कई संगठनों एवं समाचार पत्रों ने यह डर व्यक्त किया था कि पेप्सी कोला एवं कोका-कोला जैसी कम्पनियाँ भारत के बाजार में एकाधिकार स्थापित कर लेंगी। यह डर बाद में सच साबित हुआ और आज बाजार में पूरी तरह से पेप्सी-कोका कोला का एकाधिकार बन चुका है। पेप्सी कम्पनी ने हमेशा से भारत में यही प्रचारित किया कि वह तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की एक कम्पनी है, जिसके कुल 20,000 करोड़ रु के व्यापार का दो तिहाई खाद्य प्रसंस्करण से ही आता है।” लेकिन यह सरासर झूठ है। पेप्सी-कोला हमेशा से ही शीतल-पेय कम्पनी रही है और इसका पूरा बाजार शीतल पेय का ही है।

संसद में इस विषय पर सरकार की कई बार खिंचाई की गयी कि सरकार अपनी घोषित नीति के विरुद्ध जाकर पेप्सी-कोला कम्पनी को भारत में बुला रही है। इसी सन्दर्भ में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव

गांधी को एक खुला पत्र सांसद चिमनभाई मेहता द्वारा लिखा गया था। चिमनभाई मेहता को कांग्रेस से निलम्बित कर दिया गया था। इस पत्र में कुछ इस तरह से लिखा गया – “

प्रिय श्री राजीवजी, हांलाकि मुझे कांग्रेस से बिना किसी आधार के निलम्बित कर दिया गया है, फिर भी मेरा कर्तव्य है कि मैं कांग्रेस पार्टी के हित में विचार करूँ। इसलिये यह पत्र आपको लिख रहा हूँ। इस पत्र के माध्यम से मैं एक बड़ी राजनैतिक भूल की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ, जो आपके द्वारा एवं आपकी पार्टी के द्वारा की गयी है। मुझे लगता है कि व्यक्तिगत रूप से आप ने पेप्सी-कोला प्रोजेक्ट को समर्थन देकर भारी गलती की है। अभी भी बहुत देर नहीं हुयी है, हम इस गलती को ठीक कर सकते हैं। हमें इस पेप्सी प्रोजेक्ट को लागू करने में देरी करनी चाहिए, ताकि हमें फिर से इस प्रोजेक्ट के बारे में सोचने का मौका मिले। आपको पंजाब यात्रा में यह बताया गया कि, पेप्सी कोला प्रोजेक्ट की बात कांग्रेस के लिये लाभकारी होगी, लेकिन आपकी पहली पंजाब यात्रा अच्छी नहीं रही। हमें इस पेप्सी प्रोजेक्ट के कई पहलुओं पर फिर से विचार करना होगा। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि लोग मानते हैं कि पेप्सी-कोला प्रोजेक्ट के पीछे आपका पूरा हाथ है और आर्शीवाद है। कांग्रेस पार्टी को चुनाव के समय इसका भुगतान करना पड़ेगा। हमारे देश के लोग इस पेप्सी प्रोजेक्ट को राजीव गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस की, अमीरों के हित में बनायी जाने वाली नीति के रूप में ही देखेंगे। जिस देश में लोगों को पीने का पानी लाने के लिये मीलों पैदल जाना पड़ता हो, उसी देश में पेप्सी कम्पनी के शीतल पेय का बिकना, लाखों-करोड़ों भारतीय लोगों के लिये (जो जीवन की बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं) अपमान जैसा ही होगा। जिस तरह बोफोर्स तोप सौदे में हमारी बदनामी हुयी है, उसी तरह इसमें भी होगी। जिस निर्यात के आधार पर आपने पेप्सी प्रोजेक्ट को हरी झण्डी दिखाई है, वह निर्यात का तर्क लोगों को स्वीकार नहीं होगा। आने वाले चुनावों में यह पेप्सी प्रोजेक्ट लोगों की नजर में खटकेगा, और हमारी पार्टी को पराजय का सामना करना पड़ सकता है। पेप्सी कोला एक महाकाय कम्पनी है, जो किसी भी सरकार का सम्मान नहीं करती है। हमें इस पेप्सी प्रोजेक्ट को पूरी तरह से बन्द करना होगा।”

पूर्व सांसद चिमनभाई मेहता द्वारा लिखे गये इस पत्र के बाद सन् 1989 में राजीव गांधी की और कांग्रेस पार्टी की चुनावों में पराजय हुयी। उसके बाद राजीव गांधी ने स्वयं “संडे” पत्रिका को दिए एक साक्षात्कार में स्वीकार किया कि “पेप्सी प्रोजेक्ट बहुत बुरा है।” इसी साक्षात्कार में राजीव गांधी ने कहा कि “जब यह पेप्सी प्रोजेक्ट स्वीकृत किया गया था, तब ठीक था।” इसी तरह 13 सितम्बर 1986 में इन्द्रकुमार गुजराल (जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री भी बने) ने एक खुला पत्र प्रधानमंत्री के नाम लिखा, जो टाइम्स आफ इण्डिया समाचार-पत्र में भी छपा। इस पत्र में लिखा गया “श्रीमान्, आज कल पेप्सी कोला कम्पनी के समर्थन एवं विरोध में बहुत सारे तर्क-वितर्क पढ़ने एवं सुनने को मिल रहे हैं। इन सभी को जानने से एक निष्कर्ष तो जरूर निकलता है कि इस पेप्सी प्रोजेक्ट के पीछे कुछ निहित स्वार्थ भी काम कर रहे हैं। पेप्सी के समर्थन में सबसे बड़ा तर्क यह है कि भारत के खाद्य प्रसंस्करण एवं हार्टीकल्चर के लिये बहुत उपयोगी होगी। लेकिन मेरा यह मानना है कि भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का विकास करने के लिये किसी विदेशी कम्पनी की कोई जरूरत नहीं है। पेप्सी कोला कम्पनी की ओर से जो पैकेज भारत सरकार के सामने पेश किया गया है, उसी तरह के प्रस्ताव दक्षिणी अमरीकी देशों की सरकारों के सामने भी इन अमरीकी कम्पनियों के द्वारा पेश किये गये थे। लेकिन सभी दक्षिणी अमरीकी देश उन प्रस्तावों को स्वीकार करके बरबाद हो गये। इन विदेशी कम्पनियों ने दक्षिण अमरीका के किसानों को पूरी तरह से बरबाद कर दिया था। मुझे लगता है कि भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, फल एवं बागवानी उद्योग में क्रांति होनी

चाहिए, लेकिन इस क्रांति के लिये विदेशी कम्पनियों की कोई जरूरत नहीं है। इस क्रांति की तकनीक पर किसी एक का समधिकार नहीं है। दुनिया में कई छोटे देश जैसे, बल्गारिया और ग्रीस ने भी इस खाद्य प्रसंस्करण की तकनीक में महारत हासिल की है। यह तकनीक खुले बाजार में आसानी से उपलब्ध है। पेप्सी कम्पनी के द्वारा प्रस्तावित करार हमारे भारत के हित में नहीं है। दुनिया के अत्यन्त अविकसित देशों में तो पेप्सी प्रस्ताव की कोई जरूरत हो सकती है, लेकिन भारत में इसकी कोई जरूरत नहीं। पेप्सी कम्पनी भारत के किसानों का बहुत नुकसान करेगी, क्योंकि पेप्सी जैसी सभी अमरीकी कम्पनियों की आदत एकाधिकार के साथ व्यापार करने की रही है। हमारे किसान एक विदेशी कम्पनी के रहमोकरम पर निर्भर हो जायें, यह बिल्कुल अच्छा नहीं है। पेप्सी-कोला कम्पनी का भारत में आना एक गलत शुरुआत है जिससे, आने वाले समय में अन्य अमरीकी कम्पनियों के लिये भी भारत में एक रास्ता खुल जायेगा। भारत में बहुत छोटे उद्देश्यों और अपने स्वार्थ के लिये काम करने वाले राजनीतिज्ञों को ये विदेशी कम्पनियाँ अपने लिये लॉबी बनाने के लिये उपयोग करती हैं। यह लॉबी भारतीय नीतियों को जो समय सिद्ध खरी उतरीं हैं, बदल देगी, यह देश के लिये खतरनाक होगा।”

पेप्सी कोला कम्पनी के विरोध में जब इस तरह के खुले पत्र प्रधानमन्त्री को लिखे जाने लगे, तो फिर इस कम्पनी ने एक नया तरीका अपनाया। इस कम्पनी के कर्मचारियों ने पंजाब के कुछ गांवों में जाकर किसानों को बहला-फुसलाकर अपने समर्थन में एक हस्ताक्षर अभियान चलाया। लगभग इस तरह से 20,000 हस्ताक्षर भारत सरकार को सौंपे गये। भारत सरकार के सामने यह पेश किया गया कि पेप्सी-कोला को भारत में किसान भी चाहते हैं। परोक्षरूप से भारत सरकार को यह धमकी भी दी गयी कि यदि सरकार ने पेप्सी-कोला प्रोजेक्ट को मंजूरी नहीं दी तो पंजाब में किसानों का वोट कांग्रेस पार्टी (जो उस समय सरकार में थी) को नहीं मिलेगा। इस हस्ताक्षर अभियान में पेप्सी कोला कम्पनी के अमिताभ पाण्डे एवं गोकुल पटनायक नाम के बड़े-बड़े अधिकारी शामिल थे।

पेप्सी कम्पनी ने भारत सरकार पर दबाव डालने के लिये तत्कालीन पंजाब में चल रहे उग्रवाद-आतंकवाद का भी भरपूर प्रयोग किया। पेप्सी कम्पनी ने अपनी ओर से एक प्रचार अभियान चलाया कि, “पंजाब की सभी आर्थिक-राजनैतिक समस्याओं का समाधान पेप्सी प्रोजेक्ट के स्वीकृत हो जाने में ही है”। पेप्सी कम्पनी ने यह भी प्रचार अखबारों के द्वारा कराया कि “यदि पेप्सी प्रोजेक्ट को जल्द स्वीकार नहीं किया गया तो पंजाब की आर्थिक समस्यायें भी बढ़ेंगी और इन समस्याओं के बढ़ने से आतंकवाद भी बढ़ेगा।” पेप्सी की ओर से अखबारों में पैसे देकर लेख छपवाये गये कि इस कम्पनी से भारत के 50,000 लोगों को रोजगार मिलेगा।

दूसरी ओर पेप्सी कम्पनी ने भारतीय शीतल पेय कम्पनी पारले के खिलाफ एक प्रचार अभियान शुरू किया। पारले के विरुद्ध पेप्सी ने बड़े-बड़े पोस्टर एवं पत्रक बनाये, अखबारों में विज्ञापन दिये। इनमें कहा गया कि पेप्सी-कोला कम्पनी के भारत में आने पर प्रतियोगिता बढ़ेगी, लोगों को सस्ती कीमत पर शीतल पेय पीने को मिलेगा, पारले कम्पनी का एकाधिकार टूटेगा आदि। लेकिन आज पेप्सी-कोला और कोका-कोला जैसी अमरीकी कम्पनियों के आने के बाद भारतीय बाजार में पूरा एकाधिकार इन दोनों कम्पनियों का ही हो गया है। भारतीय कम्पनी ‘पारले’ बाजार से गायब हो गयी। पहले लोगों को 300 मिली, शीतल पेय की बोतल 3.50 रु. तक में मिलती थी जो बढ़ते-बढ़ते 10 रु. प्रति बोतल तक पहुँच गयी। पेप्सी कोला एवं कोका-कोला कम्पनियों ने भारत की कई छोटी-छोटी स्थानीय बॉटलिंग कम्पनियों को खरीद लिया, या षड़यंत्र करके बंद करा दिया। पेप्सी कोला कम्पनी ने यह काम बहुत ही चतुराई से किया।

मध्यप्रदेश के एक उद्योगपति एवं बॉटलिंग प्लान्ट के मालिक एम.पी.जयपुरिया के नेतृत्व में पेप्सी कोला के समर्थन से एक संगठन बनाया गया। इस संगठन में छोटे-छोटे बॉटलिंग प्लान्टों के मालिकों को शामिल कराया गया और पैसे के दबाव में इन सभी ने पेप्सी-कोला कम्पनी का दामन पकड़ लिया।

पेप्सीकोला कम्पनी के प्रोजेक्ट को भारत में मंजूरी मिलने में लगभग 2 साल लगे। इन पूरे 2 सालों तक अमरीकी सरकार का दबाव भारत सरकार पर पड़ता रहा। अमरीकी सरकार के तत्कालीन उपराष्ट्रपति जार्ज बुश (जो बाद में अमरीका के राष्ट्रपति भी बने, और आज अमरीकी राजनीतिक्षेत्र में उन्हें सीनियर बुश कहा जाता है, अर्थात् वर्तमान अमरीकी राष्ट्रपति जार्ज बुश के पिता सीनियर जार्ज बुश), अमरीकी सरकार की वाणिज्य मंत्री कार्ला हिल्स एवं भारत में अमरीकी राजदूत की ओर से भारत सरकार को दबाव भरे पत्र और संदेश आते रहे। अमरीकी सरकार की ओर से भारत सरकार को सुपर-301 और स्पेशल-301 कानूनों के प्रावधानों के आधार पर कार्यवाही करने की धमकी दी जाती रही। पेप्सी कोला कम्पनी का तत्कालीन मुखिया डोनाल्ड केंडल भारत सरकार और अमरीकी सरकार के बीच में बिचौलिये की भूमिका निभाता रहा। भारत सरकार को बार-बार यह कहा गया कि यदि पेप्सी प्रोजेक्ट को मंजूरी नहीं मिली तो फिर भारत में विदेशी पूंजी निवेश रूक जायेगा। इन्हीं सारे दबावों में तत्कालीन प्रधानमन्त्री राजीव गांधी ने पेप्सी प्रोजेक्ट को मंजूरी दी।

राजीव गांधी के मन में पेप्सीकोला प्रोजेक्ट को लेकर एक राजनैतिक भय पैदा हो गया। एक ओर तो अमरीका की नाराजगी का भय, तो दूसरी ओर अपनी पार्टी में सांसदों का भय राजीव गांधी को सताने लगा। कांग्रेस पार्टी में कई सांसदों ने अन्य सांसदों के साथ मिलकर राजीव गांधी को पत्र लिखने शुरू कर दिये। दूसरी ओर संसद के अन्दर हरीकृष्ण शास्त्री (पूर्व प्रधानमन्त्री श्री लाल बहादुर शास्त्री के बड़े बेटे) ने 52 सांसदों के हस्ताक्षर से युक्त एक ज्ञापन पेप्सी कोला के विरोध में राजीव गांधी को सौंपा। इसके बाद पेप्सी कम्पनी ने अपने एक अधिकारी रमेश वंगल को सामने लाया। रमेश वंगल ने पेप्सी कोला के समर्थन में संसद में अंदर-बाहर लॉबिंग करवाना शुरू किया। प्रधानमन्त्री कार्यालय में पेप्सी ने अपने ऐजेन्ट नियुक्त कराये, जो हर फैसले की जानकारी पेप्सी के ऊपर तक के अधिकारियों को पहुँचाया करते थे। इन्हीं ऐजेन्टों की मदद से उन सभी सांसदों को पेप्सी कोला के पक्ष में लाने का कार्य किया गया, जिन्होंने पेप्सी कोला के विरोध में राजीव गांधी को ज्ञापन दिया था।

हरीकृष्ण शास्त्री के छोटे भाई अनिल शास्त्री (पूर्व प्रधानमन्त्री श्री लाल बहादुर शास्त्री के छोटे बेटे) को पेप्सी कम्पनी के अधिकारियों द्वारा प्रभावित किया गया, जिन्होंने बाद में अपने बड़े भाई हरीकृष्णशास्त्री को पेप्सीकोला के समर्थन के लिये तैयार किया। धीरे-धीरे हरीकृष्ण शास्त्री ने पेप्सी का विरोध करना बंद कर दिया, और बाद में एकदम शांत होकर बैठ गये। शास्त्री के बेटे संजय ने भी इसमें बड़ी भूमिका निभायी। संजय उस समय प्योर ड्रिंक्स कम्पनी के लिए बॉटलिंग का काम करते थे। बाद में प्योर ड्रिंक्स कम्पनी के सभी बॉटलिंग का काम करने वाले लोग या तो पेप्सी कोला के साथ चले गये या कोका कोला के साथ चले गये। पेप्सी कोला कम्पनी ने अपने लिये सांसदों का समर्थन जुटाने के लिये टाटा ग्रुप की कम्पनी वोल्टास के अधिकारी जाहिद बेग का उपयोग किया। जाहिद बेग का भाई कोका-कोला कम्पनी का बड़ा अधिकारी था। जाहिद बेग के एक सहयोगी कृष्णन ने दक्षिण भारतीय सांसदों को पेप्सी के समर्थन में जुटाना शुरू किया। पेप्सी कम्पनी की रणनीति थी कि दक्षिण भारतीय सांसदों के हस्ताक्षर ही जुटाये जायें, क्योंकि पेप्सी के विरोध में जिन सांसदों ने हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन राजीव गांधी को दिया था, वे अधिकांश सांसद उत्तर भारत के थे। इसी रणनीति के तहत दक्षिण भारत के सांसद डा. राजेश्वरन को सबसे पहले सम्पर्क किया

गया। पेप्सी कम्पनी के सभी बड़े अधिकारी रमेशवंगल, अमिताभ पाण्डे, जाहिर बेग, कृष्णन तथा तत्कालीन कांग्रेस पार्टी के सचिव अनिलशास्त्री लगातार सांसद डा. राजेश्वरन के सम्पर्क में रहे। डा. राजेश्वरन तमिलनाडु से सांसद थे, जो फिल्मी दुनिया से राजनीति में आये थे। डा. राजेश्वरन के सहयोग से तिरुचिरापल्ली के कांग्रेस सांसद अडैकलराज को पेप्सी के समर्थन के लिये तैयार किया गया। अडैकलराज तमिलनाडु के बहुत बड़े शराब उद्योगपति हुआ करते थे। पेप्सी कम्पनी ने 'डिनर डिप्लोमेसी' का भरपूर इस्तेमाल करना शुरू किया। अडैकलराज ने पेप्सी कम्पनी के साथ सौदेबाजी करना शुरू किया। पेप्सी कम्पनी ने दक्षिण भारत में अडैकलराज को अपना फ्रैंचाइसी बनाने का सौदा कर लिया। बदले में अडैकलराज ने दक्षिण भारतीय सांसदों के हस्ताक्षर पेप्सी के समर्थन में जुटाना शुरू कर दिया। इस प्रक्रिया में कई ऐसे सांसदों के हस्ताक्षर भी पेप्सी कम्पनी के समर्थन में लिये गये, जिन्होंने पूर्व में पेप्सी कम्पनी के विरोध में हस्ताक्षर किये थे। तमिलनाडु प्रदेश के 48 सांसदों के हस्ताक्षर पेप्सी कम्पनी के समर्थन में लिये गये। इसमें बाद में 8 और ऐसे सांसदों ने हस्ताक्षर किये, जो सभी पूर्व में पेप्सी कम्पनी के प्रोजेक्ट के विरोध में हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन राजीव गांधी को दे चुके थे। इस प्रकरण से यह साफ हो जाता है कि हमारे संसदीय लोकतन्त्र को इन स्वार्थी, अनैतिक, गैर जिम्मेदार, और भ्रष्ट सांसदों ने एक तरह से वैचारिक वेश्यावृत्ति बना दिया है। इस तरह पेप्सीकोला के समर्थन में 54 सांसदों ने हस्ताक्षर कर दिये। 15 अगस्त 1986 को ये सभी 54 सांसदों के हस्ताक्षर पेप्सी कम्पनी को सौंपे गये। बाद में इन हस्ताक्षरों को राजीव गांधी को दिया गया। इसी 15 अगस्त 1986 को पेप्सी कोला कम्पनी ने सांसद अडैकलराज के साथ एक व्यापारिक समझौता किया (Franchise Agreement), जिसके आधार पर दक्षिण भारत में पेप्सी कम्पनी का व्यापारिक साम्राज्य स्थापित हुआ।

पेप्सी कम्पनी के मुख्य अधिकारी रमेश वंगल ने सांसदों को अपने समर्थन में करने के बाद फिर कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को अपने प्रभाव में लेना शुरू किया। इसकड़ी में सबसे पहले जम्मू-कश्मीर के तत्कालीन मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला तथा हिमांचल प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर भद्र सिंह को प्रभाव में लिया गया। इन दोनों मुख्यमंत्रियों की ओर से प्रधानमंत्री राजीव गांधी को पेप्सी प्रोजेक्ट को समर्थन करने वाले पत्र लिखे गये। पंजाब सरकार के कई अधिकारी जो पेप्सी-कोला के विरोध में थे, उन्हें अमरीका की यात्रा करायी गयी। अमरीका की यात्रा से लौटते ही इन अधिकारियों का पूरा विचार एवं हृदय परिवर्तन हो गया और ये सभी अधिकारी जो पूर्व में विरोधी थे पेप्सीकोला के समर्थन में आ गये। कई बार ऐसा भी हुआ कि पेप्सी कम्पनी के अधिकारी रमेश वंगल द्वारा लिखे गये पत्रों पर ही सांसदों ने हस्ताक्षर कर दिये और फिर वह पत्र प्रधानमंत्री राजीव गांधी के पास भेजा गया। राजीव गांधी को यह पता भी नहीं चला होगा कि, जो ज्ञापन या पत्र आदि सांसदों की ओर से पेप्सी के समर्थन में उन्हें दिये गये, वे वास्तव में पेप्सी कम्पनी के मुख्य अधिकारी रमेश बंगल द्वारा ही लिखे गये थे।

19 सितम्बर 1988 को राजीव गांधी ने पेप्सी-कोला के प्रोजेक्ट को अन्तिम रूप से मंजूरी दे दिया। हालाँकि राजीव गांधी के मुख्य सचिव गोपी अरोरा ने भी काफी विरोध किया। उन्होंने राजीव गांधी को काफी समझाने की कोशिश कि इस प्रोजेक्ट को मंजूरी देने के परिणाम काफी खराब होंगे। लेकिन राजीव गांधी ने गोपी अरोरा की बात का भी ध्यान नहीं दिया। जिस मंत्रालय की ओर से पेप्सीकोला प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गयी एवं घोषणा की गयी वह मन्त्रालय खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्रालय था। इसमें उस समय मन्त्री हुआ करते थे, जगदीश टाईटलर। 19 सितम्बर 1988 की शाम 8 बजकर 40 मिनट पर दूरदर्शन समाचारों में, सरकार के द्वारा पेप्सी-कोला की परियोजना मंजूरी का समाचार आया।

भारत सरकार ने पेप्सी-कोला परियोजना को जिन शर्तों के आधार पर मंजूरी दी वे शर्तें इस प्रकार थी :

- 1) इस परियोजना से पूरे देश में 50,000 लोगों को और पंजाब में 25,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। अर्थात् पेप्सी परियोजना से कुल मिलाकर 75,000 लोगों को रोजगार मिलेगा।
- 2) पंजाब प्रदेश में पैदा होने वाले कुल फल और सब्जियों का 25% प्रसंस्करण इस परियोजना द्वारा होगा।
- 3) इस परियोजना से भारत में खाद्य प्रसंस्करण की वह तकनीक लायी जायेगी जो देश में उपलब्ध नहीं है। इस तकनीक की मदद से भारत का निर्यात बढ़ेगा।
- 4) कुल परियोजना लागत का 74% खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में ही लगाया जायेगा।
- 5) पेप्सी कम्पनी के कुल उत्पादन का 50% निर्यात किया जायेगा।
- 6) पेप्सी कम्पनी अपने कुल उत्पादन मूल्य के 25% के ही शीतल पेय का उत्पादन कर सकेगी।
- 7) इस परियोजना से 174 करोड़ रु. का अतिरिक्त राजस्व (टैक्स) प्रतिवर्ष सरकार को मिलेगा।
- 8) पेप्सी-कोला कम्पनी जब 5 डालर मूल्य के बराबर का भारत से निर्यात करेगी तब 1 डालर के बराबर मूल्य का आयात कर सकेगी। अर्थात् पेप्सीको जितना आयात करेगी, उसका पांच गुना निर्यात करना पड़ेगा।
- 9) पेप्सी-कोला कम्पनी अपना साफ्ट ड्रिंक (शीतल पेय) का कंसन्ट्रेट (शीतपेय बनाने के लिये जरूरी घोल) भारत में ही तैयार करेगी, इसे अमरीका से आयात नहीं किया जायेगा।
- 10) पेप्सी-कोला परियोजना में अधिकतम पूँजी भारतीय सहयोगी जैसे वोल्टास एवं पंजाब एग्रो इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन के पास रहेगी।
- 11) पेप्सी-कोला कम्पनी को अपने निर्यात वायदों को 10 साल तक निभाना पड़ेगा। अर्थात् पेप्सी-कोला जितना मूल्य का उत्पादन करेगी, उसका 50% लगातार 10 सालों तक निर्यात करती रहेगी।
- 12) पेप्सी-कोला कम्पनी मुनाफा कमा कर अपने देश अमरीका तभी ले जा सकेगी, जब कि वह निर्यात की शर्तों को पूरा करे। अर्थात् 5 डालर का निर्यात करके ही यह कम्पनी 1 डालर भारत से ले जा सकेगी।
- 13) पेप्सी कम्पनी को जो कुछ भी आयात करना होगा, वह बहुत जरूरी होगा तभी हो सकेगा। अर्थात् कम्पनी गैर जरूरी आयात नहीं कर सकेगी। आयात भी भारत सरकार की नीतियों एवं कानूनों के आधार पर ही हो सकेगा।
- 14) परियोजना स्वीकृत होने के पहले ही साल में पेप्सी कम्पनी को 20 करोड़ रु. का सामान भारत से निर्यात करना पड़ेगा।
- 15) पेप्सी कम्पनी को भारत में खाद्य एवं कृषि प्रसंस्करण का एक शोध केन्द्र खोलना पड़ेगा। यह शोध केन्द्र भारतीय कृषि अनुसंधान केन्द्र एवं कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना की देख-रेख में चलेगा।
- 16) भारत में पेप्सी-कोला कम्पनी अपने किसी भी माल पर विदेशी (अमरीकी) ब्रांड-नाम इस्तेमाल नहीं करेगी।

इन सभी शर्तों के आधार पर ही पेप्सी-कोला परियोजना को स्वीकृत किया गया। लेकिन आज 15 साल पूरे होने के बाद भी पेप्सी कम्पनी ने एक भी शर्त पूरी नहीं की है। पेप्सी कम्पनी ने फरवरी 1989 में होशियारपुर में जहूरा नामक स्थान पर एक फ़ैक्टरी बनाई जिसमें टमाटर की चटनी और सॉस बनाने की बात कही गयी। फिर जून 1989 में पेप्सी कम्पनी ने पंजाब में छन्नो नामक स्थान पर एक शीतल पेय (साफ्ट ड्रिंक) की फ़ैक्टरी लगायी।

जब पेप्सी-कोला कम्पनी की परियोजना को भारत में मंजूरी दी जा रही थी उस समय कोका-कोला कम्पनी खामोशी के साथ यह सब देख रही थी। इस कोका-कोला को 1977 में भारत से भगाया गया था। 1977 की तत्कालीन जनता सरकार ने कोका-कोला कम्पनी का लाईसेंस निरस्त कर दिया था। लेकिन यही कोका-कोला भारत में फिर से आने के लिये रास्ता खोजने लगी। जैसे ही पेप्सी परियोजना को प्राथमिक मंजूरी 1986 में मिली, कोका-कोला कम्पनी ने अपने विशेषज्ञों की एक टीम को भारत भेज दिया। कोका-कोला की टीम ने भारत आकर पेप्सी-कोला के भारत सरकार से हुये करार का अध्ययन किया। इसी करार को ध्यान में रखकर कोका-कोला ने भी अपने लिये एक नया करार भारत सरकार से करने का तय किया। इसके लिये कोका-कोला कम्पनी ने भारत सरकार की विशेष निर्यात क्षेत्र (Export Prousing Zones) बनाने की नीति का फायदा उठाया। भारत सरकार ने भारत का, निर्यात आधारित विकास करने का, फैसला किया था। इसके लिये विशेष निर्यात क्षेत्र बनाये गये, जहाँ पर लगने वाली औद्योगिक ईकाईयों को 100% निर्यात करने के लिये प्रोत्साहन दिया जाने लगा। इन विशेष निर्यात क्षेत्रों का एक नियम था, कि यहाँ बनने वाली कोई भी वस्तु भारतीय बाजार में नहीं बिकेगी। बाद में भारत सरकार ने विदेशी कम्पनी कोका-कोला के दबाव में इस नीति को थोड़ा बदल दिया। फिर एक नई नीति बनायी गयी कि, विशेष निर्यात क्षेत्र में ईकाई लगाने वाली कम्पनी को कुल उत्पाद का 25% भारतीय बाजार में बेचने की छूट होगी।

कोका-कोला ने इसी सरकारी निर्यात क्षेत्र की योजना के आधार पर नोयडा निर्यात क्षेत्र में एक औद्योगिक ईकाई लगाने के लिये भारत सरकार के सामने प्रस्ताव रखा। इसमें 25% उत्पादन भारतीय बाजार में बेचने के लिये प्रस्तावित किया गया। जिस तरह से पेप्सी कोला ने राजनैतिक दबाव डालने के लिए सांसदों को अपने समर्थन में खड़ा करने का, मुख्यमंत्रियों को अपनी ओर मिलाने का कार्य किया, ठीक उसी तरह से कोका-कोला ने भी करना शुरू किया। और भारतीय संसदीय लोकतन्त्र के भ्रष्टाचार, स्वार्थवाद और वैचारिक वेश्यावृत्ति के चलते कोका-कोला को भी भारत में मंजूरी मिल गयी। कोका-कोला को जिस आधार पर मंजूरी मिली, उसी को आधार बनाकर एक और प्रस्ताव भारत सरकार के सामने पेप्सी-कोला कम्पनी ने पेश किया। इस दूसरे प्रस्ताव के लिये पेप्सी-कोला कम्पनी ने तत्कालीन पंजाब के राज्यपाल सिद्धार्थ शंकर राय का सहारा लिया। सिद्धार्थ शंकर राय ने सन् 1977 में कोका-कोला के लाईसेंस रद्द करने का बहुत विरोध किया था। सिद्धार्थ शंकर राय भारतीय संसद में हमेशा से विदेशी पूँजी और विदेशी कम्पनियों के समर्थन करने के लिये मशहूर रहे। कोका-कोला के प्रस्ताव को मंजूरी वाणिज्य मंत्रालय से मिली, जिसमें मंत्री थे दिनेश सिंह। लेकिन मजेदार बात यह हुई कि, पेप्सी-कोला कम्पनी का प्रस्ताव खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा स्वीकृत किया गया और कोका-कोला कम्पनी का प्रस्ताव वाणिज्य मंत्रालय द्वारा स्वीकृत किया गया। लेकिन कोका-कोला कम्पनी के प्रस्ताव की विरोध खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय जगदीश टाईटलर द्वारा काफी किया गया, जबकि इन्हीं मंत्री, जगदीश टाईटलर और उनके मंत्रालय ने पेप्सी-कोला कम्पनी का पूरी ताकत से समर्थन किया। इस सन्दर्भ में वाणिज्य मंत्री दिनेश सिंह एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री जगदीश टाईटलर के बीच पत्रों द्वारा काफी विवाद भी हुआ।

पेप्सी कोला कम्पनी द्वारा भारत सरकार को दिये गये धोखे

पेप्सी-कोला कम्पनी ने अपनी परियोजना की मंजूरी के तुरंत बाद ही भारत सरकार को धोखे देने शुरू किये। सबसे पहला धोखा परियोजना लागत को बढ़ाकर दिया गया। जब परियोजना स्वीकृत हुई थी, तब उसकी लागत 22 करोड़ रुपये रखी गयी थी, लेकिन पेप्सी ने इसे बढ़ाकर 75 करोड़ रुपये कर दिया, और इस तरह भारत देश से 53 करोड़ रुपये अमरीका भेज दिया गया। जब इस बारे में भारत सरकार द्वारा पेप्सी कम्पनी से पूछताछ की गयी तो कम्पनी ने दिसम्बर 1989 में बताया कि समय बीतने के साथ परियोजना की लागत भी बढ़ गई है। पेप्सी कम्पनी ने अमरीका से लायी गयी मशीनरी की कीमतों को अनाप-शनाप बढ़ाकर ही इस लागत को बढ़ाया। तकनीकी भाषा में इसको "ओवर इनवायसिंग" कहा जाता है। अर्थात् अमरीका में कोई मशीन की वास्तविक कीमत यदि 1 करोड़ डालर हो तो उसे बढ़ाकर 3 करोड़ डालर कर दिया जाय तो उस मशीन को भारत लाने में 2 करोड़ डालर सीधे अमरीका की पेप्सी कम्पनी के खाते में लाभ के रूप में जमा हो जायेगा। इसी तरह पेप्सी-कोला कम्पनी से आयातित मशीनों की कीमतों को बढ़ाकर 53 करोड़ रुपये भारत के पेप्सी-कोला के खाते से अमरीका की पेप्सी-कोला कम्पनी के खाते में भेज दिये। पेप्सी-कोला कम्पनी ने सामान्य रूप से 200 से 300 प्रतिशत तक "ओवर इनवायसिंग" किया।

पेप्सी कम्पनी को भारतीय वित्तीय संस्थाओं ने 43 करोड़ रुपये का कर्ज दिया। ध्यान देने की बात है कि पूरे 75 करोड़ रु. की लागत वाली परियोजना को भारत में ही 43 करोड़ रु. का कर्जा मिल गया। इस कर्जे को दिलवाने में कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन सचिव अनिल शास्त्री की प्रमुख भूमिका रही। यह कर्जा आई.एफ.सी.आई. ने दिया था। यह कर्जा पेप्सी-कोला कम्पनी द्वारा बतायी गयी संभावित बिक्री के आधार पर दिया गया, जो अपने आप में बहुत ही हैरानी की बात है। वास्तविकता यह रही कि पेप्सी-कोला ने जो भी संभावित बिक्री बतायी वह गलत साबित हुई। पेप्सी कम्पनी ने अपने खाद्य पदार्थों की बिक्री की संभावना लगभग 13 करोड़ रु. बतायी थी वह वास्तव में 2 करोड़ रु. की ही हुई। जबकि इस 2 करोड़ रु. की बिक्री में 1 करोड़ रु. तो विज्ञापनबाजी में ही खर्च किये थे। इसी तरह पेप्सी कम्पनी ने संभावित बिक्री के झूठे आँकड़े दिखाकर भारतीय बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं से कर्जा लेना शुरू किया। सन् 1990 और 1991 में दोनों ही वर्षों में पेप्सी-कोला कम्पनी ने अपने निर्यात की शर्तों को पूरा नहीं किया। अर्थात् दो वर्षों तक लगातार इस कम्पनी ने एक डालर भी भारत देश को कमा कर नहीं दिया। पहले साल पेप्सी के संभावित बिक्री के 13 करोड़ रु. बढ़कर दूसरे साल के लिये 25 करोड़ रु. हो गये।

पेप्सी कोला कम्पनी की इस धोखाधड़ी के बारे में संसद में कई बार प्रश्न उठाये गये। खासकर सी. पी.आई. (एम.) के सांसद दीपेन घोष ने सबसे अधिक सवाल इस बारे में किये। 52 सांसदों के हस्ताक्षर वाली

एक याचिका सरकार के सामने पेश की गयी, जिसमें पेप्सी कम्पनी की धोखाधड़ी की जाँच करने के लिये कहा गया था। पंजाब के पूर्व मुख्य मन्त्री और कांग्रेसी नेता दरबारा सिंह ने भी पेप्सी की धोखाधड़ी की जाँच करने के लिये सरकार को कहा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ।

75 करोड़ रुपये वाली परियोजना में पेप्सी-कोला कम्पनी की शुरुआती पूँजी (initial paidup Capital)) भाग 10 करोड़ की थी। लेकिन पहले ही साल में पेप्सी कोला कम्पनी ने 53 करोड़ रुपये अमरीका को भेज दिये। इस 75 करोड़ की परियोजना में 43 करोड़ रु. भारतीय वित्तीय संस्थाओं से कर्ज के रूप में लिये गये। बाकी के बचे हुये में वोल्टास कम्पनी एवं पंजाब एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन की हिस्सेदारी थी। वोल्टास के हिस्से में 6 करोड़ रु. तथा पंजाब एग्रो के हिस्से में 8 करोड़ रु. का प्राथमिक पूँजी निवेश रहा।

पेप्सी कम्पनी ने एक और धोखाधड़ी मशीनों के आयात करने में किया। सामान्य रूप से भारत में यह नियम है कि जब कोई कम्पनी बाहर के देशों से मशीनें या सामान आयात करती है, तो कर्ज देने वाली संस्थाओं को सबकुछ बताना पड़ता है। किस कम्पनी से, कहाँ से और कितना आयात किया जा रहा है, इसी नियम के तहत जब पेप्सी कम्पनी ने आई.एफ.सी.आई. से कर्जा लिया तो बताया गया कि पेप्सी-कोला कम्पनी डलास (अमरीका) स्थित कम्पनी "क्रंच बैरेल फूड्स कारपोरेशन" से सभी मशीनों का आयात करेगी। लेकिन खोज करने पर पता चला कि डलास में "क्रंच बैरेल फूड्स कारपोरेशन" नाम की कोई कम्पनी ही नहीं थी। पेप्सी कम्पनी की ओर से इस उपरोक्त कम्पनी का जो पता और फोन नम्बर बताया गया, वह पूरी तरह से बोगस निकला। इस पेप्सी-कोला कम्पनी ने वास्तव में जो भी मशीनें आयात की वे सब अपनी ही अमरीकी पेप्सी कम्पनी से की। इसी से "ओवर इनवायसिंग" का फायदा पेप्सी कम्पनी को होता रहा। लेकिन यह भारतीय कानून एवं नियमों के खिलाफ है। भारत सरकार के प्रवर्तन निदेशालय ने इसके बारे में जाँच की। फिर पेप्सी-कोला कम्पनी ने स्वीकार कर लिया कि "क्रंच बैरेल" नाम की कोई कम्पनी नहीं है बल्कि पेप्सी-कोला द्वारा ही भारत में आयात करने के लिये यह बनायी गयी थी। इतनी बड़ी धोखाधड़ी पेप्सी कम्पनी की पकड़ी गयी, फिर भी भारत सरकार ने कुछ भी नहीं किया।

पेप्सी-कोला कम्पनी ने भारत में समझौता करते समय भारत सरकार को वायदा किया था कि पूरे देश में 75,000 लोगों को रोजगार पेप्सी कम्पनी के कारण मिलेगा। इसमें से 25,000 लोगों को पंजाब में एवं 50,000 लोगों को पंजाब के बाहर रोजगार देने की बात पेप्सी-कोला के समझौते में कही गयी थी। लेकिन आज तक पेप्सी कम्पनी ने अपना यह वायदा पूरा नहीं किया। अब तो पेप्सी कम्पनी के अधिकारी यह स्वीकार भी नहीं करते हैं, कि 75,000 लोगों को रोजगार देने का उन्होंने कोई वायदा किया था। तत्कालीन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के मन्त्री जगदीश टाईटलर ने भी पेप्सी परियोजना की घोषणा करते समय 75,000 लोगों को रोजगार मिलने की बात कही थी। पेप्सी-कोला कम्पनी से जब भी इस बारे में पूछा गया, तो जवाब मिला कि कम्पनी की ओर से कभी भी कुछ नहीं कहा गया। कभी-कभी पेप्सी की ओर से यह कह दिया गया, कि पेप्सी के शीतल पेय की बोतलों को बेचने वालों को रोजगार तो दिया है। वास्तविकता यह है कि पेप्सी की बोतलों को बेचनेवाले लोग या तो पान, पान मसाला आदि बेचते हैं, या फिर चाय, काफी आदि बेचते हैं, जिन्हें पहले से चाय-काफी, पान-बीड़ी आदि बेचने से रोजगार मिला ही हुआ है। वास्तव में पेप्सी कम्पनी की ओर से एक भी नया रोजगार किसी को नहीं दिया गया है।

पेप्सी-कोला द्वारा रायल्टी लिये जाने एवं उस रायल्टी को अमरीका भेजने के बारे में एक पेप्सी अधिकारी नील चटर्जी द्वारा बताया गया कि, "पेप्सी-कोला की एक क्रेट बोतलों (24 बोतल) को भरने में 8 रु. का सान्द्र घोल (कन्सन्ट्रेट- Concentrate) खर्च होता है। इसमें 2 रु. पेप्सी कम्पनी को जाने वाली

रायल्टी है तथा 6 रु.(कन्सन्ट्रेट— Concentrate) सान्द्र घोल की असली कीमत है"। ध्यान रहे कि पेप्सी कम्पनी इसी 6 रु. के सान्द्र घोल की कीमत पर 24 प्रतिशत उत्पाद कर (Exciseduty) भारत सरकार को देती है। अर्थात् एक क्रेट (24 बोतलें) जब पेप्सी की बनकर तैयार होती हैं तो उन सभी 24 बोतलों पर 1 रु. और 44 पैसे का उत्पादन कर लगाता है। अर्थात् एक पेप्सी की बोतल पर 6 पैसे मात्र ही उत्पादन कर इस समय लग रहा है। भारत देश में इस समय (सन् 2003 में) पेप्सी और कोकाकोला की कुल बिक्री 7000 करोड़ रु. प्रतिवर्ष है। इस समय औसतन पेप्सी—कोकाकोला की एक बोतल 10 रु. की बेची जाती है। अर्थात् लगभग 700 करोड़ बोतल प्रतिवर्ष पेप्सी व कोकाकोला की भारत में बिक रही है। एक बोतल पर 6 पैसे का उत्पादन कर भारत सरकार को मिलता है, तो 700 करोड़ बोतलों पर लगभग 42 करोड़ रु. भारत सरकार को उत्पादकर के रूप में मिलता है। भारत देश की कई राज्य सरकारों ने पेप्सी व कोकाकोला पर बिक्री कर में 100 प्रतिशत छूट दी हुई है। जैसे गुजरात सरकार, उड़ीसा सरकार, कर्नाटक सरकार आदि ने पूरी तरह से पेप्सी—कोक को कर मुक्त किया हुआ है। अगर मान लिया जाय कि पेप्सी व कोकाकोला कम्पनियों का व्यवस्थाखर्च, विज्ञापन खर्च और करों का खर्च कुल बिक्री का 40 से 50 प्रतिशत हो तो हर साल ये दोनों कम्पनियाँ 3500 करोड़ रुपये भारत से मुनाफे के रूप में लूटकर अमरीका ले जा रही हैं। पेप्सीकोला कम्पनी के एक मुख्य अधिकारी राजीव बख्शी के अनुसार इन ठंडे पेयों पर विज्ञापन का कुल खर्चा, कुल बिक्री का 12% के आस-पास होता है। अर्थात् ठंडे पेयों की कुल (पेप्सी व कोकाकोला) बिक्री 7000 करोड़ रु. तो विज्ञापन खर्च हुआ 850 करोड़ रु.। अर्थात् प्रत्येक बोतल पर विज्ञापन खर्च लगभग 1.20 रु.(1 रुपये,20 पैसे) बैठता है।

अब यदि पेप्सी या कोकाकोला की एक बोतल को बनाने का खर्चा निकाला जाय तो हिसाब कुछ इस प्रकार बैठता है एक बोतल को बनाने में सान्द्र घोल (कन्सन्ट्रेट— Concentrate) 30 पैसे का, एक बोतल पर उत्पादकर 6 पैसे का, एक बोतल पर विज्ञापन खर्चा 1.20 रु., बेचने वाले दुकानदार को मुनाफा लगभग 1 रु., कुल खर्चा हुआ, 2.56 रु. (2 रु 56 पैसे)। अब यदि कुछ राज्यों में बिक्री कर आदि का खर्चा जोड़ लें तो लगभग एक बोतल पर कम्पनी की ओर से खर्चा होता है 3 रु.। और यह बोतल बिकती है लगभग 10 रु. की इस तरह एक बोतल पर कम्पनी को 7 रु. का मुनाफा होता है।

पेप्सी—कोला कम्पनी ने पंजाब के किसानों से टमाटर, आम, चीकू आदि फलों को हजारों टन में खरीदने का जो वायदा किया था, वह भी कभी नहीं निभाया। इसके लिये पेप्सी कम्पनी का मुख्य अधिकारी रमेश बंगल कहता रहा कि, चंडीगढ़ से बम्बई के बीच फलों को लाने के लिये खर्चा, फलों की कीमत से अधिक होता है, इसलिये हम पंजाब के किसानों से फल नहीं खरीद करते हैं। पेप्सी कोला के साथ हुये भारत सरकार के समझौते में यह स्पष्ट कहा गया कि तब तक पेप्सी—कोला कम्पनी को औद्योगिक लाईसेंस (Industrial Licence) नहीं मिलेगा?। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज तक भी पेप्सी—कोला कम्पनी ने अपने समझौते की एक भी शर्त को पूरा नहीं किया और इस कम्पनी को औद्योगिक लाईसेंस भी मिल गया। जब भारत में चन्द्रशेखर सरकार आयी थी, उस समय पेप्सी—कोला को आदेश दिया गया था कि वह अपने शीतल पेय का उत्पादन अधिक नहीं बढ़ाये। लेकिन पेप्सी कम्पनी ने इस आदेश का भी उल्लंघन किया और अपने ठंडे पेय का उत्पादन लगातार बढ़ाया। पूर्व प्रधानमंत्री चन्द्रशेखर ने इस पर एक जाँच करायी। इसके लिये तीन सदस्यीय एक समिति बनायी गयी। इस समिति द्वारा पूछे जाने पर भी पेप्सी कम्पनी की ओर से कहा गया "जब हमारा शीतल पेय भारत में इतना अधिक बिक रहा है, तो हम इसी पर ध्यान केन्द्रित करेंगे, ना कि किसी और व्यवसाय पर। लोक सभा से एक सदस्य दीपेन घोष ने इस पर कड़ी

आपत्ति जाहिर की और सम्बन्धित मंत्री जगदीश टाईटलर को भी कई पत्र लिखे और लोकसभा में प्रश्न उठाये, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इस तरह पेप्सी-कोला कम्पनी ने भारत सरकार के साथ किये गये समझौते की एक भी शर्त को कभी पूरा नहीं किया। निर्यात करने के प्रश्न पर हमेशा ही पेप्सी ने किसी अन्य कम्पनी या व्यक्ति द्वारा किये गये निर्यात को अपना निर्यात बताया, और सरकार को धोखा दिया। भारत के किसानों से आम, चीकू, टमाटर, अमरूद, सेब आदि खरीदकर फिर प्रसंस्करण करके उन्हें निर्यात करने का जो वायदा पेप्सी का था, उसे भी कभी पूरा नहीं किया गया। जब टाईम्स टी.वी. द्वारा पेप्सी-कोला की गतिविधियों पर एक फीचर तैयार किया गया व यह पूछा गया कि वे सब फैक्टरियाँ कहाँ पर हैं जहाँ से फलों का प्रसंस्करण करके निर्यात किया जाता है, तो कम्पनी के अधिकारियों ने कोई भी जवाब नहीं दिया।

जब भारत सरकार और मीडिया की ओर से पेप्सी-कोला कम्पनी पर दबाव डाला गया तो एक दिन अचानक पेप्सी-कोला कम्पनी ने जुलाई 1991 में दिल्ली में एक विशेष पत्रकार परिषद् का आयोजन किया जिसमें कम्पनी की ओर से कहा गया कि, पेप्सी कम्पनी द्वारा 9.62 करोड़ रु. का निर्यात किया गया है। लेकिन यह निर्यात था चाय, चावल, कॉटन के तौलिये जैसी वस्तुओं का ना कि पेप्सी द्वारा उत्पादन की गयी वस्तुओं का। लेकिन सरकार द्वारा यह सब कुछ जानने पर भी कोई कठोर कार्यवाही नहीं की गयी। भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के सचिव आर.के.रथ द्वारा जुलाई 1991 में एक कड़ा पत्र वाणिज्य मंत्रालय को लिखा गया। उस पत्र में पेप्सी कम्पनी की सारी पोल खोली गयी। पेप्सी द्वारा सरकार को धोखा दिये जाने के बारे में भी विस्तार से लिखा गया और पेप्सी कम्पनी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने के लिये कहा गया। लेकिन इस पर भी कुछ नहीं हुआ।

दक्षिण भारत में पेप्सी ने अपने पैर जमाने के लिये तत्कालीन सांसद अडैकलराज का भरपूर प्रयोग किया। इसी सांसद अडैकलराज ने संसद में भी पेप्सी-कोला के समर्थन में सांसदों के हस्ताक्षर लेने का भी काम किया। अडैकलराज तमिलनाडु में शराब बनाने वालों में सबसे ऊपर माना जाता रहा। लेकिन कई घोटालों में सी.बी.आई. ने उसे लिप्त पाया था। केरल के एक व्यापारी एम.सी.जैकब के साथ मिलकर अडैकलराज ने एक सहकारी समिति स्थापित किया। इस सहकारी समिति के नाम पर एक करोड़ रु. का कर्जा एक बैंक से लिया गया। अडैकलराज इस सहकारी समिति का निदेशक बना। सी.बी.आई. ने जब जाँच किया तो पाया कि यह सहकारी समिति बोगस थी। इस तरह उस बैंक का एक करोड़ रु. डूब गया। पेप्सी ने इसी घोटालेबाज अडैकलराज को दक्षिण भारत की जिम्मेदारी सौंपी। अडैकलराज ने यह सारा कार्य, पेप्सी को तमिलनाडु तथा अन्य दक्षिण राज्यों में फैलाने का, अपने बेटे विन्सेन्ट जोसेफ के नाम पर किया। अडैकलराज ने इसी अभियान के तहत 2.5 करोड़ रु. एकत्रित किया। यह धन उन लोगों से लिया गया, जिन्हें पेप्सी कोला कम्पनी का वितरणकर्ता बनाया जाना था। बाद में अडैकलराज ने अनिवासी भारतीयों से भी इसी तरह धन एकत्रित करना शुरू किया। यह सारा धन उस समय एकत्रित किया जा रहा था, जब पेप्सी कम्पनी का विधिवत कार्य भी भारत में शुरू नहीं हुआ था। अनिवासी भारतीयों से विदेशी मुद्रा के कानूनों का उल्लंघन करके 1.5 करोड़ डालर एकत्रित किये गये।

पेप्सी-कोला कम्पनी के शीतल पेयों को बोतल में भरने के लिये जो मशीनों की जरूरत हुयी, वे सभी अमरीका से मँगायी गयीं। लेकिन इन मशीनों को मँगाने में भी काफी घोटाला हुआ। इन मशीनों को ताजे फलों का रस निकालने वाली मशीनों के आधार पर आयात किया गया, जबकि ये सभी मशीनें शीतल पेय (साफ्ट ड्रिंक) के लिये ही थीं। इन मशीनों को फलों के रस वाली मशीन कहकर, आयात कर में छूट ली गयी। भारत सरकार की आयात नीति के अनुसार बाहर के देशों से फलों का रस निकालने वाली मशीनों को

WWW.RAJIVDIXITMP3.COM(09928064941, 9782705883)

आयात करने पर आयात कर बहुत ही कम लगता है। इस तरह के आयात में तत्कालीन फेरा कानूनों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन किया गया।

पेप्सी—कोला की भ्रामक विज्ञापन बाजी

अमरीका में कोला कम्पनियों की सफलता का सबसे बड़ा कारण है अंधाधुंध विज्ञापनबाजी। हमेशा नये-नये तरीकों से विज्ञापन बनाकर लोगों को आकर्षित करना, पेप्सी—कोला कम्पनी करती रही है। भारत में आकर भी इस कम्पनी ने यही किया। भारत में पेप्सी कोला कम्पनी के विज्ञापन का खर्चा इस कम्पनी के शोध कार्य के खर्चे से कई गुना अधिक है। भारत में इस पेप्सी कम्पनी ने विज्ञापनों के माध्यम से युवा वर्ग को अधिक से अधिक फँसाने का कार्य किया है। इसके लिये पेप्सी कम्पनी ने माइकल जैक्सन, मैडोना, टीना टर्नर जैसे अमरीकी सुपर स्टारों को करोड़ों डालर देकर अनुबंधित किया। भारत सरकार से हुये करार के अनुसार पेप्सी—कोला कम्पनी अपने ब्रांड नाम का इस्तेमाल भारत में नहीं कर सकती थी, लेकिन पेप्सी कम्पनी ने करार की इस शर्त को भी तोड़ा। इसके लिये कम्पनी ने अपने ब्रांड नाम के आगे 'लहर' शब्द लगाकर इस्तेमाल करना शुरू किया। जैसे— 'लहर पेप्सी', "लहर सेवन अप", "लहर मिरिन्डा", "लहर स्लाइस" आदि लगाया। इन विज्ञापनों का सबसे अधिक प्रयोग पेप्सी कम्पनी ने भारत के स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवसों पर किया। टेलीविजन चैनलों पर लोकप्रिय धारावाहिकों के शुरू होने के पूर्व इन विज्ञापनों को सबसे अधिक दिखाया जाता रहा। कई हिन्दी फिल्मों का भी पेप्सी कम्पनी ने अपने प्रचार के लिये प्रयोग किया। उदाहरण के लिये विनोद पाण्डे की फिल्म "परिदा" को 60 लाख रु. देकर पेप्सी ने अपने लिये इस्तेमाल किया। भारतीय सिनेमा के कलाकारों जूहीचावला, रेमोफर्नान्डीस को पेप्सी—कोला कम्पनी ने विज्ञापन के लिये सबसे पहले अनुबंधित किया।

भारतीय कम्पनी पारले का शीतल पेय थम्सअप का विज्ञापन भी लगातार बढ़ने लगा। पेप्सी—कोला और पारले में बिक्री पारले कम्पनी के थम्सअप की ही अधिक रहती थी। इसी तरह बाजार में एक और भारतीय कम्पनी का शीतल पेय कैम्पा कोला उपलब्ध था जिसकी काफी बिक्री हुआ करती थी। ये सभी शीतल पेय 3 रु. या 3.50 रु. के आस-पास की कीमत पर बिकते थे। दोनों ही भारतीय शीतल पेय कैम्पा कोला एवं थम्स अप की बिक्री लहर पेप्सी से काफी अधिक थी। फिर पेप्सी—कोला कम्पनी ने क्रिकेट खिलाड़ी कपिलदेव को विज्ञापन के लिये अनुबंधित किया। कपिलदेव ने इस कम्पनी के प्रचार के लिये घर-घर जाना शुरू किया लोगों को कहा गया कि वे अपने घरों के अन्दर पेप्सी की बोतलों को रखें फिर कपिलदेव किसी के घर अचानक पहुँचकर पेप्सीकोला को पीयेंगे। मजे की बात यह थी कि कपिलदेव ने थोड़े दिनों पूर्व तक भारतीय कम्पनी पारले के ठंडे पेय 'थम्स अप' का विज्ञापन किया था। इस पर विवाद हुआ और पेप्सी कोला और पारले के बीच में मुकदमेबाजी भी हुयी। इस मुकदमेबाजी का परिणाम पारले कम्पनी के पक्ष में आया।

भारतीय कम्पनी पारले ने पेप्सी—कोला की तुलना में अपनी बोतलों में अधिक शीतल पेय देना शुरू किया। 6 रु. में 500 मिली. की थम्स अप की बोतल बाजार में मिलनी शुरू हुयी, जबकि उन दिनों में पेप्सी—कोला की 250 मिली. की बोतल 4 रु. में मिला करती थी। पेप्सी—कोला कम्पनी का 90 सेकेन्ड का विज्ञापन 60 लाख रु. में बनाया गया था, जबकि भारतीय कम्पनी पारले का थम्स अप विज्ञापन मात्र 4 लाख रु. में बनाया गया। पेप्सी कोला कम्पनी ने 700 से 750 किमी. के परिवृत में अपने पेय पदार्थों को बेचने के लिये 15 कारखाने लगाये, तथा कई अन्य भारतीय कारखानों को अपने लिये प्रयोग करना शुरू किया।

बाजार में अपने शीतल पेय की खपत को बढ़ाने के लिये पेप्सी-कोला कम्पनी ने अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, विवेक ओबेराय, ऐश्वर्य राय (पूर्व विश्व सुन्दरी) जैसे मशहूर लोगों का लगातार इस्तेमाल किया, अभी भी कर रही है।

कोका-कोला का भारत में प्रवेश

सबसे पहले सन् 1966-67 में इन्दिरा गांधी के प्रथम बार प्रधानमन्त्री बनने के समय कोका-कोला कम्पनी ने भारत में प्रवेश किया था। इन्दिरा गांधी ने अपनी सत्ता को बरकरार बनाये रखने के लिये प्रजातन्त्र का गला घोटकर 1975 में आपातकाल लागू कर दिया। इन्दिरा गांधी के इस लोकतन्त्र विरोधी कार्य का विरोध करने के लिये प्रसिद्ध गांधीवादी एवं सर्वोदय नेता श्री जयप्रकाश नारायण ने सम्पूर्ण क्रान्ति आन्दोलन शुरू किया। इस आन्दोलन को भारी सफलता मिलना शुरू हुई, जब लाखों युवकों ने अपने कैरियर छोड़कर इस आन्दोलन में शामिल होना शुरू किया। इन्दिरा गांधी को श्री जयप्रकाश नारायण के इस सम्पूर्ण क्रान्ति आन्दोलन से अपनी सत्ता के लिये खतरा महसूस हुआ। इसलिये श्री जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया, और आपातकालीन स्थिति की घोषणा देश में कर दी गयी। इसमें लोगों से सभी मौलिक संवैधानिक अधिकार छीन लिये गये। इन्दिरा गांधी के इस कदम का पूरे देश में विरोध हुआ। अन्ततः 1977 में आपातकाल को वापस लिया गया और चुनाव हुये। इन चुनावों में श्री जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में बनी जनता पार्टी को भारी बहुमत मिला और जनता पार्टी की सरकार बनी। इस सरकार में प्रधानमन्त्री श्री मोरारजी देसाई, उद्योगमन्त्री जार्ज फर्नान्डीस, विदेश मन्त्री अटल बिहारी वाजपेयी, स्वास्थ्य मन्त्री राजनारायण आदि-आदि लोग शामिल हुये। इसी जनता पार्टी सरकार ने कोका-कोला कम्पनी का लाइसेन्स रद्द करके भारत से बाहर निकालने का कार्य किया। उसी कोकाकोला कम्पनी ने पेप्सी-कोला के पीछे-पीछे भारत में फिर से प्रवेश कर लिया।

कोका-कोला कम्पनी ने भारत में प्रवेश करने के लिये वही रास्ता अपनाया जो पेप्सी-कोला ने अपनाया था। कोका-कोला ने भी भारत आने के लिये अपने कुल उत्पादन का 75% निर्यात करने एवं 25% को भारतीय बाजार में ही बेचने की बात करना शुरू कर दिया। इसके लिये कोका-कोला ने अपनी एक विशेष कम्पनी को बनाने का ऐलान भी किया। कोका-कोला ने सबसे पहले ब्रिटानिया कम्पनी के राजन पिल्लई के साथ मिलकर समझौता किया। उसके बाद अपना प्रस्ताव भारत सरकार के पास भेज दिया। राजन पिल्लई और कोका-कोला ने मिलकर एक आफशोर कम्पनी जे.एम.आर.पी. के नाम से बनाया। इस कम्पनी का मुख्य कार्यालय हांगकांग में दिखाया गया। इस कम्पनी में राजन पिल्लई के 60% शेयर एवं कोका कोला के 40% शेयर रखे गये। बाद में जे.एम.आर.पी. कम्पनी और ब्रिटानिया इन्डस्ट्रीज की ओर से संयुक्त कम्पनी 'ब्रिटको फूड्स प्राइवेट लिमिटेड' नाम से स्थापित की गयी। इस ब्रिटको कम्पनी में जे.एम.आर.पी. का हिस्सा 66% एवं ब्रिटानिया इन्डस्ट्रीज का हिस्सा 24% रखा गया। बाकी 10% हिस्सा किसी सरकारी कम्पनी के लिये छोड़ दिया गया।

राजन पिल्लई एवं कोका कोला ने 2 करोड़ डालर लगाकर इस धन्धे को शुरू किया। नरसिंहराव की सरकार की उदारीकरण की नीति का लाभ उठाकर कोका-कोला को ऑटोमैटिक लाइसेन्स मिला। कोका-कोला व राजन पिल्लई ने भारत सरकार को 10 साल में 1002 करोड़ रु. का निर्यात करने का वायदा किया। लगभग 26.85 करोड़ रु. की परियोजना कोका-कोला एवं राजन पिल्लई द्वारा भारत में शुरू की गयी। भारत सरकार को दिये गये प्रस्ताव में कोका-कोला कम्पनी ने 10 साल में 280 करोड़ रु.

डिब्बाबंद भोजन (स्नैक फूड) आयात करने एवं 151 करोड़ रु. सान्द्र घोल (Concentrate)) आयात करने तथा 66 करोड़ रु. लाभांश के रूप में ले जाने का उल्लेख किया। अर्थात् कुल मिलाकर 497 करोड़ रु. भारत से बाहर जाने की बात इस प्रस्ताव में कही गयी।

सभी विदेशी कम्पनियाँ विकासशील देशों की लूट करने के लिये बदनाम रहीं हैं। इन कम्पनियों का सबसे बड़ा उद्देश्य धन कमाकर अपने-अपने देशों में ले जाने का ही रहता है। धन को ले जाने के लिये कई घोषित-अघोषित रास्ते हुआ करते हैं। कुछ कानूनी और कुछ गैरकानूनी रास्तों से यह धन ले जाया जाता है। कानूनी एवं घोषित रास्ता धन ले जाने का लाभांश के रूप में या शुद्ध मुनाफे के रूप में होता है। लेकिन गैरकानूनी और अघोषित रास्ता ट्रांसफर प्राइसिंग (Transfer pricing) का होता है। सभी विदेशी कम्पनियाँ आयात और निर्यात का व्यापार अपनी ही कम्पनियों (Parents Companies) के साथ करती हैं। जब भी कोई विदेशी कम्पनी, आयात करती है तो हमेशा बाजार के मूल्य से बहुत ऊँचे भाव पर, अपनी ही सहयोगी कम्पनी से करती है। इसी तरह जब भी कोई विदेशी कम्पनी निर्यात करती है तो अपनी ही सहयोगी कम्पनी को बाजार भाव से कम मूल्य पर देती है। इस तरह दोनों ही रास्तों से धन को ले जाने का कार्य किया जाता है। विदेशी कम्पनियाँ जिस देश में जाती हैं, वहाँ की स्थानीय स्वदेशी कम्पनियों के सामने प्रतिस्पर्धा में करोड़ों रु. का नुकसान उठाकर भी सस्ती कीमत पर माल बेच सकती हैं। पेप्सी-कोला ने सन् 1990-91 में यही किया और लगभग 24 करोड़ रु. का घाटा उठाया।

पेप्सी-कोला एवं कोका-कोला कम्पनियों द्वारा राजनैतिक हस्तक्षेप

पेप्सी-कोला कम्पनी व अमरीकी जासूसी संस्था सी.आई.ए. (सेन्ट्रल इन्टेलीजेन्स एजेन्सी) के घोषित सम्बन्ध रहे हैं। इस कम्पनी ने अपने व्यापारिक हितों की रक्षा करने के लिये सी.आई.ए. के राजनैतिक प्रभाव का भरपूर इस्तेमाल किया है। लैटिन अमरीकी देश चिली में एक चुनी हुयी सल्वादोर अलेन्दे नाम के राष्ट्रपति की सरकार का तख्ता पलट पेप्सी-कोला कम्पनी ने सी.आई.ए. की मदद से कराया। अमरीकी पत्रकार-लेखक बॉब वुडवर्ड ने अपनी पुस्तक "सीक्रेट वार आफ सी.आई.ए." में इस सनसनीखेज तथ्य का उद्घाटन किया था। यह पुस्तक सन् 1981 से 1987 के बीच में सी.आई.ए. द्वारा दूसरे देशों में किये गये राजनैतिक हस्तक्षेप को उजागर करती है। जिस समय पेप्सी-कोला कम्पनी का भारत में प्रवेश हुआ उस समय इस कम्पनी का मुख्य अधिकारी डोनाल्ड कैडल होता था। इस डोनाल्ड कैडल की पूर्व अमरीकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन से काफी गहरी दोस्ती रही। जिस समय सल्वादोर अलेन्दे की सरकार का चिली में तख्ता पलट दिया गया और फिर सल्वादोर अलेन्दे की हत्या की गयी, तब अमरीका में रिचर्ड निक्सन राष्ट्रपति था, और डोनाल्ड कैडल पेप्सी कम्पनी का मुख्य अधिकारी था। अमरीकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने तत्कालीन सी.आई.ए. के निदेशक आर. हेल्म को आदेश दिया था, कि किसी भी कीमत पर चिली का राष्ट्रपति सल्वादोर अलेन्दे नहीं रहना चाहिए। जिस समय चिली में सल्वादोर अलेन्दे राष्ट्रपति बना, उस समय पेप्सी-कोला कम्पनी का चिली में मुख्य व्यापारी ऑगस्टीन एडवार्ड था। सल्वादोर अलेन्दे अत्यधिक देशभक्त एवं स्वदेशी समर्थक था। वह अपने देश चिली की लूट बन्द कराने के लिये अमरीकी कम्पनियों पर शिकंजा कस रहा था। जब सल्वादोर अलेन्दे अपने देश को अमरीकी कम्पनियों के शोषण से मुक्त कराने के प्रयास में लगा हुआ था, उसी समय ऑगस्टीन एडवार्ड अमरीका गया और अमरीका के विदेश मन्त्री हेनरी किसिंगर को मिला। हेनरी किसिंगर से उसकी मुलाकात के बाद वह सी.आई.ए. के निदेशक आर. हेल्म को मिला। ये दोनों ही मुलाकातें पेप्सीकोला कम्पनी के मुख्य अधिकारी डोनाल्ड कैडल ने करायी। डोनाल्ड कैडल मई 1991 तक पेप्सी-कोला कम्पनी का मुख्य अधिकारी रहा। सन् 1970 में सल्वादोर अलेन्दे चिली का राष्ट्रपति बना और सन् 1973 में उसकी हत्या कर दी गयी। हत्या के पूर्व अमरीका में तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने, संसद में कहा कि "चिली का वर्तमान राष्ट्रपति सल्वादोर अलेन्दे अमरीकी हितों के विरुद्ध है"। यही बात सी.आई.ए. निदेशक आर. हेल्म द्वारा एवं पेप्सी कम्पनी के मुखिया डोनाल्ड कैडल द्वारा भी कही गयी। जिनके दस्तावेज आज भी उपलब्ध हैं। अमरीका की सभी कम्पनियाँ, अमरीकी साम्राज्यवाद को दुनिया के तमाम देशों में फैलाने के लिए काम करती रहीं हैं। पेप्सी एवं कोका-कोला को अमरीकी साम्राज्यवाद के दो हाथ माना जाता है। पेप्सी-कोला कम्पनी द्वारा कई बार यह कहा गया है कि "जब तक कोई व्यापारी हमारे हितों की पूर्ति करता रहेगा, तभी तक वह व्यापार करता रहेगा और समृद्धिशाली होता रहेगा"।

भारतीय संसद में भी पेप्सी-कोला कम्पनी एवं सी.आई.ए. के आपसी सम्बन्धों पर काफी कुछ कहा गया। 21 से 27 जुलाई 1991 के साप्ताहिक अखबार "सन्डे ऑब्जर्वर" (Sunday observer) में विस्तार से इस

पर लिखा गया। इसी अंक में यह भी कहा गया कि भारत के कुछ नेताओं एवं 17 अधिकारियों ने पेप्सी-कोला परियोजना को भारत में लाने में रिश्वत ली है।

भारतीय राजनीति में भी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अमरीका विरोधी रूख अपनाया था। जब खाड़ी युद्ध हो रहा था, तो राजीव गांधी ने अमरीकी हवाई जहाजों में तेल भरने से इंकार कराया था। पेप्सी-कोला कम्पनी को रोकने की भरपूर कोशिश की थी लेकिन कुछ सांसदों के दबाव में आकर पेप्सी-कोला को मंजूरी दी। क्यूबा के राष्ट्रपति फीडेलकास्त्रो एवं फिलिस्तीनी नेता यासर अराफात ने उस समय राजीव गांधी को सावधान रहने के लिये संदेश भेजे थे। क्योंकि इन दोनों नेताओं को राजीव गांधी की हत्या किये जाने का अंदेशा हो गया था। 21 मई 1991 को जिस दिन राजीव गांधी की हत्या हुयी, उसी दिन टाइम्स ऑफ इन्डिया समाचार पत्र को दिये गये अपने साक्षात्कार में राजीव गांधी ने कहा कि "एक महाशक्ति भारत को स्थिर होते देखना नहीं चाहती है"। जब राजीव गांधी को पूछा गया कि वह महाशक्ति कौन है? तो उन्होंने जवाब दिया कि "वह महाशक्ति सोवियत-रूस तो नहीं ही है"। अर्थात् वह महाशक्ति अमरीका है। उसी दौरान 'सन्डे' (Sunday) नामक समाचार पत्र में भी राजीव गांधी का एक साक्षात्कार प्रकाशित हुआ था, जिसमें उन्होंने पेप्सी-कोला कम्पनी की कड़ी आलोचना की थी। उसमें कहा गया कि "जिस आधार पर पेप्सीकोला कम्पनी को भारत में लाइसेंस दिया गया, उसमें तो खाद्य प्रसंस्करण का क्षेत्र मुख्य था और उसमें 50,000 लोगों को रोजगार देने की बात महत्वपूर्ण थी। लेकिन पेप्सी कम्पनी ने इसका पालन नहीं किया है। राजीव गांधी ने वी.पी.सिंह सरकार की आलोचना करते हुये कहा कि यह सरकार पेप्सी-कोला कम्पनी के खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं कर रही है, बल्कि पेप्सी कम्पनी को बचाने की कोशिश कर रही है।

राजीव गांधी की हत्या श्रीलंका में हिंसावादी संगठन लिबरेशन टाइगर्स आफ तमिल ईलम (LTTE) ने किया। इस संगठन को प्रशिक्षण देने का कार्य इजरायली संस्था मोसाद करती रही है। मोसाद के अमरीकी गुप्तचर संस्था सी.आई.ए. के साथ नजदीकी सम्बन्ध हैं। पेप्सी-कोला को दक्षिण भारत में फैलाने वाले अडैकलराज की सहानुभूति (LTTE) के साथ रही है। यदि इस नजरिये से राजीव गांधी हत्याकांड की खोजबीन की जाये तो कुछ और सच्चाई सामने आ सकती है।

सोवियत संघ में जो भी कुछ गत 10-15 वर्षों में राजनैतिक रूप से घटित हुआ, वह पेप्सी-कोला के सोवियत संघ में जाने के बाद ही हुआ। इसी तरह चीन में भी राजनैतिक उथल-पुथल पेप्सी-कोला के पहुँचने के बाद ही हुयी।

भारतीय समाचार—पत्रों एवं पत्रिकाओं में पेप्सी—कोला के बारे में उद्घाटित सत्य

9 अगस्त 1986, को “करंट” (Current) पत्रिका में प्रकाशित:— “भारतीय संसद के इतिहास में कई वर्षों में पहली बार सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के सांसदों में, पेप्सी—कोला के प्रश्न पर इतनी एकता दिखायी दे रही है।”

3 सितम्बर 1989 को “ब्लिट्ज” (BLITZ) में प्रकाशित:— “पेप्सी—कोला के अमरीकी गुप्तचर संस्था सी.आई.ए. के साथ सम्बन्धों के अतिरिक्त अन्य कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जिन पर विचार करने की जरूरत है। पेप्सी—कोला को भारत के बाजार में लूटने की खुली छूट दे दी गयी है”।

— “यह आश्चर्य की बात है कि सत्ता पक्ष के अन्दर ही पेप्सी—कोला का विरोध करने वाले अधिक हैं लेकिन फिर भी इस कम्पनी की परियोजना को मंजूरी मिली है”।

— “भारत में आलू का चिप्स बनाने और ठंडे पेय की पूरी तकनीक उपलब्ध है, फिर भी एक विदेशी अमरीकी कम्पनी को भारत में लाया गया है। शायद ही कभी यह कम्पनी अपने निर्यात वायदों को पूरा करेगी। एक बार इस कम्पनी का उत्पादन कार्य शुरू हो गया तो फिर भारत सरकार भी दबाव डालने में असमर्थ होगी। अन्ततः अपने निर्यात वायदों को पूरा करने के लिये यह कम्पनी पहले से निर्यात हो रहे सामानों का निर्यात अपने नाम से खरीद कर, कर लेगी।”

6 मई 1989 फाइनेन्शियल एक्सप्रेस में प्रकाशित:— “जिन अमरीकी कम्पनियों के व्यापारिक हित भारत के बाजार में हैं, वे सभी भारत के विरुद्ध लगाये जाने वाले सुपर—301, स्पेशल—301 के प्रावधानों के विरोध में हैं। इस सन्दर्भ में पेप्सी कम्पनी के मुखिया डोनाल्ड कैंडल ने अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि को भी पत्र लिखा है और उन्हें सुझाव दिया है कि भारत पर सुपर—301 के तहत कार्यवाही नहीं करें”।

3 नवम्बर 1988 को “द हिन्दू” में प्रकाशित:— “भारत के कई हिस्सों में यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में एक विदेशी कम्पनी का आना भारत के लिये अच्छा नहीं होगा। इस कम्पनी की भारत को कोई जरूरत नहीं है। अच्छा होता कि स्वदेशी कम्पनियों एवं स्वदेशी तकनीक को इस क्षेत्र में बढ़ावा दिया गया होता”।

3 नवम्बर 1988 को “द हिन्दुस्तान टाइम्स” में प्रकाशित:— “पेप्सी—कोला के समझौते के लिये कई नियमों का उल्लंघन हुआ है”।

23 अक्टूबर 1988 को “द हिन्दुस्तान टाइम्स” में प्रकाशित:— “पेप्सी—कोला कम्पनी द्वारा कम से कम 50,000 लोगों को रोजगार दिया जायेगा”।

27 सितम्बर 1988 को “टाइम्स आफ इण्डिया” में प्रकाशित:— “पंजाब के किसानों की एक हेक्टेयर भूमि से लगभग 7000 रु. की आमदनी हो रही है जो बहुत कम है। पेप्सी—कोला की परियोजना आने के बाद पंजाब के किसानों की औसतन आमदनी लगभग 15000 रु. प्रतिहेक्टेयर से 25,000 रु. प्रति हेक्टेयर

तक बढ़ जायेगी। पेप्सी-कोला की परियोजना में पूरे पंजाब में पैदा होने वाले फलों का 25% हिस्सा खपत होगा”।

पेप्सी-कोला कम्पनी ने पंजाब के किसानों को टमाटर पैदा करने के लिये एक विशेष प्रकार का बीज दिया इस बीज को पंजाब के कई किसानों ने बोया। इस बीज के चलते जो भी टमाटर पैदा हुआ वह हरे रंग का बना रहा और लाल नहीं हुआ। बाद में इस टमाटर को पेप्सी-कोला कम्पनी ने नहीं खरीदा और फिर किसानों ने बहुत ही सस्ते दाम पर यह टमाटर बाजार में बेचा। इसमें किसानों का लागत खर्चा भी नहीं निकल पाया। लागत खर्च की एक चौथाई कीमत पर यह टमाटर बिका।

27 सितम्बर 1988 “इकोनॉमिक टाइम्स” में प्रकाशित:- “पेप्सी-कोला कम्पनी के बाजार में आने से प्रतियोगिता बढ़ेगी एवं ग्राहकों को कम कीमत पर शीतल पेय पीने को मिलेगा”।

21 सितम्बर 1988 “द बिजनेस स्टैण्डर्ड” में प्रकाशित:- “ तत्कालीन जनता दल नेता जार्ज फर्नान्डीस ने वी.पी.सिंह. को एक पत्र लिखा जो उपयुक्त समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ।

– “पेप्सी-कोला परियोजना को मंजूरी देकर राजीव गांधी सरकार ने भारी गलती की है। अतः पेप्सी-कोला के विरोध का मुद्दा चुनाव का मुद्दा बनाया जाना चाहिए। सरकारी दावों के अनुसार इस परियोजना के कारण 50,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन वास्तव में 500 लोगों को भी इससे रोजगार नहीं मिलेगा। पूरे देश में इस मुद्दे को आन्दोलन का आधार बनाना चाहिए।”

19 सितम्बर 1988 “द हिन्दुस्तान टाइम्स” में प्रकाशित:- “ जनता दल नेता जार्ज फर्नान्डीस ने ऐलान किया है कि राजीव गांधी सरकार द्वारा जो पेप्सी-कोला कम्पनी को मंजूरी दी गयी है, वह समाप्त कर दी जायेगी, यदि जनता दल की सरकार बन जायेगी। जार्ज फर्नान्डीस के अनुसार इस पेप्सी-कोला परियोजना में बहुत अधिक रिश्वत लेने-देने का काम हुआ है। कम से कम 5 करोड़ रुपये तो रिश्वत के रूप में भारत के नेताओं एवं अधिकारियों को दिये ही गये हैं”।

महत्वपूर्ण बात यह है कि राजीव गांधी की सरकार जाने के बाद जनता दल तथा अन्य पार्टियों की मिली-जुली सरकार भारत में बनी। इस सरकार में जार्ज फर्नान्डीस स्वयं मंत्री थे, लेकिन इस जनता दल सरकार ने भी पेप्सी-कोला कम्पनी के विरुद्ध कुछ नहीं किया। जनता दल सरकार के समय में पेप्सी-कोला की परियोजना लागत 22 करोड़ रु. से बढ़कर 75 करोड़ रुपये हो गयी। पूरी परियोजना की उत्पादन क्षमता नहीं बढ़ने के बाद भी परियोजना की लागत 75 करोड़ रुपये हो गयी। लेकिन कभी भी जनता दल सरकार ने पेप्सी-कोला के खिलाफ कुछ नहीं किया। इस परियोजना लागत खर्च बढ़ने में भी रिश्वत का लेन-देन हुआ होगा, तभी तो सरकार ने पेप्सी कम्पनी को कुछ भी नहीं कहा।

7 अगस्त 1986 को “द टाइम्स आफ इण्डिया” में प्रकाशित:- “पेप्सी-कोला कम्पनी की मंजूरी के बाद अब, भारत देश में पेप्सी-कोला के मूल ब्रांड नाम के आधार पर ना तो शीतल पेय बेचा जायेगा और ना ही कोई दूसरा उत्पादक इस मूल ब्रांड नाम के आधार पर उत्पादन कर सकेगा। जो भी सान्द्र घोल की जरूरत पड़ेगी, शीतल पेय बनाने के लिये वह भारत में ही तैयार किया जायेगा। बहुत ही जरूरी कुछ रसायन आयात किये जायेंगे जो भारत में उपलब्ध नहीं होंगे”।

13 फरवरी 1988 को “द टाइम्स आफ इण्डिया” में प्रकाशित:-“पेप्सी-कोला कम्पनी अमरीकी साम्राज्यवाद का प्रतीक है। यह कम्पनी दुनिया भर में राजनैतिक हत्यायें कराने और उथल-पुथल कराने के लिये बदनाम रही है। लैटिन अमरीकी देश चिली ओर पेरू इसके जीते-जागते उदाहरण हैं। भारत सरकार को ऐसी कम्पनी के बारे में पूरी गंभीरता से सोच-समझकर ही कोई अन्तिम फैसला करना चाहिए। क्या

भारत जैसे देश को विदेशी शीतल पेय की जरूरत है? और वह भी अपनी सुरक्षा व्यवस्था को खतरे में डालकर, विदेशी कम्पनी को बुलाना बहुत मंहगा पड़ सकता है?"

11 फरवरी 1988 को "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित:- "भारत सरकार ने स्वदेशी और स्वावलंबन के रास्ते को छोड़ कर पेप्सी-कोला कम्पनी को भारत में आने की अनुमति दी है जो देश की अर्थव्यवस्था के लिये घातक सिद्ध होगा"। यह बयान पूर्व प्रधानमंत्री चन्द्रशेखर ने दिया था। जब 1990-1991 में चार माह के लिये चन्द्रशेखर देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने पेप्सी-कोला कम्पनी के घोटालों और वायदा खिलाफी के बारे में जाँच करायी और कम्पनी को नोटिस दिया गया। साथ ही साथ चन्द्रशेखर सरकार ने पेप्सी-कोला द्वारा परामर्श शुल्क (Consultancy Fees) के नाम पर भारत से धन अमरीका ले जाने पर पाबन्दी लगा दिया। सभी कर वसूलने वाले विभागों जैसे उत्पादकर निदेशालय एवं आयकर व कम्पनीकर निदेशालयों को पेप्सी-कोला के खिलाफ सख्ती बरतने के आदेश दिये गये। लेकिन इन सभी कार्यवाही पर कोई ठोस फैसला सरकार ले पाती, उसके पूर्व ही चन्द्रशेखर सरकार गिर गयी। पंजाब के एक नेता बलवंत सिंह रामूवालिया ने तत्कालीन प्रधानमंत्री चन्द्रशेखर को एक लम्बा पत्र लिखा था। इस पत्र में पेप्सी-कोला की धोखाधड़ी के बारे में विस्तार से लिखा गया था।

14) 1 अक्टूबर 1988 को "करंट" (Current) पत्रिका में प्रकाशित:- "राजीव गांधी सरकार के बारे में जो भी अफवाहें उड़ रही हैं, धीरे-धीरे वे सब सच होती जा रही हैं। अभी हाल ही में राजीव गांधी की अमरीका (वाशिंगटन) यात्रा हुयी है। इस यात्रा से लौटने के बाद ही भारत सरकार के उद्योग मंत्री जे. वेंगलराव ने पेप्सी-कोला परियोजना को अच्छा कहना शुरू किया है, जबकि शुरू में वे पेप्सी-कोला का विरोध करते रहे। यह कैसा फैसला है कि पेप्सी परियोजना को मंजूरी देने के लिये एक नया मंत्रालय खाद्य एवं प्रसंस्करण के नाम से खोला गया है। वास्तव में तो यह परियोजना उद्योग मंत्रालय के द्वारा ही स्वीकृत हो सकती थी। लेकिन अलग से नया मंत्रालय खोलना शक पैदा करता है। जगदीश टाईटलर जैसे विदेशी कम्पनियों के समर्थक को इस नये खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्रालय का मंत्री बनाया जाना भी शक पैदा करता है। चूँकि शुरू में उद्योगमंत्री जे.वेंगलराव ने इस पेप्सी परियोजना को नकार दिया था, इसलिये नया मंत्रालय बनाकर पेप्सी-कोला को मंजूरी दी गयी है। उद्योग सचिव ओतिमा बोरदिया भी इस पेप्सी परियोजना के खिलाफ रहे हैं। लेकिन उद्योग मंत्रालय के राज्यमंत्री अरुणाचलम पेप्सी-कोला के समर्थन में रहे। क्योंकि तमिलनाडु के ही अरुणाचलम के अडैकलराज के साथ अच्छे सम्बन्ध हैं"। (दक्षिण भारत में पेप्सी-कोला को फैलाने में अडैकलराज की मुख्य भूमिका रही।)

15) 21 सितम्बर 1988 को "द इन्डियन पोस्ट" में प्रकाशित:- "वामपंथी पार्टियाँ सी.पी.आई. (एम.) और सी.पी.आई. दोनों ने ही भारत सरकार से माँग की है कि पेप्सी-कोला को दिया गया लाईसेंस रद्द किया जाय। राजीव गांधी सरकार की उदारीकरण की नीति के तहत इस पेप्सी-कोला कम्पनी को भारत में अनुमति देना दुर्भाग्यपूर्ण है। यह कदम भारतीय अर्थव्यवस्था को विदेशी कम्पनियों के हाथों गिरवी रखने जैसा है। भारत सरकार विश्व बैंक और मुद्राकोष के निर्देशों पर काम कर रही है, और भारत को विदेशी कम्पनियों की लूट के लिये खोल दिया गया है।"

16) 21 सितम्बर 1986 को "आर्गनाइजर" में प्रकाशित:- "पेप्सी-कोला कम्पनी को भारत में आने देना बिल्कुल भी समझदारी का फैसला नहीं है। पेप्सी-कोला कम्पनी का शीतल पेय ऐसी खास चीज नहीं है और ना ही इस कम्पनी का आलू चिप्स ऐसा खास है। 1977 में भारत से कोका-कोला कम्पनी को भगाया गया था, क्योंकि वह कम्पनी अपने शीतल पेय का फार्मूला बताने को तैयार नहीं थी। आलू का चिप्स और टमाटर

की चटनी भारत के घर-घर में, गाँव-गाँव में बनता है। अतः चिप्स और चटनी बनाने के लिये अमरीकी कम्पनी को लाने का कोई औचित्य नहीं है। वैसे तो पेप्सी-कोला कम्पनी ने पूर्व में कभी भी आलू का चिप्स और टमाटर की चटनी बनाने का कार्य नहीं किया है, और ना ही खाद्य प्रसंस्करण का कोई अनुभव इस कम्पनी के पास है। राजीव गांधी सरकार ने इस पेप्सी परियोजना को जो मंजूरी दी है, उसका एक भी आधार ठोस नहीं है।" यह बयान भारतीय जनता पार्टी के नेता जय का है, जो पार्टी की आर्थिक नीति बनाने वाले समूह के प्रमुख रहे। इस बयान के लगभग 10 साल बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक सरकार बनी जो अभी तक अक्टूबर-2003 तक चल रही है। लेकिन अभी तक इस सरकार ने भी पेप्सी-कोला कम्पनी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं किया है।

भारतीय संसद में पेप्सी—कोला के बारे में पूछे गये प्रश्न एवं सरकार के मंत्रियों द्वारा दिये गये उत्तर

जब से पेप्सी—कोला कम्पनी भारत में आयी, तभी से लेकर आज तक लगभग 500 प्रश्न विभिन्न सांसदों द्वारा संसद में पूछे गये। जिनमें से कुछ प्रमुख प्रश्नों को नीचे दिया जा रहा है।

सांसद दीपेन घोष द्वारा पूछा गया प्रश्न

— 29 अगस्त 1991:—

प्रश्न:— मैं सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि पेप्सी—कोला कम्पनी को स्वीकृत, लेटर आफ इन्टेन्ट (Letter of Intent) में जो शब्द 'टर्न ओवर' लिखा गया है, उसका अर्थ क्या है? कानून मंत्रालय को इस शब्द टर्न ओवर (Turn Over) की व्याख्या करने के लिये क्यों कहा गया है?

प्रश्न:— लोकसभा अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय जगदीश टाईटलर ने संसद में बार—बार कहा है कि पेप्सी—कोला कम्पनी को भारत में शीतल पेय अपने ब्रांड नाम से उत्पादन करने एवं बेचने की अनुमति नहीं दी जायेगी। इस कम्पनी को सिर्फ खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में ही अनुमति होगी। लेकिन मुझे लगता है कि यह अमरीकी कम्पनी, भारत सरकार की किसी भी बात या निर्देशों को नहीं मानेगी। यह कम्पनी समय आने पर शीतल पेय का उत्पादन और बिक्री दोनों ही अपने नाम से करेगी। गत 20 जुलाई 1989 को खाद्य प्रसंस्करण मंत्री जगदीश टाईटलर द्वारा संसद में आश्वासन दिया गया था कि पेप्सी—कोला कम्पनी को भारत में शीतल पेय उत्पादन करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक वह कम्पनी अपने करार की सभी शर्तों को पूरा नहीं करेगी। लेकिन अभी—अभी सरकार की ओर से सूचना दी गयी है कि पेप्सी—कोला कम्पनी ने अपने कुल टर्न ओवर का 25% शीतल पेय उत्पादन शुरू कर दिया है। ऐसी स्थिति में सरकार इस कम्पनी को रोकने के लिये कोई कार्यवाही क्यों नहीं करती है? सरकार को इस कम्पनी की वायदाखिलाफी के विरुद्ध कार्यवाही करने से कौन रोक रहा है?

मंत्री गिरिधर गोमांग द्वारा दिया गया उत्तर:—

“हमारे पास कोई निगरानी करने वाला तंत्र नहीं है। हमारे मंत्रालय को पेप्सी कम्पनी द्वारा मासिक स्तरपर जो जानकारी दी जाती है, उसी के आधार पर हम कार्य करते हैं”।

इसी बहस में भाग लेते हुये सांसद हारवेन्द्र सिंह हंसपाल द्वारा दिया गया बयान:— “मुझे पता चला है कि यह कम्पनी कुछ समुद्री वस्तुओं का निर्यात कर रही है, जिसका पंजाब के किसानों के साथ कुछ लेना—देना नहीं है। मुझे लगता है कि यह पेप्सी—कोला कम्पनी सरकार के साथ मिलकर पंजाब के लोगों को धोखा दे रही है। मुझे मंत्री महोदय से यह आश्वासन चाहिए कि वे इस कम्पनी की धोखाधड़ी को रोकेंगे”।

लोकसभा अध्यक्ष की टिप्पणी:— “मंत्रीजी, सांसद का प्रश्न बिल्कुल सीधा है। कम्पनी की ओर से वायदा किया गया था कि पंजाब के किसानों को लाभ होगा। लेकिन अभी तक ऐसा कोई लाभ पंजाब के किसानों को नहीं हुआ है। क्या अभी तक पेप्सी-कोला कम्पनी की ओर से पंजाब में ऐसी कोई फैक्टरी लगाई गयी है, जिसमें फल एवं सब्जियों का प्रसंस्करण करके कोई उत्पाद बनाया जा रहा है?”

सांसद हारवेन्द्र सिंह हंसपाल का वक्तव्य:— “पेप्सी-कोला कम्पनी के साथ किये गये करार की यह शर्त है कि पहले खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में कम्पनी कारखाने लगाकर उत्पादन कार्य करेगी। उसके बाद ही शीतल पेय बाजार में ला सकेगी”।

लोकसभा अध्यक्ष की प्रतिक्रिया:— “लेकिन क्या अभी तक इस कम्पनी ने ऐसी कोई फैक्टरी खाद्य प्रसंस्करण के लिये नहीं लगायी है क्या?”

सांसद हारवेन्द्र सिंह का उत्तर :- “नहीं”।

लोकसभा अध्यक्ष की टिप्पणी:— “मन्त्री जी आपको इस सम्बन्ध में जल्दी और कड़ी कार्यवाही करने की जरूरत है। जिसका कोई परिणाम निकल सके”।

सांसद दीपेन घोष की टिप्पणी:— “या तो पेप्सी-कोला कम्पनी को करार की सभी शर्तों को पूरा करना चाहिए या फिर इस कम्पनी को भारत से बाहर निकाल देना चाहिए”।

गिरिधर गोमांगो का बयान:— “जब पेप्सी-कोला कम्पनी की टीम भारत आयी थी, तब एक यूनिट की कीमत 1200 रु. बतायी गयी थी। लेकिन अब यह कीमत बढ़ाकर 8058 रु. प्रति यूनिट कर दी गयी है। हमने इस सम्बन्ध में पेप्सी कोला कम्पनी को 19 अप्रैल 1991 को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है और कम्पनी से जबाब तलब किया है।

लोकसभा अध्यक्ष का वक्तव्य:— “मंत्रीजी, सांसद महोदय आपसे यह जानना चाहते हैं कि आप पेप्सी कम्पनी की वायदा खिलाफी के बारे में कोई कार्यवाही जल्दी करने जा रहे हैं या नहीं?”

मंत्री गिरिधर गोमांगो का बयान:— “पेप्सी-कोला कम्पनी ने जो भी करार भारत सरकार से किया है, उसकी सभी शर्तों का पालन करना ही होगा”।

जयपाल रेड्डी का बयान:— “अध्यक्ष महोदय, पेप्सी-कोला कम्पनी ने भारत में जिस तरह का काम किया है, वह बहुत आपत्तिजनक है। जब इस कम्पनी के साथ करार किया गया था, उस समय संसद के दोनों ही सदनो में बहस हुयी थी। करार की शर्तों पर भी चर्चा हुयी थी। लेकिन इस विदेशी कम्पनी ने अपने साथ हुये करार की एक भी शर्त को नहीं माना है। सरकार ने भी करार भंग के आधार पर कोई कार्यवाही नहीं की है।

लोकसभा अध्यक्ष की टिप्पणी:— “आपने जो भी कहा वह सभी कुछ साबित हो चुका है।”

जयपाल रेड्डी का बयान:— “मंत्री महोदय ने अपने जवाब में यह स्वीकार किया है, कि कम्पनी के द्वारा बताई गयी कीमतों में हेराफेरी हुयी है। इस बात को उत्पादन कर विभाग ने भी स्वीकार किया है।”

23 मार्च 1990 को संसद (लोकसभा) में हुयी बहस:—

सुदर्शनराय चौधरी (सांसद):— “पंजाब सरकार एवं पंजाब के लोगों को पेप्सी कम्पनी ने धोखा दिया है। न सिर्फ पंजाब बल्कि पूरे देश को भी धोखा हुआ है। हरित क्रांति, फल क्रांति आदि की सभी बातें खोखली साबित हुयी हैं। पेप्सी-कोला कम्पनी का असली उद्देश्य शीतल पेय और आलू चिप्स बेचने का ही था, किसानों का भला करने का कोई, उद्देश्य नहीं था।

सुधीर गिरी (सांसद का बयान):— “पेप्सी कम्पनी ने बहुत सारे वायदे किये थे, जिसमें से एक भी वायदा पूरा नहीं किया”।

डा. रामचन्द्र डोम (सांसद) का बयान:— “पेप्सी कम्पनी ने पंजाब के किसानों में एक आशा पैदा की थी, कि दूसरी हरित क्रांति पंजाब में फिर होगी। पेप्सी परियोजना से 50,000 लोगों को रोजगार मिलने वाला था। लेकिन आज वास्तविकता क्या है? संसद में यह भी कहा गया कि इस कम्पनी का अमरीकी गुप्तचर संस्था सी.आई.ए. के साथ भी सम्बन्ध है। सब जानते हैं कि इस पेप्सी कम्पनी ने सी.आई.ए. के साथ मिलकर चिली देश की अलेन्दे सरकार का तख्ता पलट कराया था। मुझे डर है कि यह कम्पनी भारत में भी ऐसा ही राजनैतिक हस्तक्षेप कर सकती है।”

6 दिसम्बर, 1988 को संसद में हुयी बहस :-

जयपाल रेड्डी (सांसद) का बयान:— “इतनी बड़ी विदेशी कम्पनी पेप्सी-कोला, दस साल तक बिना शुद्ध मुनाफे के भी व्यापार कर सकती है। क्योंकि इस कम्पनी के पास अनेकों रास्ते हैं जिनके द्वारा भारत से धन अमरीका ले जाया जा सकता है। इसमें एक रास्ता “ओवर इन्वायसिंग” (Over invoicing) का है। महत्व की बात यह है कि आलू चिप्स एवं पापकार्न को तो निर्यात नहीं किया जा सकता है। तो ये वस्तुएं भारतीय बाजार में ही बेची जायेंगी। मंत्री महोदय क्या आपने इन बातों पर गम्भीरता से विचार किया है? मंत्री महोदय आप हमसे कह रहे हैं कि पेप्सी कम्पनी अपने कुल उत्पादन का 25% ही शीतल पेय बनाकर बेचेगी। लेकिन आपने अनुमान लगाया है कि यह कितना खतरनाक हो सकता है? यदि पेप्सी कम्पनी का व्यापार स्थापित हो गया तो पीछे-पीछे कोका-कोला कम्पनी भी चली आयेगी। कोका-कोला कम्पनी भारत में 100 प्रतिशत निर्यात करने के बहाने से प्रवेश करने जा रही है। नाम के लिये तो 100 प्रतिशत निर्यात किये जाने की बात है, लेकिन उत्पादन का 25% भारतीय बाजार में ही बेचा जायेगा। भारत के बाजारों में फिर कोला युद्ध शुरू होगा। जो आर्थिक रूप से शीत युद्ध से भी भयंकर होगा। यदि सरकार चाहती है कि देश में स्थिरता एवं समृद्धि बनी रहे तो पेप्सी और कोका-कोला कम्पनियों को कभी भी भारत में व्यापार की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।”

जगदीश टाईटलर (मंत्री) का बयान:— “पेप्सी-कोला कम्पनी ने भारत सरकार को बैंक गारंटी और कानूनी गारंटी दी है। यह कम्पनी अपने सभी निर्यात वायदों को पूरा करेगी, यह हम देखेंगे। यह कम्पनी पंजाब में पैदा होने वाले फल-सब्जियों का 25% निर्यात करेगी, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है।”

3 नवम्बर 1988 को संसद में हुई बहस:-

एन. ई. बलराम (सांसद) का बयान:— “आप पेप्सी-कोला कम्पनी को अनुमति देने जा रहे हैं। इस कम्पनी के द्वारा निर्यात करने से सम्बन्धित सभी बातें वास्तविकता से बहुत दूर हैं। आप मंत्री महोदय सदन को गुमराह नहीं करें। आप जानते हैं कि इस कम्पनी का इतिहास बहुत ही काला एवं खराब रहा है। यह बहुत ही कुख्यात एवं बदनाम कम्पनी है। इतिहास का हरेक विद्यार्थी जानता है कि इसी पेप्सी-कोला कम्पनी ने चिली की सल्वादोर अलेन्दे सरकार का तख्ता पलट दिया था।”

दीपेनघोष (सांसद) का बयान:— “क्या मंत्री महोदय दुनिया में एक भी ऐसे कारखाने का पता बता सकते हैं जहाँ पेप्सी-कोला कम्पनी फलों का रस तैयार कराती हो, एवं उसका निर्यात करती हो?”

जगदीश टाईटलर (मंत्री) का बयान:— “पेप्सी-कोला द्वारा दिये गये तथ्या से पता चलता है कि इस कम्पनी का 60% व्यापार फल उत्पादों से जुड़ा हुआ है।”

दीपेन घोष (सांसद) का बयान:— “आप मंत्री जी गलत बोल रहे हैं और आपको गलत जानकारी दी गयी है। पेप्सी-कोला कम्पनी का पूरी दुनिया में शीतल पेयों का ही व्यापार है।

यशवंत सिन्हा (सांसद राज्यसभा) का बयान:— “अध्यक्ष महोदय, पेप्सी-कोला का मामला बहुत ही संवेदनशील है। इस पूरे मामले में आँकड़ों की बाजीगरी की गयी है। पेप्सी-कोला कम्पनी ने सरकार को एवं देश को गुमराह किया है। यह कम्पनी देश के लोगों की लूट करने जा रही है। इस कम्पनी ने अपने करार की सभी शर्तों का उल्लंघन किया है। इस समय माननीय प्रधानमंत्री सदन में बैठे हुये हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि सरकार इस कम्पनी के खिलाफ क्या कानूनी एवं प्रशासनिक कार्यवाही करने जा रही है? यदि मंत्री महोदय मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते तो माननीय प्रधानमंत्री इस प्रश्न का उत्तर दें”।

डा. येलामांचली शिवाजी (सांसद):— “अध्यक्ष महोदय, पूरे देश में लोगों के बीच यह चर्चा है कि भारत सरकार ने पेप्सी-कोला कम्पनी को मंजूरी देने के लिये ही एक नये मंत्रालय ‘खाद्य प्रसंस्करण’ का गठन किया है। क्या अब पेप्सी परियोजना को मंजूरी के बाद इस मंत्रालय को समाप्त कर दिया जाना चाहिए?

2 मई 1990 को संसद में हुयी बहस:—

कमल मोरारका (सांसद):— “अध्यक्ष महोदय, मैं पेप्सी-कोला परियोजना के आर्थिक पक्ष से सम्बन्धित कुछ गंभीर आपत्ति सदन के सामने रखना चाहता हूँ। शुरु में जब इस परियोजना को सरकार के सामने मंजूरी के लिये रखा गया था, तब इसकी लागत 22 करोड़ रुपये थी। अब इस परियोजना की लागत बढ़कर 75 करोड़ रु. हो गयी है। इस कीमत के बढ़ने का कोई भी कारण पेप्सी-कोला कम्पनी की ओर से नहीं दिया गया है। कम्पनी की ओर से इस बारे में झूठ बोला जा रहा है।”

दीपेन घोष (सांसद) का बयान:— “मैं वर्तमान सरकार से अपील करता हूँ कि पेप्सी-कोला कम्पनी को भारत में अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। क्योंकि यह कम्पनी अपने किसी भी वायदे को पूरा नहीं कर रही है। इस कम्पनी की भारत को कोई जरूरत नहीं है। इस कम्पनी ने लैटिन अमरीकी देश चिली में भयंकर उत्पात किया था”।

27 मार्च 1990 को संसद में हुयी बहस:—

खेमचन्द्र सोमाभाई चावड़ा (सांसद):— “पेप्सी अमरीका की बहुत बड़ी बहुराष्ट्रीय कम्पनी है। इस कम्पनी ने भारत में आकर सभी नियमों का उल्लंघन किया है। इस कम्पनी ने वायदा किया था कि 50,000 लोगों को रोजगार दिया जायेगा लेकिन मात्र 400 लोगों को ही अभी तक रोजगार दिया गया है। कम्पनी ने कहा था कि फलों का प्रसंस्करण करके निर्यात किया जायेगा, लेकिन अभी तक कुछ भी निर्यात नहीं किया जा रहा है। यह कम्पनी धोखेबाज कम्पनी है।”

पेप्सी—कोला एवं कोका—कोला के शीतल पेयों में कीटनाशक

5 अगस्त, 2003 को 'सेन्टर फार सायन्स एण्ड एनवायरमेन्ट' संस्था की प्रयोगशाला द्वारा जारी की गयी रिपोर्ट के अनुसार पेप्सी—कोला एवं कोका—कोला के शीतल पेयों में, निर्धारित मात्रा से कई गुना अधिक कीटनाशक पाये गये। इस संस्था के तीन वैज्ञानिकों प्रो. (डा.) एच.बी.माथुर, डा. सपना जॉनसन, एवं अविनाश कुमार ने पेप्सी एवं कोका—कोला के शीतल पेयों के सभी ब्रांड नामों से बिकने वाले पेयों का वैज्ञानिक परीक्षण किया। इस परीक्षण में लहर पेप्सी, लहर सेवन अप, लहर मिरिन्डा, कोका—कोला, थम्सअप, लिम्का, सिट्रा जैसे करीब 12 ब्रांडो को लिया गया। आज की प्रचलित अन्तरराष्ट्रीय परीक्षण तकनीक, गैस क्रोमेटोग्राफी को इलैक्ट्रान कैप्चर डिटेक्टर (Electron Capture Detector) एवं नाइट्रोजन फॉस्फोरस डिटेक्टर (Nitrogen Phosphorus Detector) की मदद से ये परीक्षण किये गये। इन परीक्षणों से ज्ञात हुआ कि पेप्सी और कोका—कोला द्वारा जो पानी इस्तेमाल किया जा रहा है— शीतल पेय बनाने के लिये— उस पानी में ही कीटनाशकों की मात्रा बहुत अधिक है। दुनिया की विभिन्न संस्थाओं जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन (एफ. ए. ओ.) अमरीकी पर्यावरण संरक्षण संस्था (USEPA) खाद्य एवं औषधि प्रशासन (F.D.A.) ने कीटनाशकों की खाद्य एवं पेय पदार्थों में उपस्थिति के लिये कुछ मानदण्ड तय किये हुये हैं। यूरोपीय आर्थिक आयोग (E.E.C) ने पीने के पानी में अधिकतम कीटनाशकों की मात्रा 0.0001 मिलीग्राम प्रति लीटर तय की है। अर्थात् एक लीटर पानी में अधिक से अधिक 0.0001 मिलीग्राम कीटनाशक की उपस्थिति हो सकती है जो मनुष्य की सेहत के लिये ज्यादा खतरनाक नहीं मानी जाती है। अभी यूरोप के सभी देशों में 25 दिसम्बर 2003 से नये मानक तय किये जा रहे हैं। जिनके अनुसार पीने के पानी में एक लीटर में अधिकतम 0.00003 मिलीग्राम ही कीटनाशक हो सकेंगे। इस मात्रा को सुरक्षित माना जाता है। सेन्टर फार सायन्स एण्ड एनवायरमेन्ट के वैज्ञानिकों ने यूरोप के इन्हीं मानदण्डों को आधार बनाकर, भारत में बिकने वाले पेप्सी—कोका—कोला के ठंडे पेयों की जाँच की। इस जाँच में लिन्डेन, क्लोरोपाइरीफास, डी.डी.टी., मैलाथियान जैसे खतरनाक कीटनाशक पेप्सी व कोका—कोला के शीतल पेयों में पाये गये। इस कार्य के लिये पेप्सी और कोका—कोला के ब्रांड की 36 बोतलें दिल्ली के विभिन्न बाजारों से खरीदी गयीं। मई 2003 में इनका परीक्षण किया गया। इसके अतिरिक्त अमरीका से भी पेप्सी—कोका कोला के ठंडे पेयों के नमूने भी परीक्षण किये गये। दिल्ली के बाजारों से प्राप्त शीतल पेयों में जो भी खतरनाक कीटनाशक, जहरीले रसायन पाये गये उनकी सूची और मात्रा नीचे दी गयी है—

ठंडे पेय का ब्रांड नाम	कीटनाशकों की मात्रा प्रतिलीटर में,	यूरोपीयदेशों में कीटनाशकों की	यूरोपीय देशों की तुलना में भारत में
------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------

	भारत में	मात्रा प्रतिलीटर में	कितने गुना अधिक कीटनाशक
पेप्सी	0.0187 मिलीग्राम	0.0005 मिलीग्राम	37 गुना अधिक
माडण्टेन ड-यू	0.0141 मिलीग्राम	0.0005	28 गुना अधिक
डाइट पेप्सी	0.0071 मिलीग्राम	0.0005	14 गुना अधिक
मिरिण्डा आरेन्ज	0.0196 मिलीग्राम	0.0005	39 गुना अधिक
मिरिन्डा लेमन	0.0352 मिलीग्राम	0.0005	70 गुना अधिक
ब्लू पेप्सी	0.0142 मिलीग्राम	0.0005	29 गुना अधिक
सेवन-अप	0.0166 मिलीग्राम	0.0005	33 गुना अधिक
कोकाकोला	0.0223 मिलीग्राम	0.0005	45 गुना अधिक
फैन्टा	0.0214 मिलीग्राम	0.0005	43 गुना अधिक
लिम्का	0.0148 मिलीग्राम	0.0005	30 गुना अधिक
स्प्राइट	0.0055 मिलीग्राम	0.0005	11 गुना अधिक
थम्स-अप	0.0111 मिलीग्राम	0.0005	22 गुना अधिक

भारत में बिकने वाले (ऊपर दी गयी तालिका के अनुसार) पेप्सी-कोला में कीटनाशकों की मात्रा यूरोपीय पेप्सी-कोला में कीटनाशकों की मात्रा से 37 गुना अधिक है। इसी तरह भारत में बिकने वाले कोका-कोला में यूरोपीय मानकों की तुलना में 45 गुना अधिक कीटनाशक जहर है। इसी तरह भारत में बिकने वाले थम्स अप में यूरोपीय मानकों की तुलना में 22 गुना अधिक कीटनाशक जहर है। भारत में बिकने वाले सेवन अप में तो यूरोपीय मानकों की तुलना में 70 गुना अधिक कीटनाशक जहर है। भारतीय लिम्का में यूरोपीय मानकों की तुलना में 30 गुना अधिक कीटनाशक जहर है। इसी तरह पेप्सी एवं कोका-कोला के अन्य सभी ब्रान्डों में कई गुना अधिक कीटनाशक जहर पाया गया है।

पेप्सी-कोला एवं कोका-कोला में मिले हुये कीटनाशकों का शरीर व स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव

पेप्सी-कोला और कोका-कोला के शीतल पेयों में चार प्रकार के कीटनाशक लिन्डेन, क्लोरोपाइरीफास, डी.डी.टी., एवं मैलाथियान पाये गये। इन कीटनाशकों का शरीर के स्वास्थ्य पर बहुत ही खराब असर होता है। लिन्डेन नाम का जहरीला कीटनाशक शरीर के पाचनतन्त्र एवं श्वसन तन्त्र द्वारा शरीर के ऊतकों में (Fattissues) जमा होता रहता है। यह लिन्डेन लीवर, किडनी तथा शरीर की प्रतिरोधक तन्त्र को बहुत नुकसान पहुँचाता है। लिन्डेन नामक कीटनाशक जहर, कैंसर और जन्मजात शारीरिक विकृतियों के लिये भी जिम्मेदार होता है। शरीर की एन्डोक्राइन ग्रन्थि को भी लिन्डेन भारी नुकसान पहुँचाता है।

लिन्डेन की 40 मिलीग्राम मात्रा किसी भी व्यक्ति की (महिला या पुरुष) की प्रजनन क्षमता को समाप्त कर सकती है। पुरुषों के वृषण तन्त्र (Testicular system) को बहुत बुरी तरह से लिन्डेन प्रभावित करता है। महिलाओं के नियमित मासिकचक्र को भी लिन्डेन प्रभावित करता है। महिलाओं के शरीर में बनने वाले एस्ट्रोजोन एवं प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन्स की मात्रा को लिन्डेन काफी कम कर देता है। चूहों पर किये गये परीक्षणों से यह सिद्ध हुआ है कि लिन्डेन से लीवर कैंसर होता है। लिन्डेन किसी भी व्यक्ति के तन्त्रिका तन्त्र को भी बुरी तरह से प्रभावित करता है। हृदय को रक्त पहुँचाने वाली नलिकाओं को भी लिन्डेन काफी क्षति पहुँचाता है।

पेप्सी-कोला एवं कोका-कोला में लिन्डेन के बाद दूसरा खतरनाक जहरीला कीटनाशक डी.डी.टी. (Dichloro diphenyltrichloro ethane) पाया गया। यह डी.डी.टी. मनुष्य के वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या कम करने का कार्य एवं स्त्रियों में वक्ष कैंसर विकसित करने के लिये जिम्मेदार माना जाता है। स्त्रियों के शरीर के लिये सबसे महत्वपूर्ण एस्ट्रोजन नामक हार्मोन को डी.डी.टी. कम कर देता है। इस कारण से महिलाओं में बिना किसी कारण गर्भपात होने और वक्षस्थल के कैंसर होने का खतरा पैदा हो जाता है। लम्बे समय तक बहुत अल्प मात्रा में भी डी.डी.टी. शरीर में जाये तो लीवर कैंसर होने की सम्भावना रहती है।

पेप्सी-कोला एवं कोका-कोला में तीसरा खतरनाक कीटनाशक जहर क्लोरोपाइरीफॉस (Chloropyrifos) मिला। यह कीटनाशी जहर मनुष्य शरीर के मस्तिष्क एवं तन्त्रिका तन्त्र (Nervous system) को बुरी तरह से प्रभावित करता है। क्लोरोपाइरीफॉस मस्तिष्क की कोशिकाओं को बुरी तरह से नष्ट कर देता है। लगातार क्लोरोपाइरीफॉस मनुष्य शरीर में बहुत ही अल्प मात्रा में भी जाए तो दिमागी विकास को रोक देता है। शरीर की मांसपेशियों को भी कमजोर करने का काम क्लोरोपाइरीफॉस करता है। क्लोरोपाइरीफॉस से शरीर का विकास भी रुकता है और मनुष्य स्वभाव में भी विकृतियाँ आ जाती हैं।

पेप्सी-कोला एवं कोका-कोला में चौथा कीटनाशी जहर मैलाथियान (Malathian) पाया गया। यह जहर भयंकर कैंसरकारक है। यह कीटनाशी जहर शरीर के तन्त्रिका तन्त्र पर भी बहुत बुरा प्रभाव करता है। महिलाओं में स्तन कैंसर भी विकसित करने का कार्य यह मैलाथियान करता है। जन्मजात शारीरिक विकलांगता को भी पैदा करने का कार्य मैलाथियान करता है। यह कीटनाशी जहर पक्षाघात का भी कारण बन सकता है।

महत्वपूर्ण बात यह है कि पेप्सी-कोला एवं कोका-कोला के भारत में बिकने वाले शीतल पेयों में ही ये कीटनाशी जहर मैलाथियान, क्लोरोपाइरीफॉस, डी.डी.टी., एवं लिन्डेन पाया गया। लेकिन जब पेप्सी-कोला एवं कोका-कोला के अमरीका में बिकने वाले शीतल पेयों का परीक्षण किया गया तो कोई भी कीटनाशी जहर उनमें नहीं पाया गया।

माउंटेन ड्यू में कैफीन भी हद से ज्यादा : सीएसई

बहुराष्ट्रीय कंपनी पेप्सिको के देश में बिकने वाले साफ्ट ड्रिंक 'माउंटेन ड्यू' में कैफीन की मात्रा अंतरराष्ट्रीय मानक से बहुत ज्यादा है। यह खुलासा सेंटर ऑफ साइंस एंड इनवायरनमेंट (सीएसई) की अध्यक्ष सुनीता नारायण ने किया है। सुश्री नारायण के मुताबिक चीन, कनाडा, आस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, हालैंड, स्पेन आदि देशों में केवल कोला पेय में कैफीन मिलाने की छूट है, वह भी प्रति लीटर मात्र 150 मिलीग्राम। भारत में सभी तरह के साफ्ट ड्रिंक में प्रति लीटर 200 मिलीग्राम तक कैफीन मिलाने की छूट है। इसी का फायदा उठाकर शीतल पेय कंपनियाँ कैफीन मिला रही हैं।

पेप्सी—कोला एवं कोका—कोला क्या हैं?

साफ्ट ड्रिंक ऐसे पेय पदार्थों को कहा जाता है जो पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा अन्य रासायनिक द्रवों जैसे ऐसिड और मीठा बनाने वाले रसायनों को मिलाकर बनाये जाते हैं। लेकिन इनमें शराब या एल्कोहल नहीं होती है। इसलिये इन्हें साफ्ट ड्रिंक कहा जाता है। इन साफ्ट ड्रिंक्स में फलों का रस नहीं होता है।

पेप्सी—कोला एवं कोका कोला—जैसे ठंडे पेयों में 86 से 90% तक पानी होता है। इसमें स्वाद को सुरक्षित रखने के लिये कैफीन मिलाया जाता है। इसको मीठा बनाने के लिये सैक्रिन का या एस्पर्टेम नामक रसायन का प्रयोग किया जाता है। इसमें द्रव रूप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मिलाया जाता है। यह गैस पानी में जीवाणुओं को पनपने से रोकती है। इस गैस की उपस्थिति से ही साफ्ट ड्रिंक्स पीने पर मुँह में वास्तविकता से अधिक ठंडा होने का एहसास होता है।

पेप्सी—कोला एवं कोका—कोला में मुख्य रूप से फॉस्फोरिक ऐसिड भी मिलाया जाता है। इसके अतिरिक्त सिट्रिक ऐसिड एवं मैलिक ऐसिड भी मिलाये जाते हैं। इन अम्लों (Acids) को मिलाने से प्यास बुझने का एहसास होता है। साफ्ट ड्रिंक्स में मिलाये गये रसायनों की आपस में क्रियाओं को रोकने के लिये एस्कारबिक ऐसिड भी मिलाया जाता है। पेप्सी—कोला एवं कोका—कोला में रंग देने के लिये कैरामेल (Caramel) नामक रसायन का प्रयोग किया जाता है। पेप्सी—कोला एवं कोका—कोला को लम्बे समय तक सुरक्षित रखने के लिये पोटेशियम सॉरबेट नामक रसायन मिलाया जाता है। इसके साथ ही सोडियम बेन्जोएट (Sodium Benzoate) भी मिलाया जाता है। इसके अतिरिक्त पेक्टिन, एल्जीनेट (Alginate) जैसे अन्य रसायन का भी प्रयोग किया जाता है।

पेप्सी—कोला एवं कोका—कोला में पानी के अतिरिक्त जो भी रसायन प्रयोग किये जाते हैं उनकी सूची इस प्रकार है।

- 1) कैफीन
- 2) एस्पर्टेम (सैक्रिन से 200 गुना अधिक मीठा)
- 3) कार्बन डाइऑक्साइड (द्रव रूप में)
- 4) फॉस्फोरिक ऐसिड
- 5) कैरामेल (Caramel)
- 6) सोडियम बेन्जोएट
- 7) पोटेशियम सॉरबेट
- 8) पेक्टिन
- 9) एल्जीनेट
- 10) मैलिक ऐसिड बनाने की विधि:—

साफ्ट ड्रिंक्स बनाने के लिये सबसे पहले पानी और मीठा बनाने वाले रसायन एस्पर्टेम या सैक्रिन को मिलाकर घोल बनाया जाता है। फिर इसमें पेप्सी—कोला एवं कोका—कोला कम्पनियों का विशेष रूप से तैयार सान्द्र घोल (Concentrate) मिलाया जाता है। उसके बाद अम्लों को मिलाने की क्रिया सम्पन्न होती है जिसमें फॉस्फोरिक ऐसिड जैसे अम्ल मिलाये जाते हैं। इस क्रिया से सीरप जैसा बन जाता है।

इसके बाद पानी को आक्सीजन मुक्त बनाया जाता है। उसके बाद उच्च दाब (High Pressure) पर पानी में कार्बन डाइऑक्साइड (द्रव रूप) मिलाया जाता है। इस प्रक्रिया में पानी में से हवा पूरी तरह निकल जाती है। अब इस पानी में ही उपयुक्त तरीके से तैयार सीरप को एक निश्चित मात्रा में मिलाकर बोतलों में भरकर बिक्री के लिये भेज दिया जाता है।

पेप्सी-कोला एवं कोका-कोला में मिलाये जाने वाले रासायनिक पदार्थों का शरीर व स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव

पेप्सी-कोला एवं कोका-कोला में मिलाये जाने वाले सभी रसायनों का शरीर पर बहुत अधिक दुष्प्रभाव होता है। दुनिया भर के अनेक देशों में किये गये शोध के अनुसार पेप्सी-कोला एवं कोका-कोला पीने से मोटापा, मधुमेह (Diabetes), दंत क्षय (Tooth Decay), हड्डियों का क्षय (osteoporosis), हृदय रोग (Heart Disease), एवं कई मानसिक रोग होते हैं। पेप्सी-कोला एवं कोका-कोला जैसे शीतल पेयों में फॉस्फोरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, मैलिक एसिड जैसे कई अम्ल होने के कारण इसे पीने से शरीर में अम्लों की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण एसिडिटी की बीमारी होती है। पेट में कई अन्य बीमारियाँ भी इस अम्लता के बढ़ने से हो जाती हैं। अग्नाशय में अम्ल और क्षार का एक निश्चित और नियमित अनुपात रहता है, यह अनुपात एसिड (अम्ल) की मात्रा बढ़ने से बिगड़ जाता है। इस कारण पेट में जलन, खट्टी डकारें, पेट दर्द, पेट में अल्सर जैसी बीमारियाँ पैदा होती हैं। अग्नाशय में व पाचनक्रिया में भी खराबी आती है जिससे अपचन और गैस की समस्या भी होती है।

कार्बन डाईऑक्साइड एक विषैली गैस होती है, जिसे हमारा शरीर एक बेकार पदार्थ या अनुपयोगी मानकर बाहर निकालता रहता है। लेकिन जब इसी गैस को शीतल पेयों के माध्यम से हम शरीर में डालते हैं तो हमारे फेफड़ों पर इसका बुरा असर होता है। कार्बन डाईऑक्साइड एवं फॉस्फोरिक एसिड तथा एस्पारटेम को साथ मिलाकर जब शीतल पेय के रूप में पिया जाता है, तो यह शरीर की हड्डियों के लिये जरूरी पोषक तत्वों की कमी करता है, इसके कारण जल्दी ही हड्डियों के टूट जाने की संभावना होती है। इसी बीमारी को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। इस बीमारी में हड्डियों के अन्दर मौजूद कैल्शियम एवं फॉस्फोरस का संतुलन टूट जाता है। इस बीमारी में कैल्शियम की मात्रा हड्डियों में बहुत ही कम हो जाती है।

हमारे दाँतों के ऊपर एनेमल की पटल ही दाँतों की सुरक्षा का कार्य करती है। किसी शीतल पेय में मौजूद एसिड के कारण दाँतों की रक्षा करने वाली यह पटल कमजोर होती जाती है। इस तरह दंतक्षय शुरू हो जाता है। लैक्टोबैसीलस (Lactobacilius) एवं एक्टिनोमाइसेस (Actinomyces) नाम के दो बैक्टीरिया मुँह के अन्दर बहुत तेजी से पैदा होकर बढ़ते हैं, जब साफ्ट ड्रिंक्स पिया जाता है। इन दोनों ही बैक्टीरिया के लिये अम्लता (एसिडिक) एवं मीठा वातावरण बहुत ही अनुकूल होता है। ये दोनों बैक्टीरिया दंतक्षय तथा अन्य मुँह के रोगों के लिये भी जिम्मेदार होते हैं। मुँह के अन्दर शीतल पेयों से एक और बैक्टीरिया म्यूटेन्स स्ट्रेप्टोसी (Mutans streptocci) पैदा होता है। यह बैक्टीरिया साफ्ट ड्रिंक्स में मिलाये जाने वाले एस्पारटेम (मीठा बनाने के लिये) के कारण पैदा होता है। यह भी दंतक्षय को बहुत बढ़ावा देता है।

पेप्सी-कोला एवं कोका-कोला जैसे शीतल पेयों में कैफीन भी मिलाया जाता है। यह कैफीन हमारे शरीर के केन्द्रीय तंत्रिका तंत्र (Central Nervous System) को बुरी तरह से बिगाड़ सकता है। यदि शरीर में कैफीन की मात्रा अधिक हो जाये तो अनिद्रा, चिड़चिड़ापन, अत्यधिक चिंता, अवसाद जैसी गंभीर बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं। कैफीन के कारण पेशाब में जाने वाले कैल्शियम की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है, इस कारण भी आस्टियोपोरोसिस बीमारी हो जाती है। किसी महिला को गर्भावस्था के दौरान यदि पेप्सी-कोला या कोका-कोला जैसे पेय पिलाये जायें तो गंभीर रूप से गर्भपात का खतरा तथा गर्भस्थ शिशु की शारीरिक संरचना में विकृति का खतरा बढ़ जाता है। अधिक मात्रा में कैफीन नपुंसकता भी पैदा करती

है। सभी शीतल पेयों में खासकर पेप्सी और कोका-कोला में गहरा लाल रंग देने के लिये कैरामेल (Caramel) का प्रयोग किया जाता है जो अत्यधिक कैंसरकारक है। इसी तरह पेप्सी और कोका-कोला में इस्तेमाल होने वाले पोटेशियम सॉरबेट एवं सोडियम बेन्जोएट भी कैंसरकारक हैं। ये दोनों रसायन मनुष्य की आनुवंशिक संरचना में भी भारी विकृति पैदा कर देते हैं। पेप्सी और कोका-कोला में ना तो प्रोटीन ना ही कोई विटामिन होते हैं।

अमरीका से प्रकाशित "क्लीनिकल रिसर्च न्यूज लेटर" नामक वैज्ञानिक पत्रिका में डा. जॉर्डन क्रिस्टेन्सन द्वारा लिखे गये एक लेख में बताया गया है, कि "कोल्ड ड्रिंक्स" में कुछ भी पोषकता नहीं होती है। ये कोल्ड ड्रिंक्स दाँतों को सबसे अधिक नुकसान पहुँचाते हैं। इन शीतल पेयों से दाँतों में गड्ढे (Cavity) और दाँतों में सड़न पैदा होती है। विख्यात मेडीकल जर्नल लैन्सेट के अनुसार कोल्ड ड्रिंक्स से प्राकृतिक भूख लगने के तन्त्र में अनियमितता पैदा होती है। इससे क्षणिक एवं कृत्रिम भूख लगती है और पेप्सी-कोक पीने वाले कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। जिसके कारण मोटापा बढ़ने लगता है। जैसे ही हम कुछ खाते हैं तो पेट से दिमाग को एक संदेश पहुँच जाता है कि इतना भोजन पेट में आ चुका है। फिर दिमाग से शरीर के दूसरे हिस्सों को भोजन संतुष्टि का संदेश पहुँचता है। लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स के रूप में हम जो भी लेते हैं वह तरल होने के कारण पेट से जल्दी ही समाप्त हो जाती है और संतुष्टि का अनुभव नहीं रहता, इससे फिर भूख लगने लगती है और फिर खाना खाते हैं। इस तरह मोटापा बढ़ने लगता है। अमरीका में आज 70% लोग मोटापे के शिकार हैं उसका कारण पेप्सी-कोला एवं कोका कोला ही हैं।

इसी मेडिकल जर्नल लैन्सेट के अनुसार "पेप्सी-कोला एवं कोका-कोला में मिलाया जाने वाला रसायन एस्पारटेम मूत्रनली का कैंसर भी कर देता है। इस रसायन के कारण ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। पेप्सी-कोला एवं कोका-कोला में डाला गया कैफीन एक उत्तेजक रसायन है। यह शरीर को थोड़ी देर के लिये उत्तेजित कर देता है। दिल की धड़कन को बढ़ा देता है। इससे थोड़े समय के लिये शरीर में रक्त संचार तेज हो जाता है और हम थोड़ी देर के लिये तरोताजा महसूस करने लगते हैं। लेकिन बार-बार ऐसा होने पर शरीर की जीवनी शक्ति कम होने लगती है। कैफीन हमारी आँतों को तथा अमाशाय की दीवारों को भी नुकसान पहुँचाता है, जिसके कारण अल्सर हो जाता है।"

कई वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि कैंसर की कोशिकायें आक्सीजन की उपस्थिति में थोड़े ही समय जिन्दा रहती हैं, जबकि यही कैंसर कोशिकायें कार्बन डाइ-ऑक्साइड की उपस्थिति में भरपूर वृद्धि करती हैं। इसके अलावा अधिक अम्लता की स्थिति भी कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि के लिये अनुकूल होती है। अतः कार्बन डाइ-ऑक्साइड एवं फॉस्फोरिक अम्ल दोनों की उपस्थिति कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि करने में सहायक होती है। अधिक मात्रा में पेप्सी-कोला एवं कोका-कोला का सेवन सेरिब्रल फाल्सी नाम की खतरनाक बीमारी को जन्म देता है। इस बीमारी में मानसिक अपंगता पैदा हो जाती है। दिमाग की तंत्रिकायें भी इस बीमारी में नष्ट हो जाती हैं। पेप्सी-कोक के अधिक सेवन से लीवर-सिरोसिस भी हो जाता है। सामान्य रूप से यह लीवर-सिरोसिस बीमारी उन लोगों को ही होती है जो शराब का सेवन अधिक करते हैं।

पेप्सी-कोला एवं कोका-कोला की अम्लीयता (ऐसिडिटी)

5 अगस्त 2003 को जारी की गयी सेन्टर फार सायन्स एण्ड एनवायरमेन्ट की रिपोर्ट में पेप्सी-कोला एवं कोका-कोला की अम्लीयता (Acidity) की जांच रिपोर्ट भी दी गयी है। उपयुक्त संस्था के वैज्ञानिकों ने पेप्सी-कोला तथा कोका-कोला के सभी 12 ब्रांडों की 3-3 बोतलों का परीक्षण किया था। अर्थात् कुल 36 बोतलों का परीक्षण किया गया था। इनमें प्रत्येक बोतल में कितना जहरीला कीटनाशक (लिन्डेन, डी.डी.टी,

क्लोरोपाइरीफॉस, मैलाथियान) पाया गया और प्रत्येक बोतल की अम्लीयता (Acidity) कितनी थी, वह विस्तार के साथ नीचे की सारिणी में दिया गया है। शुद्ध पीने के पानी की अम्लीयता 7 (7PH) होती है। 7 से कम PH मान को अम्ल तथा 7 Ph से अधिक मान को क्षार कहा जाता है। अम्ल जितना अधिक तीव्र होता है उसका Ph मान 7 से उतना ही कम होता है। 7 Ph से कम मान 6, 5, 4, 3, 2, 1, Ph होने से अम्लीयता तीव्र होती जाती है। अतः 6 Ph का अम्ल, 5 Ph का उससे अधिक अम्ल, 4 Ph का और भी अधिक अम्ल, 3 Ph का और भी अधिक अम्ल। जैसे-जैसे Ph मान घटता जाता है, अम्लीयता (अम्ल की मात्रा) अधिक से अधिक बढ़ती जाती है।

हड्डियों से कैल्शियम सोख लेते हैं शीतल पेय

नई दिल्ली (एजेंसिया)। शीतल पेयों में कीटनाशकों की मौजूदगी के वैज्ञानिक प्रमाण मिलने के बाद अब नए अध्ययनों ने शीतल पेय के अधिक उपभोग से होने वाले खतरे के बारे में भी चेतावनी दी है।

विशेषज्ञों का कहना है कि बच्चों के मन में कैल्शियम से भरपूर दूध के प्रति वैराग्य जगाने में शीतल पेयों का सबसे बड़ा हाथ है। ये शीतल पेय शरीर में हड्डियों से कैल्शियम की मात्रा को सोख लेते हैं। सोडा में उपस्थित फास्फोरिक एसिड शरीर में कैल्शियम से मिल जाता है और हड्डियों को कैल्शियम नहीं मिल पाता। इसके अलावा कोला में उपस्थित कैफीन मूत्रवर्द्धक की भूमिका निभाता है जिससे शरीर से और ज्यादा मात्रा में कैल्शियम बाहर निकल जाता है। यहाँ स्थित जी. एम. मोदी अस्पताल के वरिष्ठ अस्थि शल्य चिकित्सक डा. मनोज मलिक के अनुसार ऑस्टियोपोरोसिस से शरीर में कैल्शियम की कमी के कारण हड्डियों का घनत्व एवं आस्थि मज्जा बहुत कम हो जाता है। साथ ही हड्डियों की बनावट भी खराब हो जाती है जिससे हड्डियां अत्यंत भुरभुरी और अति संवेदनशील हो जाती हैं। इस कारण हड्डियों पर हल्का दबाव पड़ने या हल्की चोट लगने पर भी वे टूट जाती हैं।

ऑस्टियोपोरोसिस को खामोश बीमारी भी कहा जाता है क्योंकि इसके गंभीर रूप लेने और हड्डियों के अचानक फ्रैक्चर होने से पहले इसका तनिक भी आभास नहीं होता। अमेरिकी मेडिकल एसोसिएशन के अध्ययन में पाया गया कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान कैल्शियम की कमी के कारण कूल्हों और कलाईयों में फ्रैक्चर के मामले लड़कों में 32 प्रतिशत और लड़कियों में 56 प्रतिशत तक बढ़ गए हैं। बोन केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डा. सुभाष शल्या का कहना है कि कम व्यायाम, दूध का कम सेवन और सोडा का अधिक सेवन करने वाली हमारी वर्तमान पीढ़ी कम घनत्व वाली कमजोर हड्डियों के साथ बड़ी हो रही है। सबसे ज्यादा चिंता की बात है कि वर्तमान पीढ़ी कम कैल्शियम वाला आहार और विटामिन 'डी' की अपर्याप्त मात्रा ले रही है, जो उनमें हड्डियों का घनत्व कम करने के साथ-साथ उन्हें कमजोर कर रही है। कैल्शियम का सबसे बड़ा स्रोत दूध और दुग्ध उत्पाद हैं, लेकिन आज के बच्चे न तो ढंग का खाना खा रहे हैं और न दूध पी रहे हैं।

पाबंदी क्यों नहीं ?

अंततः साबित हो गया कि पेप्सी और कोकाकोला भारत में लोगों की जान से खेल रहे हैं। शरद पवार की अध्यक्षता वाली संयुक्त संसदीय समिति ने सेंटर फॉर साइंस एंड एन्वायरमेंट (सी. एस. ई.) की रपट को सही माना। सच यही है कि बहुराष्ट्री कंपनियाँ अन्य देशों में जिस गुणवत्ता का माल बेचती हैं, भारत में वैसा नहीं बेचतीं। भरपूर कीटनाशक मिलाती हैं और जरा भी एहसास नहीं करतीं कि भारतीयों की जिंदगी भी उतनी ही कीमती है जितनी अन्य देशों की। उनका नजरिया यही है कि भारत गरीब लोगों का देश है इसलिए उसे अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानकों को पाने का हक नहीं है, संसद की कैबिनेट में इन बोटलबंद एवं डिब्बाबंद शीतल पेयों की आपूर्ति पर रोक उसी दिन लगा दी गई थी जब सी.एस.ई ने ठंडे में जहर का पर्दाफाश किया था। लेकिन तब से अब तक महीनों बीतने के बाद भी संसद भवन के बाहर देश में आम जनता के लिए इसकी बिक्री पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई। जेपीसी की रपट में भी पाबंदी की कोई बात नहीं है। केवल यह कहा गया है कि बोटलों में कीटनाशकों की मात्रा अंतरराष्ट्रीय स्तर से बहुत ज्यादा है, और यह आपत्तिजनक है। कंपनियों को मानक सुधारना होगा। राष्ट्रीय स्तर पर नए मानक बनाए जाएंगे, उन्हें मंजूरी मिलेगी, वे घोषित होंगे, उसके बाद ही लागू होंगे। महीनों का मामला है, या शायद साल लग जाए, क्योंकि जेपीसी रपट में ही महीनों लगे हैं। चुनाव का बिगुल नहीं बजता तो शायद इसमें और विलंब हो सकता था। इतने दिनों तक पेप्सी, कोकाकोला बिकते ही रहे, आगे भी बिकते रहेंगे। लोगों में अपने स्वास्थ्य के प्रति कुछ जागरूकता पैदा हुई है, जिसके कारण ठंडे की बिक्री घटी है, बंद नहीं हुई है। जेपीसी रपट के बाद कुछ और लोग डर कर पीना बंद कर सकते हैं, लेकिन यह भी हो सकता है कि ये कंपनियाँ अपने जबरदस्त प्रचारतंत्र के बूते लोगों को यह भरोसा दिला दें कि वे अब अंतरराष्ट्रीय स्तर का ही ठंडा यहाँ भी बेच रहे हैं। इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। दोनों हालातों में सरकारी मानकों के लागू होने तक और लाखों बोटलें देशवासियों के कंठ से नीचे उतर जाएंगी। जेपीसी नए मानकों के लागू होने तक इनकी बिक्री पर पाबंदी की सिफारिश भी कर सकती थी। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को तो सिर्फ मुनाफे से मतलब है, लेकिन जेपीसी के सदस्य तो भारतीयों के जनप्रतिनिधि हैं। उन्होंने देशवासियों के स्वास्थ्य की चिंता की, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन यह चिंता अधूरी है। अब जब यह रपट सरकार को पेश हो चुकी है, उसे चाहिए कि नए मानकों के लागू होने तक इन शीतल पेयों की बिक्री पर प्रतिबंध लागू कर दे। वह जहाँ हर दिन लोगों के भले के लिए घोषणाएं कर रही है, यह जरूरी घोषणा भी कर सकती है।

लेकिन, संदेह की काली छाया यहाँ भी मौजूद है। जेपीसी रिपोर्ट स्वास्थ्य मंत्री सुषमा स्वराज द्वारा संसद में पेप्सी एवं कोक जैसी कंपनियों को दी गई क्लीनचिट से भी मेल

नहीं खाती। श्रीमती स्वराज ने सी. एस. ई. रिपोर्ट पर मचे बवाल के बीच संसद को यह जानकारी दी थी कि सरकार ने जो जाँच कराई है, उसमें इन पेयों में कीटनाशक की मात्रा सी. एस.ई. द्वारा बताए गए स्तर से काफी कम है और ये मान्य हैं। अब जेपीसी रिपोर्ट से सुषमा स्वराज कटघरे में हैं, लेकिन जाहिर है कि सरकार उनका बचाव यह कहकर ही सकती है कि उसने ही जेपीसी जाँच करवाई। संभवतः जाँच समिति ने भी इस बात का ध्यान रखा और अपनी रिपोर्ट की दिशा बदल दी। समिति के एक सदस्य एवं शिवसेना सांसद संजय निरुपम ने कहा भी कि सी.एस.ई. रिपोर्ट सही है या गलत यह मुद्दा नहीं है, मुद्दा यह है कि शीतल पेयों में कीटनाशक मौजूद हैं। शायद यह मजबूरी का भी मामला है। कीटनाशकों की मौजूदगी इतनी ज्यादा है कि छिपाई नहीं जा सकती, इसलिए मान ली गई, लेकिन यह कबूली सी.एस.ई. रिपोर्ट के बराबर नहीं है। जेपीसी ने सी.एस.ई. की इस खोज रपट के लिए तो प्रशंसा की, लेकिन उसे विश्वसनीयता बनाए रखने की सीख भी दी, खासकर कीटनाशकों की मात्रा के मामले में। जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सी.एस.ई. को अपनी रिपोर्ट जारी करने से पहले किसी प्रयोगशाला से पुष्टि करानी चाहिए थी, क्योंकि कीटनाशकों की मात्रा उतनी नहीं मिली जितनी उसने कही थी। वास्तव में जिन पाँच प्रयोगशालाओं में अलग-अलग परीक्षण कराए गए, उनमें कीटनाशकों की मात्रा के बारे में अलग-अलग स्तर हैं। किसी भी दो रिपोर्ट में कीटनाशक की बताई गई मात्रा समान नहीं है। हालाँकि इसका एक मुख्य कारण तो परीक्षण के समय का तापमान एवं अलग-अलग जगहों से लिये गए नमूनों को बताया जा रहा है। वैसे भी जहाँ बोतलबंद पेय रखे होंगे, वहाँ के वायुमण्डल का प्रभाव तो उस पर पड़ता ही है। इन परिस्थितियों में कहना कठिन है कि अरबों रुपए के इस धंधे को बंद करने की बात होगी।

जेपीसी द्वारा 300 पृष्ठों में प्रस्तुत रिपोर्ट का मुख्य जोर इस बात पर है कि बोतलबंद पेयों एवं खाद्य पदार्थों के लिए उपयुक्त सुरक्षा मानक तय होना चाहिए। दरअसल, समिति ने अपनी रिपोर्ट में आम आदमी के स्वास्थ्य को आधार बनाकर यह कहा है कि स्वास्थ्य के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। शरद पवार की अध्यक्षता में गठित संयुक्त समिति की 16 सितंबर 2003 की पहली बैठक में ही इसका दायरा बढ़ा दिया गया था एवं इसमें सभी प्रकार के बोतलबंद पेय पदार्थ शामिल कर लिए गए थे। इस संदर्भ में समिति का निष्कर्ष है कि मानक तय नहीं होने से ही सारी समस्याएँ खड़ी हुई हैं और छोटी बड़ी सभी कंपनियाँ इसका लाभ उठाती हैं। तो पेप्सी और कोका कोला को भारत में प्रतिबंधित किए जाने का तो कोई सवाल नहीं है, लेकिन उन पर अंकुश तो लग ही सकता है। उन्हें मुनाफाखोरी में मनमानी से तो रोका ही जा सकता है।

जेपीसी ने देश में एक 'अनिवार्य फूड रिकाल' प्रणाली स्थापित करने की हिमायत की है, ताकि घटिया और जोखिम वाले उत्पादों को न सिर्फ बाजार से वापस लेने की व्यवस्था हो, बल्कि उन्हें संबद्ध अधिकारियों की मौजूदगी में नष्ट भी किया जाए। समिति का मानना है

कि खद्य पदार्थों के मामले में उपभोक्ताओं के लिए विश्वास भरे उपाय किए जाने चाहिए और इसके लिए जरूरी है कि प्रत्येक उत्पाद पर एक ऐसा 'लोगो' लगा हो, जिसमें उत्पाद की सुरक्षा के संबंध में घोषणा की गई हो, समिति का सुझाव है कि यह 'लोगो' तमाम खद्य पदार्थों पर होना चाहिए, फिर चाहे वह ताजा हो या प्रसंस्कृत और इस 'लोगो' को उत्पाद निर्माता की गारंटी के तौर पर देखा जाना चाहिए। ये सिफारिशें स्वागत योग्य हैं। फास्ट फूड के इस दौर में ऐसी सावधानियाँ बेहद जरूरी हो गई हैं।

संपादकीय, लोकमत समाचार

6 फरवरी 2004

क्रमांक	ब्रांड नाम पेप्सी और कोका कोला के	बैच नम्बर	अम्लीयता PH मान (Acidity)	कीटनाशकों की मात्रा, मिलीग्राम प्रति लीटर में
1	पेप्सी-1	PN.99	2.32	0.0209
2	पेप्सी-2	P.03.76.06:06	2.37	0.0170
3	पेप्सी-3	P.03.54.01:50	2.33	0.0181
4	माडन्टेन ड्यू-1	MO.03.19.10:00	2.82	0.0134
5	माडन्टेन ड्यू-2	MO.03.13.15:02	2.81	0.0093
6	माडन्टेन ड्यू-3	MO.03.26.17:12	2.79	0.0195
7	डाइट पेप्सी-1	OP.03.11.18:21	2.47	0.0082
8	डाइट पेप्सी-2	OP.09.9.14:25	2.5	0.0056
9	डाइट पेप्सी-3	OP.03.11.20:21	2.5	0.0074
10	मिरिण्डा ओरेन्ज-1	MO.03.24.22:08	2.49	0.0246
11	मिरिण्डा ओरेन्ज-2	MO.03.27.15:22	2.58	0.0154
12	मिरिण्डा ओरेन्ज-3	L3	2.58	0.0189
13	मिरिण्डा लेमन-1	ML.03.9.21:21	2.47	0.0373
14	मिरिण्डा लेमन-2	ML.03.07.15:23	2.41	0.0311
15	मिरिण्डा लेमन-3	ML.03.13.17:43	2.38	0.0372
16	ब्लू पेप्सी-1	PB.03.19.13:57	2.55	0.0117
17	ब्लू पेप्सी-2	PB.03.18.21:20	2.58	0.0187
18	ब्लू पेप्सी-3	PB.03.19.21:28	2.62	0.0138
19	सेवन अप-1	S.03.02.19:06	3.15	0.0163
20	सेवन अप-2	S.03.02.00:43	3.2	0.0178
21	सेवन अप-3	S.03.02.20:24	3.1	0.0156
22	कोका कोला-1	BN.724	2.3	0.0223
23	कोका कोला-2	BN.512	2.29	0.0174
24	कोका कोला-3	BN.738	2.39	0.0273
25	फैंटा-1	BN.780	2.58	0.0303

26	फैन्टा-2	BN.776	2.57	0.0187
27	फैन्टा-3	BN.537	2.53	0.0152
28	लिम्का-1	BN.747	2.65	0.0142
29	लिम्का-2	BN.757	2.63	0.0157
30	लिम्का-3	BN.753	2.55	0.0146
31	स्प्राइट-1	BN.787	3.1	0.0044
32	स्प्राइट-2	BN.796	3	0.0051
33	स्प्राइट-3	BN.791	3	0.0070
34	थम्स अप-1	BN.720	2.38	0.0110
35	थम्स अप-2	BN.727	2.28	0.0107
36	थम्स अप-3	BN.525	2.46	0.0118